गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

बढ़ती क्षमताएं
बढ़ती सीमाएं

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

Annual Report 2020-21

विषय सूची

जीआरएसई के बारे में	02
हम मूल्य का निर्माण कैसे करते हैं	04
अ.प्र.नि का संदेश	06
हमारी मूल्य प्रणाली	09
निदेशक मंडल	10
वित्तीय वर्ष 21 की मुख्य बातें	12
10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें	14
प्रतिस्पर्धी ताकतें	16
पोत निर्माण	18
पोत निर्माण क्षमताएँ	20
इंजीनियरिंग और डीजल इंजन संयंत्र	21
जीआरएसई का पर्यावरण उत्तरदायित्व	22
निगमित सूचना	24
निदेशक रिपोर्ट	25
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	66
निगमित शासन पर रिपोर्ट	72
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	100
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	111
भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	121
तुलन पत्र	122
लाभ एवं हानि विवरण	123
नकदी प्रवाह विवरण	124
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	126
वित्तीय टिप्पणियाँ	127
सूचना	175

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

लोकसभा / राज्यसभा के पटल
पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

जीआरएसई के बारे में

जीआरएसई भारतीय रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की पोत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएसई एक विविध, लाभकारी और लाभांश देने वाली कंपनी है तथा युद्धपोत निर्यात करने एवं भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को 100+ युद्धपोतों को डिलीवर करने वाला देश की प्रथम शिपयार्ड है।

मुख्य विशेषताएँ

कारोबार

₹ **1,133** करोड़

कर्मचारियों की संख्या

1900

युद्धपोतों की डिलीवरी गणना

107

आदेश पुस्तिका (31 मार्च,2021 तक के अनुसार)

₹ **25,707** करोड़

पोत निर्माण

वर्तमान में जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए 3 पृथक केंद्र हैं तथा ये सभी एक दूसरे के निकट कोलकाता में स्थित हैं। पोत मेन वर्क्स यूनिट और राजाबगान डॉकयार्ड में बनाए जाते हैं।

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए युद्धपोतों/ जलयानों का निर्माण करता है तथा तटीय सुरक्षा के लिए एमएचए और राज्य सरकारों के लिए इंटरसेप्टर नौकाएं भी बनाता है।

इंजीनियरिंग

हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के उत्पादो और व्यापार में पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें और मरीन पंप शामिल हैं। वर्ष 1970 में जीआरएसई में इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना मुख्य रूप से परिष्कृत डेक मशीनरी मदों के स्वदेशीकरण के लिए हुई थी।

डीजल इंजन संयंत्र

रांची में स्थित डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) मरीन प्रोपल्शन इंजनों के परीक्षण और ओवरहॉलिंग और डीजल इंजनों की सेमी नाक्ट डाउन इकाइयों की असेंबली में लगा हुआ है जबकि इंजीनियरिंग सेगमेंट पोर्टेबल स्टील ब्रिज, और पोतों व मरीन पंपों के लिए डेक मशीनरी के निर्माण में लगा हुआ है। डीईपी स्थित इंजन उत्पादन प्रभाग एमटीयू 396-04; एमटीयू 4000; एमटीयू 1163; एवं एमटीयू 538 श्रेणी के डीजल इंजनों की आपूर्ति एवं ओवरहाल करता है। हमारे पास एमटीयू 12 वी /16 वी 4000 एम 90 इंजन की सेमी नॉक डाउन असेंबली और कुछ इंजन भागों के उत्पादन के लिए एमटीयू जर्मनी के साथ एक लाइसेंस समझौता भी है।

हम मूल्य निर्माण कैसे करते हैं

प्रमुख प्रेरक और निविष्टियाँ

मांग

अत्याधुनिक युद्धपोतों और निगरानी पोतों के लिए भारतीय नौसेना, तटरक्षक और मित्र देशों से बढ़ती मांग।

निविष्टियाँ

हमारी क्षमताएं और अनुभव

अत्याधुनिक पोत निर्माण सुविधाएं

अनुभवी जनशक्ति

कैपेक्स/वित्तीय पूंजी

आदेश पुस्तिका

संबंध

भारत सरकार

ग्राहक

आपूर्तिकर्ता

सोसायटी

हमारा दृष्टिकोण

दूरदर्शिता

युद्धपोत निर्माण में विश्व में अग्रणी बनना

लक्ष्य

डिजाइन क्षमता में आत्मनिर्भर होना और अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रिया को लागू करना।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण युद्धपोत बनाना, डिलीवरी के समय और उत्पाद समर्थन के मामले में ग्राहक की अपेक्षा को पूरा करना।

ग्राहकों की संतुष्टि, उत्पाद नवोन्मेष, निर्यात संभावनाओं पर पकड़, कर्मचारी उद्देश्य, और अन्य हितधारक जुड़ाव तथा प्रतिभा विकास के माध्यम से निरंतर विकास प्राप्त करना।

हम क्या करते हैं

कंपनी मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में ग्राहकों के लिए पोत निर्माण के व्यवसाय में है।

पोत निर्माण के अलावा, जीआरएसई विभिन्न पोतों, पोंटून, नाव, नौकायन डिंगी, मछली पकड़ने के ट्रॉलर, फायर फ्लोट, टग, ड्रेजर, यात्री नौका, मोटर कटर, डेक व्हेलर और लॉन्च का निर्माण और आपूर्ति भी करता है।

कंपनी का इंजीनियरिंग डिवीजन पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें और समुद्री पंप बनाता है।

इंजन डिवीजन समुद्री इंजनों का संयोजन, परीक्षण और ओवरहॉल करता है।

मूल्य निर्माण

राष्ट्र के लिए योगदान

स्थापना के बाद से 107 युद्धपोतों सहित 780 से अधिक जलयानों की डिलीवरी हुई।

आर्थिक मूल्य

वित्त वर्ष 21 टर्नओवर: ₹ 1133 करोड़

पीएटी: ₹ 153 करोड़

लाभांश का भुगतान: 60.14 करोड़

भुगतान किया गया कर: ₹ 41.49 करोड़

मार्केट कैप: ₹ 2117 करोड़

सामाजिक मूल्य

1900+ कर्मचारी

वेतन का भुगतान किया गया

प्रोक्यूरमेंट मूल्य: 3455 करोड़

सीएसआर परिव्यय: ₹ 370 लाख

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मैं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की 105वीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं कंपनी के वर्चुअल एजीएम के साथ उपस्थित होने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप और आपके प्रियजन, कोविड 19 टीका लेने में सक्षम हुए हैं और इस कठिन समय में सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इस अप्रत्याशित कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारे देश के जीडीपी *में 7.3% की गिरावट देखने को मिली* जिसके परिणामस्वरूप, देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। फिर भी आपकी कंपनी ने ऐसी आपदा के समय में दृढ़ता और लचीलेपन का प्रमाण देते हुए इससे सही-सलामत बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की है।

आपकी कंपनी एक श्रम प्रधान उद्योग है जो काफी हद तक आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली पर निर्भर रहती है। इन दोनों क्षेत्रों में, लॉकडाउन और अन्य संबंधित चुनौतियों के कारण, कंपनी को ख़ास तौर पर पहली और दूसरी तिमाही में, उत्पादन के क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन, आपकी कंपनी ने नई शमन रणनीतियों की मदद से इसका अच्छी तरह सामना किया है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, कार्य पद्धतियों और परिचालन-कार्यों को परिष्कृत करना भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप तीसरी और चौथी तिमाही में स्थिति काफी अच्छी हो गई है।

कार्य निष्पादन का अवलोकन

कंपनी का वित्तीय निष्पादन, संतोषजनक रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में परिचालन कार्यों से प्राप्त ₹1,433 करोड़ राजस्व की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹1,141 करोड़ राजस्व लगभग 20% कम होने के बावजूद, ईबीआईटीडीए, पीबीटी और पीएटी मार्जिन्स में क्रमशः 18%, 16% और 12% का सुधार हुआ है। निदेशकों की रिपोर्ट में हमारे राजस्व और मार्जिन्स की एक विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए ख़ुशी हो रही है कि कंपनी ने ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 50% के लाभांश की घोषणा की है, और प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए वह पहले ही 38.50% का एक अंतरिम लाभांश दे चुकी है। बोर्ड ने इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 11.50% का एक अंतिम लाभांश देने का भी सुझाव दिया है।

उत्पादन सम्बन्धी निष्पादन के सम्बन्ध में, मुझे यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि कोविड सम्बन्धी प्रतिबंधों और संबंधित अनिश्चितताओं के बावजूद, हम कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम हुए। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने समय से दो महीने पहले तीन में से पहला पी17ए फ्रिगेट जलावतरित किया। इसी वर्ष हमें तीन पोतों की डिलीवरी होता हुआ देखने को मिला, जिनमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए एक-एक पोत और सेशेल्स की सरकार को एक फास्ट पैट्रोल वेसेल (एफ़पीवी) की डिलीवरी भी शामिल था। इससे मुझे आपको यह सूचित करते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है कि इनमें से एक पोत, एफ़पीवी को भारतीय तटरक्षक को, वैश्विक महामारी की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन उठने के बाद फिर से सामान्य कामकाज शुरू होने के दो दिन के भीतर प्रदान किया गया था। अब तक हमने कुल 107 युद्धपोतों को डिलीवर किया है जो अब तक किसी भी भारतीय शिपयार्ड ने नहीं किया है।

आदेश पुस्तिका की स्थिति और क्षमता का निर्माण

आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि निर्माण के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 17 पोत युक्त ₹25,707 करोड़ के एक स्वस्थ आदेश पुस्तिका की मदद से, अगले 6-7 वर्ष में स्पष्ट रूप से राजस्व की प्राप्ति होने की बात दिखाई दे रही है। निर्माणाधीन पोतों में भारतीय नौसेना की तीन बड़ी परियोजनाएं - 3 पी17ए फ्रिगेट, 4 सर्वेक्षण जलयान (बड़ा) और 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक का एक फास्ट पैट्रोल वेसल और गुयाना की सरकार के लिए 1700 टन का एक महासागर गामी यात्री सह मालवाही जलयान का भी निर्माण कार्य चल रहा है।

यह बात जाहिर है कि क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 21 में कैपेक्स, पिछले वर्ष के दौरान 52 करोड़ रु. की तुलना में लगभग तीन गुना ₹154 करोड़ हो गया है। यह सूचित करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है कि लगभग 1600 टन वाले 250-टन गोलियथ क्रेन, जिसका आदेश एक दक्षिण कोरियाई कंपनी को दिया गया था, प्राप्त हो गया और मेन यूनिट में उसका प्रवर्तीकरण हो गया है। गोलियथ क्रेन के उपलब्ध हो जाने के कारण, कंपनी के एकीकृत निर्माण और उत्पादन में और तेजी आएगी। इसके अलावा, सितम्बर 2020 में मेन यूनिट में हल ब्लॉकों के मंचन के लिए एक मुक्त भण्डारण क्षेत्र (3600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) का निर्माण किया गया। इसके अलावा, भण्डारण क्षमता को और बढ़ाने के लिए कंपनी की मेन वर्क्स यूनिट में गैर एसी और जलवायु नियंत्रण वाले दो मालगोदामों को भी चालू कर दिया गया है। राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट में सभी मौसमों में परिचालन क्षमता, एक मिनी स्टील स्टॉक यार्ड, 80 टन वजनी ब्रिज और एक सीएनसी अंडरवाटर प्लाज्मा कटिंग मशीन से लैस दो हल ब्लॉक निर्माण परिसरों को चालू कर दिया गया है। आरबीडी में सुविधाओं का जीर्णोद्धार करने से इस यूनिट को आपकी कंपनी की एकीकृत निर्माण क्षमता को और बढ़ाने के लिए एक साथ कई इकाइयों / खण्डों का निर्माण करके एक फीडर इकाई के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

अनुसन्धान एवं विकास और प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण

आपको यह सूचित करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है कि हम अपने अनुसन्धान एवं विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी अभिग्रहण कार्यक्रमों में काफी आगे बढ़ चुके हैं। 100 से अधिक डिजाइन विशेषज्ञों वाला हमारा डिजाइन विभाग, विभिन्न उत्पाद विकास उपक्रमों पर काम करता रहता है। हमने अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए हरित ऊर्जा आधारित मंचों का डिजाइन तैयार करने की कोशिश की है। इसके लिए, डिजाइन के विकास और ऊर्जा भण्डारण समाधानों के एकीकरण में मदद के लिए एक कैनेडियन कंपनी के साथ और इलेक्ट्रिक / हाइब्रिड प्रोपल्शन के लिए समाधान प्रदान करने के लिए मैसर्स जी ई पॉवर कन्वर्शन के साथ ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। जीआरएसई ने इस उद्देश्य से एक कार्य कुशल पतवार का रूप तैयार करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ भी काम किया है। आपकी कंपनी, भारत में और मित्र देशों में भी, होवरक्राफ्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर होवरक्राफ्ट की डिजाइनों पर भी काम कर रही है।

डिजिटल रूपांतरण की यात्रा

डिजिटल रूपांतरण, हमारी पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण और महान रुझानों में से एक है, जिसका दायरा और परिमाण लगातार बढ़ता जा रहा है। यह व्यावसायिक कंपनियों को फिर से परिभाषित कर रहा है जिससे लम्बे समय से चले आ रहे संगठनात्मक सिद्धांतों और प्रथाओं में मजबूरन बदलाव हो रहा है। आपकी कंपनी, इस महत्वपूर्ण जरूरत को समझते हुए, अपने परिचालन कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूल उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों की पहचान कर रही है और उन्हें अपना रही है जो डिजाइन, उत्पादन, योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देती हैं।

इसके लिए, आपकी कंपनी ने एक आईआईटी, हैदराबाद पोषित स्टार्टअप के सहयोग से एक एआई-सक्षम डिजाइन सहायक **"जिज्ञासा"** का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। "जिज्ञासा" हमारे डिजाइनरों को कई दस्तावेजों और डिजाइन दिशानिर्देशों में से जल्दी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

परियोजना प्रबंधन को अधिक कार्यकुशल और समकालिक बनाने के लिए आपकी कंपनी कई डिजिटल हस्तक्षेपों के अलावा अवीवा मरीन आधारित पीडीएम एवं सीमेंस टीम सेंटर पीएलएम सॉफ्टवेयर और महत्वपूर्ण श्रृंखला परियोजना प्रबंधन (सीसीपीएम) प्रणालियों को लागू कर रही है।

कंपनी की परिसंपत्तियों को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए, आपकी कंपनी ने पांच प्रमुख यूनिटों में एक एआई-सक्षम उच्च स्तरीय सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, चौबीसों घंटे हमारी युनिटो की निगरानी करेगी।

मानव संसाधन

आपको यह सूचित करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है कि जीआरएसई को कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय (सीएमयू), यूएसए द्वारा विकसित, सीएमएमआई इंस्टिट्यूट फ्रेमवर्क की तरह 'पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) लेवल 2 सर्टिफिकेशन' से सम्मानित किया गया है। इस सर्टिफिकेशन से सम्मानित की गई कुछ भारतीय कंपनियों में से एक के रूप में, जीआरएसई, मानव संसाधन प्रथाओं के संरचित प्रबंधन के माध्यम से, हमारे सबसे बड़े निवेश, हमारी मानव पूँजी पर और ज्यादा ध्यान देना चाहता है।

निर्यात – एक प्रेरक क्षेत्र

निर्यात, भारत सरकार की तरह आपकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण ध्यान क्षेत्र रहा है, और हमारे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, शिपयार्ड को कुछ देशों से निर्यात सम्बन्धी आदेश, गुयाना की सरकार की तरफ से यूएसडी 12.73 मिलियन लागत वाले एक महासागर गामी यात्री सह मालवाही जलयान बनाने का आदेश और सेशेल्स की सरकार के लिए यूएसडी 13 मिलियन की लागत वाले एक फास्ट पैट्रोल जलयान बनाने का आदेश मिला है। आपकी कंपनी ने सात ब्रिजों (भूटान को पांच ब्रिज और नेपाल को दो ब्रिज) का भी निर्यात किया है जिससे 3.15 करोड़ रु. का निर्यात राजस्व प्राप्त हुआ है।

हम मुख्य रूप से सार्क, एसियन, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और हमने निर्यात अवसरों का भरपूर लाभ उठाने के लिए कुछ रणनीतियां भी तैयार की हैं।

अन्य व्यावसायिक कार्य क्षेत्र

भारतीय तटरक्षक जलयानों की मरम्मत के अलावा एक मॉरिशस तटरक्षक पोत की मरम्मत का आदेश प्राप्त करके आपकी कंपनी ने मरम्मत कार्य क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत की है। हमारा एक प्रमुख ध्यान क्षेत्र होने के नाते, हम इस व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए इस प्रभाग को मजबूत कर रहे हैं।

लोगों के जीवन को प्रभावित करना

समाज सेवा, हमारे व्यवसाय मॉडल में पहले से ही शामिल है और इसके लिए हमने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण एवं कौशल विकास से संबंधित क्षेत्रों में ₹370 लाख का सीएसआर खर्च किया था। आपको यह सूचित करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने सभी लक्षित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि का 100% उपयोग सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, हरित ऊर्जा अभियान के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जिसमें सौर शक्ति और बायोगैस प्लांट्स की स्थापना, अधिकारियों के द्वारा स्थानीय आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत, पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों में परिवर्तन और ऊर्जा कुशल वेल्डिंग मशीनों की खरीद, इत्यादि शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को पूरा करने के लिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 108 वस्तुओं की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को अधिसूचित किया है। इससे स्वदेशीकरण में और तेजी आएगी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी में सक्रियता आएगी।

अवसर....

घरेलू क्षेत्र में, 'मेक इन इंडिया' पर जोर देने के कारण हमें रक्षा और गैर-रक्षा दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। 2021-22 के लिए पूँजी अधिग्रहण बजट के तहत भारतीय रक्षा आधुनिकीकरण धनराशि का लगभग 64% निर्धारित करने के कारण और अधिग्रहण एवं मरम्मत के लिए भारतीय नौसेना के लिए पूँजी परिव्यय के रूप में 33,000 करोड़ रु. का आवंटित करने के कारण, सरकारी परिव्यय से हमारी चल रही परियोजनाओं के नकद राशि प्रवाह और राजस्व प्राप्ति के लिए, और अधिक व्यावसायिक अवसर प्राप्त करने के लिए भी काफी मददगार है।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, निर्यात एक मुख्य ध्यान केंद्र क्षेत्र है और "निर्यात से हमें अनगिनत अवसर मिलते हैं"। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमें अपने लक्षित देशों से कुछ आकर्षक निर्यात आदेश प्राप्त होंगे।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों में सड़कों के लिए बुनियादी ढांचों के वित्तपोषण के अंतर्गत निवेश करने के कारण और भारत सरकार द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिज बनाने वाले हमारे अभियांत्रिकी प्रभाग को इन उभरते क्षेत्रों में नए-नए अवसर प्राप्त होते हैं और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नदी गामी जलयानों में संभावित तेजी लाने के लिए एक आबद्ध बाजार प्राप्त होता है।

निष्कर्ष टिप्पणी

हम अपनी संवर्धित परिचालन क्षमताओं, प्रौद्योगिकी अभिग्रहण और एक स्वस्थ आदेश पुस्तिका की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में, हम कल्पना करते हैं कि जीआरएसई, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाते समय, अपने हितधारकों की समृद्धि के लिए, वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में मूल्य निर्माण करेगा। आइए सकारात्मकता, उद्देश्य और जुनून के साथ हमारी कंपनी की आगे की यात्रा को गति प्रदान करें। जबकि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आइए अप्रत्याशित और अस्थायी समस्याओं जैसे वैश्विक महामारी से विचलित न हों और हमारी ऊर्जा को नष्ट करने वाले अनावश्यक मुद्दों की वजह से न भटकें।

मैं रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों और भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानित शेयरधारकों को उनकी आस्था और विश्वास के लिए दिल से अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आस्था और विश्वास उन्होंने हम पर किया है। अंत में, मैं टीम जीआरएसई के अथक प्रयासों और अविचलित प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ जिन्होंने ऐसे मुश्किल समय में कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करके दिखाया। निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और आस्था के कारण कंपनी को एक नियमित पाठ्यक्रम और स्थिर विकास पथ पर बने रहने में काफी मदद मिली है।

जय हिन्द

वी. के. सक्सेना
रियर एडमिरल, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी मूल्य प्रणाली

सभी स्थितियों में संगठनात्मक व्यवहार को निर्देशित करने के लिए जीआरएसई ने एक मूल्य प्रणाली विकसित की है और उससे संबंधित मूल्यों को अपनाया है।

निष्पक्षता

जीआरएसई अपने विक्रेताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों, व्यापार भागीदारों और ग्राहकों को अपने साथ बार-बार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को निष्पक्ष व्यावहार की एक मजबूत प्रसिद्धि बनाना चाहता है। कंपनी अपने आंतरिक और बाहरी व्यवहार में पूर्ण पारदर्शिता लाने के पथ पर मजबूती से अग्रसर है।

उदारता

उदारता का अर्थ है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में भाग लें। पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे कर्मचारी में प्रेरणा व निष्ठा बढ़ती है जिससे हम उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं।

उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

कंपनी अपनी पिछली उपलब्धियों से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती अपितु वह लगातार बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की कोशिश करती है, लगातार ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती है, परिचालन क्षमता को उन्नत करती है और संगठन में सभी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस मूल्य पर जोर आंशिक रूप से निकट भविष्य में व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक से प्रेरित है।

सामुदायिक भागीदारी

जीआरएसई की योजना अपने प्रचालन स्थल के आस पास के समुदाय व समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने की है।

नवोन्मेष

व्यापर में नवोन्मेषक लगातार उभरती हुई ग्राहक जरूरतों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम समाधान डिजाइन कर रहे हैं। नवोन्मेष द्वारा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए जीवन मूल्य निर्मित करती हैं। निरंतर नवोन्मेष से निगम को बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने में मदद मिलती है क्योंकि वो प्रतियोगियों से पहले उभरते अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। जीआरएसई ने इस मूल्य प्रणाली को अपने वर्तमान और भविष्य के कार्यों में दृढ़ता से लागू करने की योजना बनाई है।

कर्मचारी कल्याण चिंता

कर्मचारी अपने कैरियर को पैसा कमाने के एक साधन से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं। वे ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जिसे सच में उनकी परवाह है। कर्माचारी चाहते हैं कि पर्यवेक्षक उनके विचारों और चिंताओं को सुनें। वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा कैरियर मार्ग मिले जिसमें वे सीखते रहें, नए कौशल प्राप्त कर सकें और संगठन के साथ आगे बढ़ सकें। संगठन के सभी स्तर के प्रबन्धक चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन प्रौद्योगिक,मानव संसाधनों और धन की आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति की जाए। जीआरएसई की इस मूल्य प्रणाली को अपने भविष्य में भी जारी रखने की योजना है।

निदेशक मंडल

26 जुलाई, 2021 तक के अनुसार

1

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
सरकार द्वारा नामित निदेशक

3

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

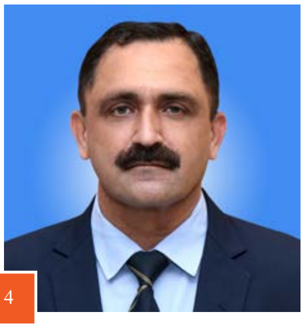

4

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)

5

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)

6

श्री आर. के. दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी. एफ. ओ

1

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास पैंतीस (35) वर्ष से अधिक का अनुभव है। उनकी नियुक्ति 1 मार्च 2017 से कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हुई और वे कम्पनी के समग्र प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) पूरा करने के पश्चात 05 मार्च, 1985 से भारतीय नौसेना में इकत्तीस (31) वर्षों से अधिक की कमीशंड सेवा की है। उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी है। उनके पास भारतीय नौसेना के विभिन्न संगठनों में कार्य करने का विविध अनुभव एवं एक्सपोजर है जिसमें ऑन बोर्ड फ्रंटलाइन युद्धपोतों, नेवल डॉकयार्डों, युद्धपोत अधिग्रहण एवं निर्माण कार्यक्रमों में प्रचालनात्मक नियुक्ति और भारतीय नौसेना के मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए शीर्ष स्तर पर परियोजना प्रबंधन शामिल है। नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (पोत उत्पादन) के रूप में उन्होंने भारतीय शिपयार्ड (डीपीएसयू एवं निजी) और विदेशी शिपयार्ड, दोनों में कई युद्धपोतों के निर्माण के लिए कई प्रमुख अनुबंधों का प्रबंधन करते हुए पोत निर्माण के विभिन्न पहलुओं को संभाला है।

2

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, आईएफओएस, संयुक्त सचिव (एनएस)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को 14 सितंबर, 2020 को हमारी कंपनी के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह बी.टेक और एम.टेक अहर्ता प्राप्त तथा पश्चिम बंगाल कैडर के 1996 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व में वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है, जैसे कि संभागीय वन अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक। उन्होंने 7 वर्षों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में, वह रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में कार्यरत हैं।

3

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी को 15 अगस्त 2018 से जीआरएसई के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे पेशे से एक होमिओपैथिक डॉक्टर हैं।

4

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

निदेशक (पोतनिर्माण)

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), के पास सैंतीस (37) वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होने 16 दिसंबर 2017 को कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला। वे जीआरएसई के पोत निर्माण विभाग का नेतृत्व करते हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने भारतीय नौसेना में 01 जुलाई, 1982 से पैंतीस (35) वर्षों से अधिक की कमीशंड सेवा की है। उनके पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस और बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी की डिग्री है। उन्होंने आईआईटी, दिल्ली से मैकेनिकल उपकरणों के डिजाइन में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर की उपाधि प्राप्त की।

5

कोमोडोर पी आर हरि, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)

निदेशक (कार्मिक)

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होने 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला और जीआरएसई के मानव संसाधन एवं तकनीकी कार्यों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल है। उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एवं नेवल वार कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं।

6

श्री रमेश कुमार दाश

निदेशक (वित्त) एवं मु. वि. अ

श्री रमेश कुमार दाश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सम्बद्ध सदस्य, कॉमर्स में मास्टर एवं विधि स्नातक हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री दाश एचएएल, बैंगलोर में कार्यरत थे। उनके पास वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का करीब 29 वर्षों का अनुभव है। श्री रमेश कुमार दाश नें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के निदेशक (वित्त) एवं मु. वि. अ के रूप में 01 जुलाई, 2020 को पदभार संभाला।

वित्तीय वर्ष 21 की प्रमुख विशेषताएँ

क्षमता वृद्धि

₹ **154** करोड़

वित्तीय वर्ष 20 में 52 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में कैपेक्स 154 करोड़ रु.

2

हॉल ब्लॉक फेब्रिकेशन शेड का आरबीडी में प्रवत्तीकरण किया गया।

250 टन

गोलीयथ क्रेन पुन: स्थापित किया गया।

पोत जलावतरण

पी17 अल्फ़ा फ्रीगेट

लगभग 6,670 टन के विस्थापन के साथ सबसे बड़ा और सबसे उन्नत फ्रीगेट का जलावतरण।

पोत सुपुर्दगी

एलसीयू लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत

भारतीय नौसेना को 8वां और अंतिम एलसीयू लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत सुपुर्द किया गया।

5वां एफपीवी भारतीय तटरक्षक को सुपुर्द किया गया।

सेशेल्स सरकार को **फ़ास्ट पेट्रोल वेसल निर्यात किया गया।**

प्रौद्योगिकी

उर्जा भंडारण समाधान

ऊर्जा भंडारण समाधान के डिजाइन विकास एवं एकीकरण में सहायता हेतु मैसर्स स्टर्लिंग प्लान बी, वैंकूवर, कनाडा के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

जीआरएसई ने आईआईटी हैदराबाद के इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप 'एसयूबीटीएल.एआई' के सहयोग से एआई सक्षम डिजाइन सहायक "जिज्ञासा" सफलतापुर्वक विकास किया।

होवरक्राफ्ट डिजाइन

मंडल ने सिद्ध होवरक्राफ्ट और प्रदर्शक वेसल का एक पूर्ण डिजाइन प्राप्त करने की योजनाओं को मंजूरी दी।

सुरक्षा

हमारे पांच यूनिटों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम उच्च सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए।

निर्यात

₹87.49 करोड़

कुल 87.49 करोड़ रुपये का निर्यात आदेश निष्पादित किया गया।

12.73 मिलियन यूएसडी

गुयाना गणराज्य से 01 ओशन गोइंग पैसेंजर एवं कार्गो फेरी वेसल की आपूर्ति हेतु 12.73 मिलियन यूएसडी का निर्यात आदेश प्राप्त हुआ।

10 वर्ष की वित्तीय विशेषताएं

(लाख रु. में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वित्तीय स्थिति:										
इक्विटी शेयर पूंजी	12384	12384	12384	12384	12384	12384	11455	11455	11455	11455
आरक्षित एवं अधिशेष	63872	73948	83196	84391	101042	95767	90698	92376	92568	102257
शुद्ध लाभ	76256	86332	95580	96775	113426	108151	102154	103831	104023	113712
नियोजित पूंजी	60062	75907	91667	90810	110613	98112	102154	103831	104023	113712
सकल ब्लॉक	30829	42732	53387	56381	56640	60454	47233	39959	43081	49614
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	17481	27979	36548	36574	34370	35834	38917	30225	30369	34020
कार्यकारी पूंजी	42582	47928	55119	54236	76243	62278	60249	68476	56100	54298
प्रचालन परिणाम:										
बिक्री	54506	46434	30819	230805	30668	22162	23390	14677	12968	51573
उत्पादन मूल्य	129253	152915	161167	161266	166075	92784	134552	137877	142470	113276
संयोजित मूल्य	49613	49609	50463	47702	48182	30018	41923	44217	45578	46641
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	16935	19315	18723	7602	24915	2089	12775	17896	22387	20712
कर हेतु प्रावधान	6132	6161	6577	3257	8710	865	3535	6902	6039	5365
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	10803	13154	12146	4345	16205	1223	9240	10994	16348	15347
विनियोजन:										
सीएसआर आरक्षित	10			2		94				
सामान्य आरक्षित	1079	1315	1215	435	1607	15619	6065	6,065	6065	
इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश	2477	2631	2477	2477	5322	5408	5080	7,961	8179	5728
प्रस्तावित लाभांश पर कर	402	447	421	504	1083	1101	1034	1636	1352	
अनुपात:										
सकल लाभ/नियोजित पूंजी	0.28	0.26	0.21	0.08	0.22	0.02	0.13	0.17	0.22	0.18
कर से पूर्व लाभ/ उत्पादन (वीओपी)	0.13	0.13	0.12	0.05	0.15	0.02	0.10	0.13	0.16	0.18
उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी	2.15	2.01	1.76	1.78	1.46	0.86	1.32	1.33	1.37	1.00
संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी)	0.38	0.32	0.31	0.30	0.29	0.34	0.31	0.43	0.44	0.41
कर्मचारियों की संख्या	3792	3491	3133	2834	2592	2401	2214	2100	1973	1900

कुल बिक्री (करोड़ रु. में)

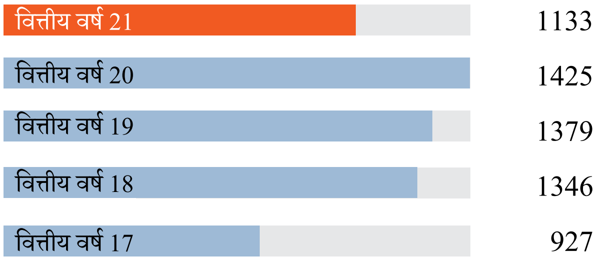

कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में)

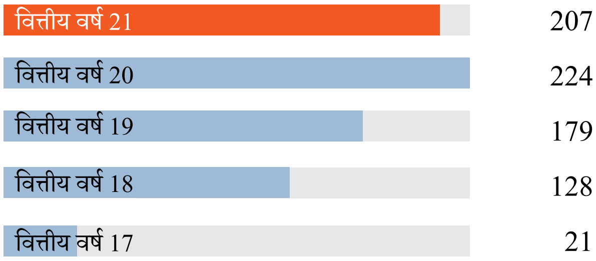

कर पश्चात लाभ (करोड़ रु. में)

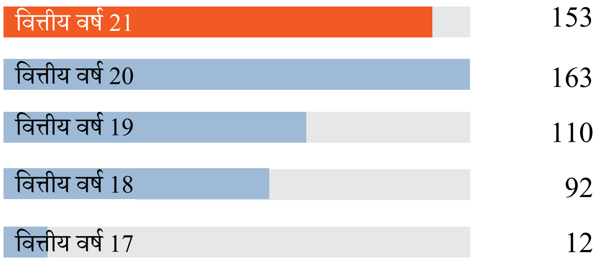

लाभांश (करोड़ रु. में)

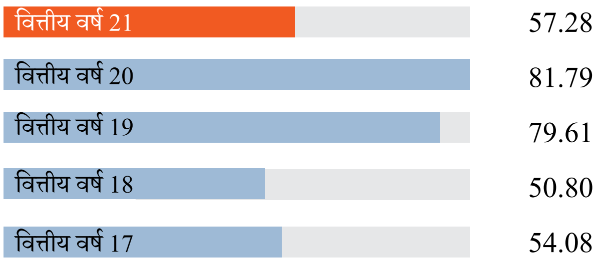

शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)

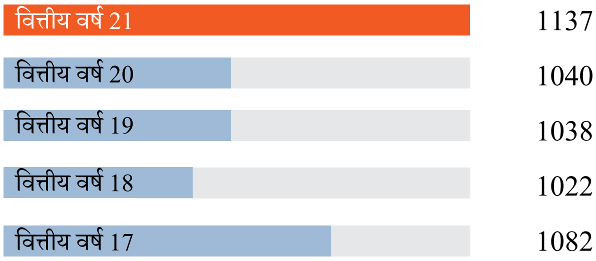

जनशक्ति (सं.) (करोड़ रु. में)

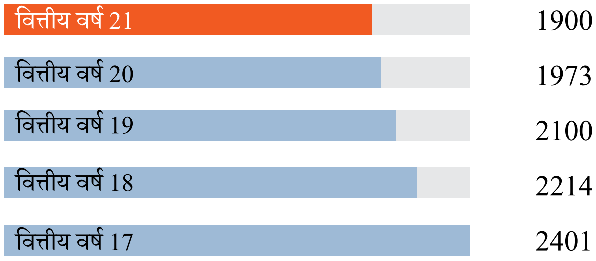

ईबीआईटीडीए मार्जिन वित्तीय वर्ष 20 में 15.39% के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर 17.98% हो गया है।

वित्तीय वर्ष 20 में 13% के मुकाबले पीबीटी मार्जिन बढ़कर 16% हो गया है

वित्तीय वर्ष 20 में 3.44 गुना अधिक परिचालन लाभ

गत वर्ष की तुलना में 9% शुद्ध लाभ

गत वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी संयोजित मूल्य वर्धन 9% तक

प्रतिस्पर्धी ताकतें

गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलीवरी हेतु आधुनिक विनिर्माण मंच एवं एकीकृत पोत निर्माण सविुधाएं

जीआरएसई की विशाल तकनीकि विशेषज्ञता के साथ नवोन्नत सुविधाएं, कंपनी को अन्य रक्षा शिपयार्डों पर महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं सूचना प्रोद्योगिकी के अंगीकरण से अपने विनिर्माण एवं अन्य कार्यात्मक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया है। कंपनी अपनी सुविधाओं में आठ बड़े पोत एवं बारह मध्यम/छोटे पोतों का निर्माण एक साथ कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने नए हल शॉप, मेगा ब्लॉक इंटीग्रेशन हेतु मॉड्यूल शॉप, ड्राई डॉक एवं बिल्डिंग बर्थ का निर्माण किया है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ मजबूत एवं स्थापित संबंध

आईएनएस अजय 1961 में भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत था तब से कंपनी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ संबंध स्थापित कर रखें हैं। कंपनी ने आज तक भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और मैत्रीपूर्ण देशों को 107 युद्धपोत की डिलीवर की है। शिपयार्ड ने मैरिटाइन सुरक्षा के लिए 780 से अधिक जलयानों को निर्मित और आपूर्ति की है।

मजबूत डिजाइन क्षमताएं और एंड टू एंड समाधान प्रदान करना

जीआरएसई के पास एक समर्पित केंद्रीय डिजाइन कार्यालय (सीडीओ) है जहाँ 100 सदस्यों की अत्याधिक कुशल वर्कफोर्स डिजाइन, अनुसंधान और विकास का कार्य करते है। सीडीओ टीम विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करती है, जिसमें अवीवा मरीन, नेवल आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए एनएपीए, ड्राफ्टिंग कार्य के लिए ऑटोकैड और संरचनात्मक विश्लेषण हेतु अन्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सीडीओ की इस समर्पित टीम ने कई जटिल युद्धपोत डिजाइनों को अंजाम देने हेतु अभिनव उपाय खोजे हैं। यह अपने ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पाद अवधारणा, डिजाइन, सिस्टम एकीकरण और परियोजना प्रबंधन में एंड टू एंड समाधान प्रदान करती है।

मजबूत आदेश पुस्तिका

31 मार्च 2021 तक के अनुसार कंपनी की आदेश पुस्तिका रू. 25,707 करोड़ की थी जिसमें पोतनिर्माण प्रभाग के लिए रू. 25,450 करोड़ और इंजीनियरिंग एवं इंजन प्रभाग के लिए रू. 252 करोड़ के आदेश शामिल है।

व्यवसाय विविधता

पोत निर्माण के लिए मुख्य विनिर्माण गतिविधियों के अलवा, कंपनी अपने ग्राहकों को पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें, पंप और इंजन सहित विविध उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास एक समर्पित डेक मशीनरी उपकरण सुविधा और एक इंजन असेंबलिंग और परीक्षण सुविधा है, ये दोनों पोत निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन है जो कंपनी को अधिक कुशल समय से पोतों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।

मेक इन इंडिया पहल

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों के निर्माण के अनुबंध को हासिल करने में वैश्विक शिपयार्ड पर कंपनी का फायदा है : यह डीपीपी के तहत 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है। 'मेक इन 'इंडिया' पहल से स्वदेशी निर्माताओं को घरेलू बाजार में आपूर्ति करते समय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। एमओडी ने पूंजी खरीद के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक कंपनी के रिपीट ग्राहक हैं, और ये घरेलू बाजार का हिस्सा हैं और इसलिए कंपनी को कुछ परिस्थितियों में वैश्विक शिपयार्ड पर वरीयता मिलती है।

अनुभवी कार्यबल

कंपनी के पास उसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम सहित एक योग्य और अनुभवी कार्यबल है, जिसमें तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। उनके पास पोत निर्माण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, आदेश प्रबंधन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और बिक्री पश्चात सेवाओं में व्यापक अनुभव है।

पोत निर्माण

मेन वर्क्स

मेन वर्क्स जीआरएसई के संचालन का केंद्र है। मेन वर्क्स का केंद्र बिंदु कोलकाता में स्थित एकीकृत पोत निर्माण सुविधा है। लगभग 48 एकड़ भूमि में फैली सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है जिसमे 10,000 डीडब्ल्यूटी लॉचिंग क्षमता का एक ड्राई डॉक और 4,500 डीडब्ल्यूटी क्षमता का एक इंक्लाइंड बर्थ है। इन दोनों में पोर्टेबल शेल्टर भी है। इस संयंत्र में 200 टन तक के बड़े पूर्वनिर्मित ब्लॉक, ब्लास्ट और पेंट सेल, दो अतिरिक्त रिवर जेटी आदि के निर्माण के लिए मॉड्यूल हॉल भी शामिल है। 80 x 25 x 8 मीटर के पूरी तरह से ढके हुए गैर-ज्वारीय वेट बेसिन जिनमे 2 x 10 टन ईओटी क्रेन है जो मध्यम और छोटे पोतों के लिए उपयोगी है और 160 x 25 x 8 मीटर ड्राई डॉक जिनमें 2 x 40 टन गोलियाथ क्रेन है जो पोतों के निर्माण और मरम्मत हेतु उपयोगी है। बिल्डिंग बर्थ का माप 180 x 25 मीटर है और यह 2 x 40/10 टन क्रेन और सहायक फैब्रिकेशन शॉप से सुसज्जित है।

दो (2) नदी जेटी जो 60 मीटर तक के जलयानों की बर्थिंग में सक्षम हैं और छोटे जलयानों की आउट-फिटिंग / मरम्मत के लिए अनुकूल हैं। अतिरिक्त सुविधाएं- फास्ट इंटरसेप्टर बोट के निर्माण के लिए बोट शेड। दो वातानुकूलित और आर्द्रता-नियंत्रित शॉप जिनकी छ: खण्डों वाली 18 से 40 मीटर तक की लंबाई है, जो 20 मीटर तक के क्राफ़्ट बनाने में सक्षम हैं।

फ़िटिंग आउट जेटी

फ़िटिंग आउट जेटी (एफओजे) कोलकाता, भारत में 18 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। यह पोतों की फ़िटिंग और मरम्मत के लिए समर्पित है। एफओजे यूनिट में निम्न सुविधाएं शामिल है: नेवल कॉम्प्लेक्स जेटी (229 x 10 x 8 मीटर, एक 25 टन टॉवर क्रेन के साथ), फिंगर जेटी (184.50 x 11.43 x 7 मीटर, एक 15 टन लेवल लफिंग क्रेन के साथ)। हालांकि मुख्यत: ये बड़े पोतों के लिए है परंतु हमारी एफओजे यूनिट छोटे,मध्यम और बड़े पोतों को फिट करने में सक्षम है। यहाँ एक साथ चार (4) बड़े पोतों को फिट किया जा सकता है।

राजाबगान डॉकयार्ड

राजाबगान डॉकयार्ड कोलकाता में 550 मीटर ओपन रिवर फ्रंट के साथ 31.15 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक साथ तीन (3) 50 मीटर-आकार के पोतों का प्री-लॉचं और चार (4) पोतों की पोस्टलॉन्च आउटफिटिंग ओपन रिवर के पास कर सकता है। राजाबगान डॉकयार्ड में सुविधाओं में एक (1) ड्राई डॉक शामिल है जो 4 मीटर तक के ड्राफ़्ट पोतो को समायोजित कर सकता है।

पोत निर्माण क्षमताएँ

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में ग्राहकों के लिए जलयानों के निर्माण में लगा हुआ है। जीआरएसई द्वारा निर्मित उत्पादों में अधिकांश केंद्र और राज्य सरकारों और ऐसी सरकारो के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संस्था में आपूर्ति के लिए हैं। कंपनी के मुख्य राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोत निर्माण से प्राप्त होता है।

फ्रिगेट

एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोर्वेट

कोर्वेट मिसाइल

लैंडिंग शिप टैंक

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी

सर्वे वेसल

फ्लीट टैंकर

ऑफशोर पेट्रोल वेसल

होवर क्राफ्ट

इनशोर पेट्रोल वेसल

वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट

फास्ट इंटरसेप्टर बोट

नीचे उल्लेखित पोतनिर्माण उत्पादों के अतिरिक्त, जीआरएसई ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न जलयानों,पोण्टूंस, बार्ज,सेलिंग डिंग्ही,फिशिंग ट्रॉलर,फायर फ्लोट,टग,ड्रेजर,पैसेंजर फेरी,मोटर कटर,डेक व्हेलर,लॉन्च आदि की आपूर्ति अन्य विभिन्न ग्राहकों को भी की है।

हमारा व्यवसाय

इंजीनियरिंग

61 पार्क यूनिट

61 पार्क यूनिट भारत के कोलकाता में 11.07 एकड़ भूमि पर स्थित है। 61 पार्क यूनिट पोर्टेबल स्टील ब्रिज उत्पादन करने वाली हमारी मुख्य यूनिट है। यहाँ पोत डिजाइन कार्यालय, लागत आकलन और निगमित योजना एवं वाणिज्यिक विभाग भी है।

तारातला यूनिट

तारातला यूनिट में डेक मशीनरी मदों का निर्माण किया जाता है। यह यूनिट कोलकाता में 3.39 एकड़ भूमि पर स्थित है। तारातला यूनिट सभी प्रकार के डेक मशीनरी उपकरण और नौसैनिक पंपों के निर्माण, संयोजन, परीक्षण और जाँच में लगी हुई है। डेक मशीनरी यूनिट वर्तमान में रेल-लेस हैलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम, बोट डेविट, एंकर, मूरिंग और डेक कैप्टन, एंकर विंडलेस और विनचेस की आपूर्ति कर रही है।

हमारा व्यवसाय

डीजल इंजन प्लांट

डीजल इंजन संयंत्र (डीईपी) रांची, झारखंड में स्थित है और 62 एकड़ भूमि पर स्थित है। यूनिट में समुद्री इंजन शामिल थे। यह यूनिट पोर्टेबल स्टील पुलों के उत्पादन की सुविधा भी प्रदान करती है।

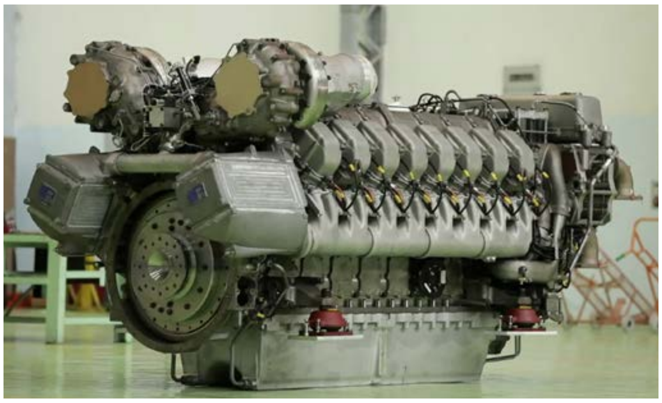

जीआरएसई का पर्यावरण उत्तरदायित्व

कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध है और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु स्वच्छ और हरित कार्य पर्यावरण के तहत सभी बहिर्वर्ती यूनिटों में आवधिक आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित कराती है।

हाइलाइट

सौर क्षमता स्थापित

1300 केडब्ल्यूपी

वित्तीय वर्ष 22 के लिए अतिरिक्त सौर लक्षित

200 केडब्ल्यूपी

ऊर्जा की बचत

13,30,300 केडब्ल्यूएच

ऊर्जा स्रोतों

सीईएससी

90%

सौर

10%

लक्ष्य: 2025 तक सौर ऊर्जा

20%

प्रमुख ऊर्जा पहल

वीएफडी ड्राईवर्स

रीजनरेटिंग ब्रेकिंग मैकेनिज्म को अपनाते हुए ओवरहेड और गैन्ट्री क्रेन के मोटरों हेतु ऊर्जा कार्यक्षमता वीएफडी ड्राइव की स्थापना, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध नियंत्रित पारंपरिक मोटर्स की तुलना में 50% ऊर्जा की खपत लगभग कम हो गई।

खगोलीय टाइमर यूनिट

कार्यालय भवन में सामान्य कार्यकाल और छुट्टियों के बाद बिजली बंद करना सुनिश्चित करने हेतु खगोलीय स्वचालित टाइमर लगाए गए हैं। यह परिवर्तन न केवल विद्युत ऊर्जा की बचत करता है बल्कि विशेष रूप से मूक घंटों के दौरान विद्युत आग के खतरे की संभावना को भी कम करता है।

पीआईआर सेंसर

यार्ड के विभिन्न स्थानों पर रोशनी नियंत्रण के लिए 500 सं. का पैसिव इन्फ्रारेड मोशन सेंसर स्विच लगाए गए हैं। ये सेंसर किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति में सामान्य क्षेत्र की रोशनी के ऑटो स्विचिंग को सुनिश्चित करते हैं जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

एल.ई.डी. लाइटें

सभी पारंपरिक लाइटों को चरणबद्ध तरीके से समान एलईडी फिटिंग में बदला जा रहा है। इसमें उत्पादन और गैर-उत्पादन क्षेत्रों में वांछित प्रकाश तीव्रता से समझौता किए बिना पैनल लाइट, फ्लड लाइट ट्यूब लाइट, समान एलईडी फिटिंग के साथ तापदीप्त लैंप को बदलना शामिल है। अब तक सभी 05 यूनिटों में कुल 10069 एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त ऊर्जा संरक्षण हुआ है।

5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनिंग यूनिटों

कार्यालय स्थानों में सभी नॉन-स्टार/विंटेज एसी को 5-स्टार रेटेड एसी से बदला जा रहा है, इससे ऊर्जा की पर्याप्त बचत हुई है।

सौर पेनल्स

जीआरएसई की विभिन्न यूनिटों के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों स्थापित किए गए हैं। ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों के बिजली के लिए एवं रविवार और छुट्टियों में सीईएससी को उपयोगिता हेतु बिजली वापस देना के लिए राज्य विद्युत बोर्ड (सीईएससी लिमिटेड) के साथ कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक के तिथि के अनुसार स्थापित कुल क्षमता 1300 केडब्ल्यूपी है। इससे सालाना करीब 80 लाख रुपये की बचत हुई है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग मैकेनिज्म को अपनाने वाले अतिरिक्त (ए) ओवरहेड और गैन्ट्री क्रेन के मोटर्स हेतु ऊर्जा कुशल वीएफडी ड्राइव की स्थापना, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध नियंत्रित पारंपरिक मोटर्स की तुलना में लगभग 50% ऊर्जा की खपत होती है।

सेंट्रल एसी का उपयोग

नए कार्यालय स्थानों को बेहतर दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों की दिशा में केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम के तहत कवर किया जा रहा है।

बिजली वाहन

14 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में हाल ही में हरित पहल के हिस्से के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के विनिमय के लिए खरीदे गए हैं।

बायोगैस संयंत्र

वर्ष 2018-19 में 13.86 लाख रुपए की लागत से 150 किलोग्राम/दैनिक क्षमता का बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था। कैंटीनों में खाना पकाने के उद्देश्य से बायो गैस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जिससे खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना भा. नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा. नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)

रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(01 जुलाई 2020 से)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, आईएफ़ओएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(14 सितंबर 20 से)

भारत भूषण
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(14 सितंबर 2020 तक)

कंवलजीत देओल, आईपीएस (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(14 सितंबर 2020 तक)

रियर एडमिरल इदंर पॉल सिहं बाली,
एवीएसएम, वीएसएम, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक
(08 मार्च 2020 तक)

डॉ. बिश्वप्रिय रॉय चौधुरी
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुब्रत दास, आईपीओएस

स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर

श्री गिरीश शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त)
श्री आर कुप्पन, आईआरएसएमई (सेवानिवृत्त)

वरिष्ठ प्रबंधन

सिद्धार्थ रॉय
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

वेंकटेश मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कमोडोर राजीव श्रीधरण, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (डिजाइन)

कमोडोर रजत मंचन्दा भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पी पी एवं सी)

डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (एसएस एवं आरपी,बीबी एवं डीईपी)

कमांडर बी सेनगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (क्यूए,वीडी एवं आईईपी)

कैप्टन पी सुनीलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (सीई एवं सीपी)

एस श्रीनिवास
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

कमांडेंट ए के विश्वास, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (आरबीडी)

कमांडर ए के महापात्र, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी – 17 ए)

श्री गुलशन रतन
महाप्रबंधक (डिजाइन)

कमांडर एम के विश्वास, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक

श्री सुजय चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (एनसीएम)

कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अपर महाप्रबंधक (तारातला यूनिट)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री संदीप महापात्र

बैंकर

भरतीय स्टेट बैंक
पीएनबी
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
इंडियन बैंक
यस बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स मुखर्जी विश्वास एवं पाठक
चार्टरित लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी
अभ्यासरत कंपनी सचिव

लागत लेखापरीक्षक

मैमर्स मऊ बनर्जी एंड कंपनी.

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

जीआरएसई भवन,
61,गार्डन रीच रोड
कोलकाता – 700 024
सीआईएन संख्या – L35111WB1934GO1007891
वेबसाइट : www.grse.in

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

अत्यंत हर्ष के साथ हम आपकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

विषय सूची

वित्तीय प्रदर्शन 26

वर्ष के दौरान प्रदर्शन 29

भावी दृष्टिकोण 35

विक्रेता विकास 36

मानव संसाधन एवं प्रशासन 38

निगमित शासन 41

वित्तीय प्रदर्शन

एक सदी से भी अधिक समय में दुनिया ने जिस अशांत समय को देखा है, उसके मध्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

आपकी कंपनी वित्तीय सुधार के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी और अनुवर्ती तिमाहियों में महामारी के प्रभाव को कम करने में सक्षम थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने ईबीआईटीडीए मार्जिन और पीएटी मार्जिन में क्रमशः 16.85% और 17.94% का वित्तीय स्थिति में सुधार दर्ज किया, हालांकि प्रचालन राजस्व वित्त वर्ष के 1,433 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,141 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1.01 करोड़ के मुकाबले वर्ष के दौरान ₹ 87.49 करोड़ की निर्यात बिक्री भी हासिल किया।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2019-20 के लिए प्रचालन परिणाम :

(करोड़ रू में)

विवरण	2020-21	2019-20
उत्पादन का मूल्य	1,132.76	1,424.70
परिचालन से कुल राजस्व	1,140.84	1,433.30
मूल्यह्रान्स,ब्याज और कर पूर्व लाभ	238.91	255.29
वित्त लागत	0.43	1.34
मूल्यह्रास	29.09	30.09
असाधारण वस्तुओं एवं कर पूर्व लाभ	227.87	234.48
असाधारण वस्तु	(20.75)	(10.61)
कर पूर्व लाभ	207.12	223.87
कर व्यय	53.65	60.39
कर पश्चात लाभ	153.47	163.48
अन्य व्यापक आय (कुल कर)	3.56	(11.86)
कुल व्यापक आय	157.03	151.62

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 की वित्तीय स्थिति :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31 मार्च 21 तक के अनुसार	31 मार्च 20 तक के अनुसार
नियोजित पूंजी	1,137.12	1,040.23
सकल खंड	496.14	430.81
शुद्ध खंड	340.20	303.69
कार्यशील पूंजी	542.98	560.78
निवल मूल्य	1,137.12	1,040.23
वर्धित मूल्य	466.41	455.78

विवरण	31 मार्च 21 तक के अनुसार	31 मार्च 20 तक के अनुसार
उत्पादन का मूल्य	1,132.76	1,424.70
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	227.87	234.48
असाधारण वस्तु	(20.75)	(10.61)
कर पूर्व लाभ	207.12	223.87
अनुपात (%)		
ब्याज और कर पूर्व लाभ: नियोजित पूंजी (%)	18.25	21.65
कर पश्चात लाभ : शुद्ध मूल्य (%)	13.50	15.72
सकल लाभ : पूंजी नियोजित	18.21	21.52
कर पूर्व लाभ : उत्पादन का मूल्य	18.28	15.72
उत्पादन का मूल्य : नियोजित पूंजी	99.62	136.96
विविध देनदार : उत्पादन का मूल्य	15.73	37.57

दक्षता अनुपात (%)	वित्त वर्ष-21	वित्त वर्ष-20
पीबीटी मार्जिन	18.16	15.62
पीएटी मार्जिन	13.45	11.41
देनदार आवर्त	15.61	37.35
मूल ईपीएस	13.40	14.27

उत्पादन मूल्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, आपके कंपनी का उत्पादन मूल्य ('वीओपी') गत वर्ष के 1,32.76 करोड़ की तुलना में 1,424.70 करोड़ प्राप्त किया गया। तीन प्रभागों के लिए तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार हैं :

(करोड़ रू. में)

वर्ष	पोत डिवीजन	इंजीनियरिंग डिवीजन	इंजन डीवीजन	कुल
2020-21	1,048.02	66.69	18.05	1,132.76
2019-20	1,345.31	35.28	44.11	1,424.70

निवल मूल्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मार्च 2021 तक आपके कंपनी का निवल मूल्य गत वर्ष 31 मार्च 2020 के 1,137.12 करोड़ की तुलना में 1,040.23 करोड़ रू रिपोर्ट किया गया।

मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान मूल्य संवर्धन गत वर्ष के 455.78 करोड़ रू के मुकाबले 466.41 करोड़ रू था। प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन गत वर्ष के 23.07 लाख की तुलना में 24.56 लाख था।

विनियोग

वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को डिस्पोजेबल अधिशेष से निम्नलिखित विनियोग की सिफारिश करते हुए हर्ष हो रहा हैं :

(करोड़ रू. में)

कर पश्चात लाभ	153.47
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर	3.56
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	157.03
कम:	
पेड-अप कैपिटल पर वित्त वर्ष 2019-20 का लाभांश	16.04
वित्त वर्ष 2020-21 का अंतरिम लाभांश	44.10
लाभ और हानि के विवरण में शेष राशि	96.89

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजकोष में आयकर,कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के माध्यम से रू 41.49 करोड़ का योगदान दिया है।

डीआईओ/ आईडीईएक्स में योगदान

कंपनी को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से नवंबर 2018 में, रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) को 10 करोड़ रू के प्रारंभिक योगदान के लिए एक पत्र मिला था। तदनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश: `356.35 लाख रू तथा `321.83 लाख रू का योगदान दिया। 321.83 लाख रू की शेष राशि का योगदान कंपनी के सामर्थ्य के आधार पर अनुवर्ती वर्षों में की जाएगी।

लाभांश

माननीय रक्षा मंत्री को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश चेक प्रदत्त

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 43 ए के तहत, शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाएं लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) और डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) द्वारा जारी सेबी (एलओडीआर) विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट http://www.grse.in/pdf/investors/GRSE%20 %20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

09 फ़रवरी 2021 को निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद, आपकी कंपनी ने 10/- के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटि शेयर के लिए 3.85/- रू के प्रति शेयर मूल्य के अंतरिम लाभांश का भुगतान, प्रत्येक शेयरधारक को जो 18 फ़रवरी 2021 तक सदस्यों के रूप में रजिस्टर थे किया गया, इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि तय की जा रही है। इसके बाद, मण्डल ने 17 मई 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक 10/- रू के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटि शेयर के लिए प्रति शेयर 1.15/- के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, तो प्रति इक्विटी शेयर 5/- रू होगा।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 को नोवेल कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम महीने में, कोविड-19 महामारी तेजी से बढ़ते हुए एक वैश्विक संकट बन गया जिससे सरकारों को सभी आर्थिक गतिविधियों पर लॉक-डाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने देश भर में, चरणबद्ध तरीके से, कठोर लॉकडाउन लगाया था, जिससे विनिर्माण गतिविधियों, और मजदूरों की भागीदारी वाली पोत निर्माण गतिविधि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन सम्बन्धी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ने 23 मार्च 2020 से सम्पूर्ण लॉक डाउन लगा दिया। लगभग 75 दिनों के लॉक डाउन के बाद, 8 जून 2020 को चरणबद्ध तरीके से आंशिक रूप से उत्पादन गतिविधियों की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग सम्बन्धी नियमों और कोविड प्रोटोकल का पालन करते हुए कम संख्या में और शिफ्टों में कर्मचारियों को काम पर बुलाया गया।

वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के आरम्भ में, भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैलने लगी। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए लॉक डाउन

प्रतिबंधों के कारण उत्पादन गतिविधियों के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

कंपनी ने इन परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक प्रबंधन को ज्ञात कोविड-19 के संभावित प्रभावों और संबंधित आतंरिक और बाहरी कारकों को ध्यान में रखा है। तदनुसार, प्रबंधन, इस महामारी के विकास और कंपनी की वित्तीय अवस्था, तरलता और परिचालन पर वर्तमान महामारी के परिणामस्वरूप पड़ सकने वाले संभावित प्रभावों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और इस अप्रत्याशित परिस्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

कंपनी, लम्बी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को लागू कर रही है। कोविड-19 के कारण कंपनी के भौतिक प्रदर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक हो सके, भौतिक प्रदार्शन में देरी को रोकने के लिए शमन योजनाएं तैयार की गई हैं।

समझौता ज्ञापन रेटिंग

आपकी कंपनी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ हर वर्ष एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रही है। एमओयू 2019-20 मूल्यांकन के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन को "बहुत अच्छी" रेटिंग मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन समझौते में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी को 2020-21 के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए **"उत्कृष्ट"** रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

निदेशक रिपोर्ट

वर्ष के दौरान प्रदर्शन

पोत निर्माण

पोत उत्पादन और सुपुर्दगी

पोतों की सुपुर्दगी: आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष **2020-21** के दौरान भारतीय नौसेना / भारतीय तटरक्षक को निम्नलिखित दो **(2)** पोतों की सुपुर्दगी किया है।

क्रम संख्या	पोत	यार्ड	सुपुर्दगी
1	आईसीजीएस कनकलता बरुआ (5वां एफपीवी)	2117	9 जून 20
2	एल-58 (8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी)	2099	31 दिसंबर 20

आई एन एस कनकलता बरुआ का प्रवर्तिकरण

भा. नौ. एल सी यू – 58 का प्रवर्तिकरण

वर्ष के दौरान, जीआरएसई ने सेशेल्स की सरकार (जीओएस) को भी एक (1) पोत (फास्ट पैट्रोल वेसल) का वितरण किया है जिससे वर्ष के दौरान कुल तीन (3) पोतों का सुपुर्दगी हुआ है।

क्रम संख्या	पोत	यार्ड	तिथि
1	एससीजी पीएस ज़ोरोस्टर (4वां एफपीवी)	2116	15 फरवरी 21

एलसीयू परियोजना की पूर्णता: वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने क्लास के अंतिम पोत का सुपुर्दगी करके एलसीयू मार्क-4 परियोजना को पूरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 31 दिसंबर 2020 को जीआरएसई द्वारा भारतीय नौसेना को यार्ड 2099, (एलसीयू एल-58) सौंपा गया।

इन एलसीयू क्लास मार्क-4 पोतों की पूरी डिजाइन, भारतीय नौसेना द्वारा विनिर्देशित आवश्यकताओं के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा इन-हाउस तरीके से विकसित की गई है। इन पोतों में 90% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिससे एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि आपकी कंपनी, भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

एलसीयू पोतों की कमीशनिंग: सिर्फ इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा निर्मित, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) परियोजना के सातवें और आठवें पोत, आईएन एलसीयू एल-57 और आईएन एलसीयू एल-58 को पोर्ट ब्लेयर में क्रमशः 15 मई 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. राजेश्वर, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, सीआईएनसीएएन द्वारा और 18 मार्च 21 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, एवीएसएम, वीएसएम, सीआईएनसीएएन द्वारा प्रवर्तिकरण किया गया।

भारतीय तटरक्षक को फास्ट पैट्रोल वेसल की सुपुर्दगी : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 9 जून 2020 को जीआरएसई द्वारा फास्ट पैट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में पांचवे पोत, यार्ड 2117 की सुपुर्दगी किया गया। इस पोत को डीआईजी आर. एच. नंदोड़कर, टीएम, सीएसओ (टेक) (एनई) और जीआरएसई तथा भारतीय तटरक्षक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय तटरक्षक को सौंपा गया।

आप देख सकते हैं कि इस पोत को सुपुर्द, कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉक डाउन के बाद आपकी कंपनी के फिर से खुलने के ठीक एक दिन बाद किया गया। आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी के बावजूद यह कीर्तिमान स्थापित किया है और इस कठिन समय के दौरान इस पोत के सुपुर्द से, इस शिपयार्ड की निष्ठा, समर्पण, कड़ी मेहनत और ध्यानकेन्द्रित दृष्टिकोण का संकेत मिलता है।

भारतीय महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सहयोग: इस वर्ष के दौरान सेशेल्स की सरकार को एफपीवी यार्ड 2116 को सौंपकर आपकी कंपनी ने

एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 3 फरवरी 2021 को सेशेल्स की सरकार के साथ 1 एफपीवी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया और सेशेल्स तटरक्षक के मनोनीत प्रतिनिधि, भारतीय नौसेना को 15 फरवरी 21को यह पोत सौंपा गया। इस पोत का नाम बदलकर "एससीजी पीएस ज़ोरोस्टर" करने के बाद 8 अप्रैल 21 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में सेशेल्स के तटरक्षक को सुपुर्द किया गया।

आईएनएस कवरत्ती की कमीशनिंग: जीआरएसई द्वारा निर्मित चार एंटी-सबमरीन वारफेयर कोर्वेट्स (एएसडब्ल्यूसी) की श्रृंखला के अंतिम पोत, "आईएनएस कवरत्ती" को 22 अक्टूबर 20 को थलसेना कर्मचारी प्रमुख, जनरल एम. एम. नरवने, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी द्वारा विशाखापट्टनम में प्रवर्तिकरण किया गया।

पोतों का जलावतरण

आपकी कंपनी ने फ्रिगेट पी-17ए परियोजना के प्रथम पोत, यार्ड 3022 को, निर्धारित समय से पहले, जलावतरण करके एक और कीर्तिमान स्थापित किया। यह जीआरएसई के लिए गर्व का क्षण था जब 14 दिसंबर 2020 को चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी की उपस्थिति में, श्रीमती मधुलिका रावत द्वारा यार्ड 3022 को जलावतरण किया गया।

शिलान्यास

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित पोतों के शिलान्यास किया गया : -

क्रं. सं.	परियोजना	यार्ड	तिथि
1	2सरा सर्वेक्षण जलयान (बड़ा)	3026	1 दिसंबर 20
2	3सरा पी-17ए	3024	5 मार्च 21

उत्पादन आरम्भ

एक परियोजना का उत्पादन आरम्भ, डिजाइन अभियांत्रिकी चरण के बाद जलयान का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रतीक होता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित पोतों का उत्पादन आरम्भ किया गया:-

क्रं. सं.	पोत	यार्ड	तिथि
1	3सरा सर्वेक्षण जलयान (बड़ा)	3027	16 नवम्बर 20
2	प्रथम एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3029	31 दिसंबर 20
3	4था सर्वेक्षण जलयान (बड़ा)	3028	01 फरवरी 21

गुयाना की सरकार से निर्यात ऑर्डर की प्राप्ति: आपकी कंपनी ने गुयाना गणराज्य को 1 ओशन गोइंग पेसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसेल की आपूर्ति करने के लिए 12.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया है।

इंजीनियरिंग डिविजन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इंजीनियरिंग डिविजन द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य (वीओपी) का परिमाण, 66.69 करोड़ रु. था जो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस सेक्टर में प्राप्त वीओपी (35.28 करोड़ रु.) से काफी अधिक था।

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैली ब्रिज यूनिट द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य का परिमाण, पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान 26.20 करोड़ रु. [जिसमें (42) ब्रिज शामिल थे] की तुलना में 50.16 करोड़ रु. [जिसमें (58) ब्रिज शामिल थे] था।

2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने सात ब्रिजों का निर्यात (पांच ब्रिज, भूटान को और दो ब्रिज, नेपाल को) किया है। 31 मार्च 2021 तक प्राप्त निर्यात ऑर्डर का मूल्य, 3.15 करोड़ रु. है।

बीबी यूनिट ने भी एनसी आधार पर (पूर्व हस्ताक्षरित ज्ञापन समझौते के अनुसार) मैसर्स डीजीबीआर (स्वस्तिक परियोजना) को एक लोड क्लास 70आर युक्त 140 फीट डबल लेन डबल मॉड्यूलर ब्रिज की आपूर्ति और स्थापना की और 14 फरवरी 2021 को डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का काम पूरा हुआ।

बीबी यूनिट ने पश्चिम बंगाल के खगेनहाट में सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल विकास विभाग के लिए एक पैदल मार्ग युक्त 110 फीट मॉड्यूलर बैली ब्रिज की आपूर्ति और स्थापना की । यह मॉड्यूलर ब्रिज की पहली वाणिज्यिक आपूर्ति थी और देश में पैदल मार्ग वाला अपनी किस्म का पहला ब्रिज था।

डेक मशीनरी और नवल पम्प यूनिट

आपकी कंपनी का तारातला यूनिट, विभिन्न डेक मशीनरी उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के काम में लगा हुआ है जिसमें एंकर कैपस्टन, एंकर विंडलास, मूरिंग कैपस्टन, डॉक कैपस्टन, सामान्य प्रयोजनी डेविट्स, एम्यूनिशन डेविट/ रॉकेट लॉन्चर डेविट, इलेक्ट्रिक बोट डेविट्स, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बोट डेविट्स, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक डेक क्रेन्स, सर्वे मोटर बोट डेविट्स, हाइड्रोग्राफिक डेविट्स, ओसियनग्राफिक विन्च, समुद्र तटीय परिचालन के लिए एंकर सह सामान्य प्रयोजनी विन्च, टेलीस्कोपिक हैंगर्स, हेलो ट्रेवर्सिंग सिस्टम (रेलिंग आधारित और रेलिंग रहित दोनों प्रकार के) और उपयोग के आधार पर अलग-अलग डिस्चार्ज और क्षमता वाले मरीन फ्रेश वाटर और सी वाटर पम्प सहित विभिन्न प्रकार के नवल पम्प शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न नव निर्माण यार्ड्स के साथ-साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के परिचालन पोतों में 12.58 करोड़ रु. विक्रय मूल्य के उपकरणों और कल-पुर्जों की आपूर्ति की गई है।

अगस्त 2020 में एक भारतीय नौसैनिक पोत में ऑन-बोर्ड समुद्र स्वीकृति परीक्षणों के दौरान एडवांस लाईट हेलिकॉप्टर (एएलएच) के लिए रेलिंग रहित हेलिकॉप्टर ट्रेवर्सिंग सिस्टम (आरएलएचटीएस) के प्रोटोटाइप ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) को संतोषजनक ढंग से जांचा गया, जिसे इन-हाउस तरीके से डिजाइन किया गया था। परीक्षणों के दौरान उपकरण के उत्साहवर्धक प्रदर्शन के आधार पर, जीआरएसई निर्मित आरएलएचटीएस से लैस भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के सभी पोतों के लिए जीएसई के निर्माण का काम चल रहा है।

इंजन डिविजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी, जीआरएसई के उप विक्रेताओं के माध्यम से अल्टरनेटर, अकाउस्टिक इनक्लोजर, लोकल कंट्रोल पैनल, इत्यादि जैसी पी17ए के 1एमडब्ल्यू डीए के लिए डीजल अल्टरनेटर के प्रमुख घटक सफलतापूर्वक विकास करने में सक्षम थी।

डीईपी, रांची यूनिट ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डीजल इंजन व्यवसाय से 18.05 करोड़ रु. का उत्पादन मूल्य प्राप्त किया है।

ऑर्डर बुक की स्थिति

31 मार्च 2021 तक के अनुसार तीन (3) प्रभागों के लिए आपकी कंपनी के कुल ऑर्डर बुक की स्थिति निम्नलिखित है:

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	प्रभाग / विभाग	31 मार्च 2021 तक के अनुसार अंतिम ऑर्डर मूल्य
क	**पोत प्रभाग**	
	पोत (बी ऐंड डी स्पेयर्स सहित)	25,450.23
ख	**इंजीनियरिंग प्रभाग**	
	बैली ब्रिज	21.09
	डेक मशीनरी एवं पम्प	69.62
	कुल इंजीनियरिंग प्रभाग	**90.71**
ग	**इंजन प्रभाग**	**166.06**
	कुल (क+ख+ग)	**25,707.00**

31 मार्च 2021 तक के अनुसार आपकी कंपनी में निर्माणाधीन पोतों का विवरण निम्नलिखित है:

परियोजना / जलयान का प्रकार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार शेष पोतों की संख्या
भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी-17ए	03
भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण जलयान (बड़ा)	04
भारतीय नौसेना के लिए एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी	08
गुयाना की सरकार के लिए ओशन गोइंग पेसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसेल	01
भारतीय तटरक्षक के लिए फास्ट पैट्रोल वेसल	01
कुल	**17**

नई पहल

कंपनी ने उपकरणों, उत्पादों और बाजारों को विकसित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न संगठनों के साथ निम्नलिखित ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किया है:

(क) नई पोत डिजाइनों के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एयरोडायनामिक अध्ययन शुरू करना। आईआईटी कानपुर की नैशनल विंड टनल फैसिलिटी (एनडब्ल्यूटीएफ) ने आईएचक्यू एमओडी(एन) आवश्यकताओं के समान एसवीएल परियोजना के लिए अतिरिक्त एयरोडायनामिक अध्ययन का शुरुआत किया है।

(ख) पोतों / क्राफ्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड प्रोपल्शन का विकास करने के लिए मैसर्स जीई पावर। वर्तमान में, इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड प्रोपेल्ड इनलैंड जलयान के लिए अवधारणा के विकास के सम्बन्ध में फ़र्म पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) एडवांस्ड ड्रेजर्स की डिजाइन और निर्माण के लिए संयुक्त रूप से वैश्विक बाजार का पता लगाने के लिए ईसीटी मरीन, नीदरलैंड्स।

(घ) हेलो हैंडलिंग सिस्टम्स के लिए सेवा समर्थन और उत्पाद विकास हेतु सीएएस इलेक्ट्रिकल ऐंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड।

(ङ) बैली ब्रिजों की आपूर्ति के लिए नैशनल हाईवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) जहाँ जीआरएसई द्वारा प्रति वर्ष लगभग छः से सात ब्रिजों की आपूर्ति की जाएगी।

(च) अभ्युदय ग्रुप, एक मेगा डिफेन्स सेक्टर क्लस्टर और डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब, जिसका उद्देश्य डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित घरेलू विक्रेता आधार विकसित करना और जीआरएसई की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न घटकों और उपकरणों का स्वदेशीकरण करना है।

(छ) पोतों की मरम्मत और तैयारशुदा आधार पर मरम्मत युक्त कार्यों के निष्पादन से संबंधित ऑर्डर के लिए बोली लगाने के सम्बन्ध में मैसर्स आइलैंड शिप रिपेयरर्स।

(ज) 4 एमडब्ल्यू डीजल इंजन इन्फ्रा-रेड सिग्नेचर सप्रेशन सिस्टम के डिजाइन और विकास के लिए मैसर्स एनएसटीएल विशाखापट्टनम।

(झ) पोतों में इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड प्रोपल्शन के लिए लिथियम ईएसएस (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स) के अभिग्रहण के लिए मैसर्स स्टर्लिंग प्लान्ब एनर्जी सॉल्यूशन, वैन्कूवर, कनाडा।

(ञ) पोत निर्माण में सहयोग करने के लिए आनंद शिपयार्ड ऐंड स्लिपवेज लिमिटेड (एएसएसएल), बांग्लादेश।

(ट) सिनर्जी और सिम्बायोटिक बिज़नस एंगेजमेंट के उद्देश्य से डिफेन्स और मेरीटाइम सेक्टर में पोत निर्माण परियोजना में आपसी सहयोग के लिए अबू धाबी शिपबिल्डिंग कंपनी (एडीएसबी), यूएई।

अनुसंधान एवं विकास

हरित ऊर्जा पहल - हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम: अंतर्देशीय जलमार्गों की संभावित क्षमता और राष्ट्रिय जलमार्गों के विकास के मामले में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, जीआरएसई ने अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए हरित ऊर्जा आधारित जलयान को विकसित और डिजाइन करने का प्रयास किया है। इसके लिए, ऊर्जा भण्डारण समाधानों के डिजाइन विकास और एकीकरण में मदद के लिए मैसर्स स्टर्लिंग प्लान्ब, वैंकूवर, कनाडा के साथ और इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड प्रोपल्शन से संबंधित समाधान प्रदान करने के लिए मैसर्स जीई पावर कन्वर्शन के साथ ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जीआरएसई ने इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकुशल हल फॉर्म का विकास करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ चर्चाएं भी शुरू की है। इसके अलावा, इस प्रयास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जीआरएसई द्वारा एक "अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए हरित ऊर्जा" नामक वेबिनार का भी आयोजन किया गया।

एआई आधारित डिजाइन अनुप्रयोग: किसी नौसैनिक जलयान की डिजाइन प्रक्रिया के दौरान, सैकड़ों मानक / दिशानिर्देश दस्तावेजों जैसे नौसैनिक अभियांत्रिकी मानक (एनईएस), नौसनिक निर्माण दस्तावेज (एनसीडी), डेफस्टन एवं आईएमओ दिशानिर्देश इत्यादि को संदर्भित और पालन किया जाता है। एक डिजाइनर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक विशिष्ट समस्या से सामना होने पर इन दस्तावेजों के माध्यम से खोजबीन में काफी समय बिताता है। इस प्रक्रिया को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए, जीआरएसई ने आईआईआईटी हैदराबाद पोषित स्टार्ट-अप 'सबल.एआई' के सहयोग से एक एआई सक्षम डिजाइन सहायक "जिज्ञासा" के विकास का सफलतापूर्वक बीड़ा उठाया है। इस मशीन लर्निंग एलगोरिदम आधारित एप्लीकेशन को वर्तमान में उच्च स्तारिकता के साथ डिजाइनर का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

होवरक्राफ्ट्स की डिजाइन: होवरक्राफ्ट की डिजाइन, भारतीय पोत निर्माण उद्योग में एक विशेष कार्यक्षेत्र है जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। देश में और पड़ोस के अन्य देशों में ऐसे जलयानों की काफी मांग होने के बावजूद, यह प्रौद्योगिकी, देश में उनकी डिजाइन के लिए उपलब्ध नहीं है। डिजाइन के इस विशेष क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने के लिए, निदेशक मंडल ने एक प्रमाणित होवरक्राफ्ट और एक डेमोंस्ट्रेटर जलयान की सम्पूर्ण डिजाइन के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। इस अधिग्रहण से जीआरएसई को अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से संभावित ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए पुनः अभियांत्रिकी के माध्यम से समकालीन होवरक्राफ्ट डिजाइन विकसित करने का मौका मिला है। ऐसी उम्मीद है कि समय के साथ, इसके फलस्वरूप, होवरक्राफ्ट कार्यक्षेत्र में इन-हाउस डिजाइन कार्यक्षमता प्राप्त होगी।

ईएमआई/ईएमसी सिमुलेटर: ईएमआई/ईएमसी अनुकरण का अध्ययन करना बहुत जटिल होता है जिसके लिए अन्तर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के साथ-साथ अनुकरण करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी कार्यक्षमता की जरूरत पड़ती है। इन गतिविधियों को आम तौर पर आईएन / जीओआई की परिष्कृत एजेंसियों के द्वारा पूरा किया जाता है। जीआरएसई ने इन-हाउस अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से इस कार्यक्षमता को विकसित करने का प्रयास किया है और एक प्रायोगिक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। पोत डिजाइन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में इन अनुकरणों का प्रयोग करने से जुड़ी प्रक्रियाओं और कार्यपद्धतियों को मानकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे डिजाइन प्रक्रिया में बहुत जल्द पोतों का टॉप डेक लेआउट को अंतिम रूप प्रदान करने में मदद मिलेगी।

मेक इन इंडिया पहल

आपकी कंपनी ने "मेक इन इंडिया एवं स्वदेशीकरण" नीति को लागू किया है जहाँ स्वदेशी विक्रेताओं को प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण (टीओटी) के साथ

भारत में प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण, सह-उत्पादन, असेम्बलिंग, डिजाइन एवं विनिर्माण सहयोग के साथ लाइसेंसप्राप्त उत्पादन के माध्यम से अधिक से अधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑनबोर्ड एसवीएल को फिट करने के लिए एक स्वचालित कंट्रोल सिस्टम (क्वार्टज़ाइट बल्ब सिस्टम) और डेटा एक्विजिशन ऐंड प्रोसेसिंग सिस्टम (डीएपीएस) से लैस एचपी एयर फिटिंग्स, मैगज़ीन फायर फाइटिंग सिस्टम (एमएफएसई) जैसी पोत की अभियांत्रिकी एवं विद्युतीय वस्तुओं के स्वदेशीकरण / आयात प्रतिस्थापन को भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है। आपकी कंपनी ने देश में सबसे आधुनिक युद्धपोतों को डिजाइन करने और बनाने के लिए इन-हाउस कार्यक्षमताओं का विकास किया है। जीआरएसई द्वारा हाल ही में विकसित प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की स्वदेशी सामग्रियां, एलसीयू (90% से अधिक), एएसडब्ल्यू कोर्वेट्स (85% से अधिक) हैं और इसे अत्याधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है।

निर्यात पहल

जीआरएसई, 2014 में मॉरिशस को एक युद्धपोत, एक ऑफशोर पैट्रोल वेसेल का निर्यात करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड था। मित्रवत विदेशी देशों को नौसैनिक जहाज़ों का निर्यात करने से संबंधित जीआरएसई के उपक्रमों के परिणामस्वरूप ही उसे 3 फरवरी 2021 को सेशेल्स की सरकार के लिए 1 फास्ट पैट्रोल वेसल की आपूर्ति और रखरखाव समर्थन के लिए लगभग 100 करोड़ रु. मूल्य का एक निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुआ है। 'एससीजी पीएस ज़ोरोस्टर' नामक इस जहाज का वितरण, जीआरएसई द्वारा 15 फरवरी 2021 को सेशेल्स की सरकार को किया गया है। आपकी कंपनी को गुयाना गणराज्य को 1 ओशन गोइंग पेसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसेल की आपूर्ति के लिए 12.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में भी कामयाबी मिली है। दो वर्ष से भी अधिक समय के अथक प्रयास के बाद 13 जनवरी 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, जीआरएसई ने कुल 87.49 करोड़ रु. के एक निर्यात ऑर्डर को पूरा किया जिसमें 84.34 करोड़ रु. का जहाज निर्माण सम्बन्धी ऑर्डर (सेशेल्स एफपीवी की आपूर्ति) और 3.15 करोड़ रु. का पोर्टेबल प्री-फैब्रिकेटेड स्टील (बैले ऐंड बैले सस्पेंशन) ब्रिज सम्बन्धी ऑर्डर शामिल था।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीआरएसई ने कुल 87.49 करोड़ निर्यात आदेश निष्पादित किए जिसमें शिपबिल्डिंग ऑर्डर (सेशेल्स एफपीवी की आपूर्ति) के 84.34 करोड़ और पोर्टेबल प्री-फेब्रिकेटेड स्टील (बेली एंड बेली सस्पेंशन) ब्रिज ऑर्डर के 3.15 करोड़ शामिल हैं।

निर्यात का मुख्य ध्यान केंद्र, सार्क, आसियान, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देश रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने मुख्य ध्यान केंद्र क्षेत्र के रूप में मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छः देशों को आवंटित किया है जिनके नाम हैं - बांग्लादेश, फिलीपींस, ओमान, यूएई, सऊदी अरब और सेशेल्स। वियतनाम, म्यांमार, मिस्र, मालदीव, मॉरिशस, इत्यादि जैसे देशों के साथ आक्रामक विपणन उपक्रमों की मदद से भी निर्यात के अवसरों का पता लगाया जा रहा है।

जीआरएसई ने अपने उत्पादों के निर्यात के लिए लक्षित बाजार देशों के प्राधिकारियों के साथ जुड़ने की रणनीति भी अपनाई है। इसके अलावा, कंपनी, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोस के देशों को नियमित रूप से बैली ब्रिज और उसके घटकों की आपूर्ति भी कर रही है। अन्य मित्रवत विदेशी देशों को भी बैली ब्रिज और उनके घटकों के निर्यात को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण

आपकी कंपनी, प्रौद्योगिकी/उत्पादों की बदलती जरूरतों के अनुसार अपने बुनियादी ढांचों को लगातार आधुनिक बना रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचों के अपग्रेडेशन इत्यादि के लिए कैपेक्स निवेश के एक हिस्से के रूप में 158 करोड़ रु. खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है:

(क) **250 टन वजनी विशालकाय क्रेन की बहाली:** मैसर्स संगसंगिन शिप मशीनरी लिमिटेड-दक्षिण कोरिया पर ऑर्डर किए गए नए 250 टन क्षमता वाले विशालकाय क्रेन को पूरी तरह से असेम्बल्ड अवस्था में कोरिया से समुद्र द्वारा भेजा गया और 26 फरवरी 2021 को जीआरएसई में उतारा गया। इस विशालकाय क्रेन को 22 जून 2021 को प्रवर्तिकरण किया गया।

(ख) अनुमोदित संरचनात्मक स्वास्थ्य लेखापरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार **मेन यूनिट में मॉड्यूल हॉल की बहाली का काम चल रहा है।**

(ग) **मेन यूनिट में बुनियादी ढांचों का निर्माण:** सितम्बर 2020 में मेन यूनिट में हल ब्लॉक्स के भण्डारण के लिए एक खुले भण्डारण क्षेत्र (3600 वर्ग मी क्षेत्रफल) का निर्माण किया गया है।

(घ) **दो 'जलवायु नियंत्रण मालगोदाम' की प्रवर्तिकरण:** चल रही और भावी परियोजनाओं के लिए चुनौतियाँ ग्रहण करने की दिशा में आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के स्वचालन और भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाल संवर्धन परियोजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के मेन वर्क्स में दो जलवायु नियंत्रण मालगोदाम की स्थापना की गई है।

(ङ) **राजा बगान डॉकयार्ड (आरबीडी) का आधुनिकीकरण:** आरबीडी की आधुनिकीकरण योजना के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को पूरा / शुरू किया गया है:

(i) 25 मार्च 2021 को आरबीडी यूनिट में 2 हल ब्लॉक फैब्रिकेशन शेड्स (85 मी X 27 मी X 18 मी और 50 मी X 25 मी X 18 मी) की स्थापना की गई थी जिससे शिपयार्ड में ब्लॉक निर्माण क्षमता बढ़ गई है।

(ii) फरवरी 21 में पुराने **ड्राई डॉक नंबर 3** (डीडी-5) के मुहाने पर कॉफरडैम बनाने का काम पूरा हो गया है जिसमें डॉक की क्षमता बढ़ाने के लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए सम्पूर्ण डॉक को खाली करने का काम भी शामिल है।

(च) नया कॉर्पोरेट कार्यालय: 16 दिसंबर 20 को 61 पार्क यूनिट में 4 मंजिला नए कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और उसके बाद कॉर्पोरेट कार्यालय को नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया है।

दो जलवायु नियंत्रण मालगोदाम का प्रवर्तिकरण

निदेशक रिपोर्ट

भावी दृष्टिकोण

इस मौके पर भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और गुयाना गणराज्य की सरकार के लिए एक साथ 17 युद्धपोत बनाने का ऑर्डर मिलने से कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, रक्षा पोत निर्माण सेगमेंट, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की महत्वाकांक्षी अधिग्रहण योजना के कारण आशाजनक बना हुआ है जो भारतीय पोत निर्माताओं और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी उत्साहवर्धक है। पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोत निर्माण परियोजनों के लिए आरएफपी जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कुछ और बड़ी परियोजनाओं के लिए आरएफपी जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय, 2024 तक रक्षा उत्पादों के निर्यातों को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है जो हम सबके लिए काफी फायदेमंद है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया' सम्बन्धी आह्वान से संबंधित वैश्विक प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है और आपकी कंपनी, पोत निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे सपने को पूरा करने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए कंपनी के लिए अवसर का लाभ उठाने के लिए पोत निर्माण उद्योग में विश्व स्तरीय विशालकाय कंपनियों के साथ सम्बन्ध बनाना चाहती है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए नीति सम्बन्धी उपक्रमों की दृष्टि से, आने वाले वर्षों में पोत निर्माण के लिए सम्पूर्ण परिदृश्य काफी सकारात्मक लग रहा है। लेकिन, गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कार्यक्षमता और कार्यदक्षता का निर्माण करने की जरूरत है। विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और आधुनिक साधनों को अपनाने की हमारी इच्छा के कारण कंपनी की कार्यकुशलता, गुणवत्ता और उत्पादकता को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए, कंपनी ने अपने मुख्य कार्य क्षेत्रों जैसे 'डिजाइन', 'नियोजन', 'उत्पादन' और 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन' में उद्योग 4.0 कार्य प्रथाओं को अपनाने का काम शुरू कर दिया है।

भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक एंव गुयाना गणराज्य की सरकार के लिए एक साथ 17 युद्धपोत बनाने का एक मजबूत आर्डर मिलने से कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है।

निरंतर व्यावसायिक वृद्धि और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भावी योजनाएं निम्नलिखित हैं:

मित्रवत देशों को किए जाने वाले निर्यातों के माध्यम से भू-रणनीतिक पहुँच को बढ़ाना। इस सम्बन्ध में, जीआरएसई सक्रिय रूप से संबंधित देशों की सरकारों के साथ काम कर रहा है और फोकस देशों में विपणन प्रतिनिधियों को तैनात भी कर दिया है।

कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी डिजाइन, अभियांत्रिकी और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाना चाहती है क्योंकि उत्पादन लागत को कम करने के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना बहुत जरूरी है।

हमारे पोर्टफोलियो में गैर-रक्षा समुद्री उत्पादों की नई श्रृंखला को शामिल करना।

अगले 5 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गृह मंत्रालय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ काम करने का अवसर प्राप्त करने की भरपूर कोशिश।

आपकी कंपनी, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय की तरफ से जीआरएसई निर्मित जलयानों के एएमसी और रिफिटिंग का ऑर्डर प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। युद्धपोतों और वाणिज्यिक वाहनों की रिफिटिंग और मरम्मत के क्षेत्र में अपना पैर जमाने के लिए रिफिटिंग और मरम्मत व्यवसाय क्षेत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

आपकी कंपनी के विभिन्न परिचालन क्षेत्र में उत्पादकता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक उद्योग 4.0 अवधारणा को अपनाना।

विक्रेता विकास

विक्रेताओं ने पिछले कई वर्षों से जीआरएसई की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी कंपनी, सीआईआई, बीसीसीआई, एमएसएमई, इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मचों द्वारा आयोजित विभिन्न विक्रेता सम्मेलनों, सेमिनारों, वेबिनारों, इत्यादि के माध्यम से लगातार एमएसएमई विक्रेताओं की तलाश करती रहती है। मौजूदा महामारी में, जीआरएसई में शामिल करने के लिए सक्षम उद्यमियों की पहचान करने हेतु वेबिनारों का लाभ उठाया जा रहा है।

आपकी कंपनी, सार्वजनिक खरीद नीति 2015 के अनुसार एमएसएमई-डीआई के दिशानिर्देशों और उल्लिखित कंपनी नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार विधिवत आकलन करने के बाद स्थायी विक्रेता आधार में लगातार वृद्धि कर रही है।

आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं के सम्पूर्ण संतोष को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही पारदर्शी ढंग से 'सिंगल पॉइंट संपर्क' आधार के रूप में विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आम "ऑनलाइन विक्रेता शिकायत निवारण पोर्टल" की भी शुरुआत की है।

जबकि हमारे विक्रेता आधार को लगातार बढ़ाया जा रहा है, फिर भी विक्रेताओं के प्रदर्शन पर नजर रखने की जरूरत तो है ही। इसके लिए, आपकी कंपनी ने एसएपी में "सेवा विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन विक्रेता रेटिंग" की शुरुआत की है। इससे आपकी कंपनी को कंपनी की समग्र व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली विक्रेता आधार का निर्माण करने में मदद मिलती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन

आपकी कंपनी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रही है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी की गई एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को लागू किया है। आपकी कंपनी जरूरत पड़ने पर इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित समर्थन प्रदान करती है। आपकी कंपनी, सीआईआई और एमएसएमई मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से नियमित रूप से एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हमारे गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी, इन उद्योगों का दौरा करके उनकी मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता, अपेक्षित मानकों को पूरा करती है।

अब तक, आपकी कंपनी में जीआरएसई के साथ पंजीकृत कुल 2,172 विक्रेताओं में से 829 एमएसएमई विक्रेता हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से 635.00 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं की खरीदारी की है जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य (एमएसई के लिए लागू होने योग्य अपवर्जनों को ध्यान में रखते हुए) का (लगभग) 52% है। एमएसई खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची, आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.grse.in/mse_notice_website.pdf

आपकी कंपनी, एमएसएमई विक्रेताओं को टीआरईडीएस पंजीकरण (व्यापार छूट सुविधा का लाभ उठाने के लिए) और उद्यम पंजीकरण (जो पूर्व यूएएम पंजीकरण की जगह भारत सरकार का नया उपक्रम है) और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

आपकी कंपनी ने आम तौर पर उपयोग होने वाले माल एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 की नियम संख्या 149 के अनुसार जीईएम के साथ पंजीकरण कर लिया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से कुल 809 लाख रु. (माल एवं सेवा) की खरीदारी की है।

आत्मानिर्भर भारत सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में 12 अगस्त 20 को ऑनलाइन विक्रेता शिकायत निवारण पोर्टल का लॉन्चिंग

जेम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संवर्धन

ईआरपी एवं आईटी

आपकी कंपनी अपनी सभी गतिविधियों में एसएपी क्रियान्वयन और आईटी उपक्रमों पर जोर दे रही है। ईआरपी एवं आईटी के क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(क) **आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर**: आपकी कंपनी ने कोलकाता में परिसर के भीतर डेटा सेंटर (डीसी) और मुंबई में डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआर) की सुस्थापना की है। कंपनी ने एसएपी ईआरपी में आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, एचआर, पेरोल, विक्रेता, प्लांट रखरखाव, इत्यादि जैसी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पहले ही जोड़ लिया है। सम्पूर्ण डिजाइन परिचालन को एवेवा कैड, वीआर लैब, पीडीएम-पीएलएम इत्यादि की मदद से सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) **साइबर सुरक्षा**:- आपकी कंपनी के पास साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था है। निदेशक (कार्मिक) को कंपनी के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में मनोनीत किया गया है। प्रत्येक यूनिट / विभाग में, सूचना सुरक्षा अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। 20 कर्मियों वाले साइबर सिक्योरिटी कोर ग्रुप को सीडीएसी द्वारा साइबर सुरक्षा संवर्धित जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरे संगठन में एयर-गैप और उसकी सभी यूनिटों में आईएलएल आधारित इंटरनेट लैन को लागू किया गया।

(ग) **ईआरपी-एसएपी:** जीआरएसई ने महत्वपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिस पर सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं निर्भर रहती हैं। इसमें ईआरपी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेल सर्वर्स, वैन, लैन, नेटवर्क सुरक्षा घटक, एंटीवायरस और पैच प्रबंधन शामिल है। इसके अलावा, ईआरपी/एसएपी कोर टीम को भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है।

(घ) **पीडीएम / पीएलएम (उत्पाद डेटा प्रबंधन / उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन):** एवेवा मरीन आधारित पीडीएम और सीमेंस टीम सेंटर आधारित पीएलएम सॉफ्टवेयर को लागू किया जा रहा है। पीडीएम / पीएलएम के उपयोग के साथ मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी के कारण पी17ए पोतों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और उनके निर्माण समय में कमी आएगी। पीएलएम के साथ एवेवा कैड डेटा को एकीकृत करने का काम पूरा कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने एम एस ई से 635.00 करोड़ रु॰ मुल्य की वस्तुओं की खरीदारी की है जो कुल वार्षिक खरीद मुल्य का (लगभग) 52% है।

(ङ) **डीएमएस (दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली):** मैनुअल फाइलों को काफी हद तक कम कर दिया गया है और लगभग 80% संगठनात्मक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

(च) **एक्सेस कंट्रोल सिस्टम:** जीआरएसई ने स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित एक्सेस कंट्रोल को पहले ही लागू कर दिया है। जीआरएसई, मौजूदा महामारी परिस्थिति को देखते हुए बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल को फेस रिकग्निशन सिस्टम में अपग्रेड करने जा रहा है।

(छ) **सीसीटीवी सिस्टम**: सुरक्षा और चौकसी को सुनिश्चित करने के लिए पांच कोलकाता आधारित यूनिटों को एकीकृत करने वाले हाई-एंड सीसीटीवी सिस्टम को एकीकृत किया गया है।

(ज) **कर्मचारी पोर्टल**: कर्मचारियों को लक्ष्य और कार्य आवंटित करने के लिए और वर्ष भर आकलन करने के लिए पीएमएस (निष्पादन प्रबंधन प्रणाली) जैसे विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूलों को कवर करने के लिए कर्मचारी पोर्टल में सुधार किया गया है।

मानव संसाधन और प्रशासन

जनशक्ति

31 मार्च 2021 तक के अनुसार कंपनी में स्थायी वेतन पर काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 1900 थी जिसमें नियमित रोल पर 488 अधिकारी, 2 अधिकारी और 42 पर्यवेक्षक निश्चित अवधि संविदा पर शामिल थे।

31 दिसंबर 2020 तक के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./महिला इत्यादि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 2020 तक की गई कुल भर्तीयों का विवरण परिशिष्ट - "क और "ख" में दिया गया है।

इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015, के अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियां को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और उसके नियमों से छूट दी गई है।

औद्योगिक संबंध

डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी यूनिटों में समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे।

जीआरएसई पीएफ ट्रस्ट बोर्ड में ऑपरेटिव श्रेणी के कर्मचारियों के दो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिए 24 नवंबर 2020 को चुनाव हुआ था। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई।

यूनियन कर्मचारियों की कार्यालय सहायक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले जीआरडब्ल्यू लिमिटेड क्लर्क्स यूनियन ने 30 सितंबर 2020 को 01 जनवरी 2017 से 10 साल के वेतन निपटान के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान विभिन्न तिथियों पर वेतन वार्ता आयोजित की गई थी। लंबी बातचीत के बाद, समझौता ज्ञापन पर 25 मार्च 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कैफेटेरिया की लंबे समय से यूनिटों में महसूस की जाने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताकि जीआरएसई में आने वाले कर्मचारी और बाहरी लोग विशेष रूप से विषम घंटों के दौरान गुणवत्ता और स्वच्छ भोजन का लाभ उठा सकें, 18 जनवरी 2021 को 61 पार्क यूनिट में और 16 मार्च 2021 को आरबीडी यूनिट में पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम) की सहभागिता से कैफेटेरिया शुरू किए गए। अन्य यूनिटों के लिए भी इसी तरह की पहल की योजना बनाई जा रही है।

मानव संसाधन विकास

जीआरएसई उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पोषण और विकास करना चाहता है जो संगठन के विकास पथ को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। कंपनी ने एक वातावरण में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है।

वित्त वर्ष 2020-21 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस-फ़ंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को कवर करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार और कार्यान्वित की है। वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3800 प्रशिक्षित प्राप्त किए गए। महामारी की स्थिति के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे जिसमें विदेशी संस्थानों के सहयोग से भारत में बाहरी एजेंसियों / प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं / सम्मेलनों / वेबिनार में प्रतिभागियों को नामांकित किया गया। भारत में बाहरी संस्थानों/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों/आउटबाउंड कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को प्रतिनियुक्त करने के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों से संकाय/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके कुछ इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कंपनी ने एक व्यापक प्रशिक्षण और विकास मैनुअल तैयार किया है और प्रशिक्षण गतिविधियों से संबंधित पाठ्यक्रमों, लक्ष्य समूहों, प्रशिक्षण संस्थानों, एसओपी और प्रारूपों पर सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने ज्ञान साझा करने की संस्कृति विकसित करने के लिए सहयोग (के-पीईसी) के माध्यम से ज्ञान-संरक्षण और संवर्धन पर एक नीति भी प्रख्यापित की है, इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रबंधन में एक एसओपी और शिपयार्ड में एक मजबूत सक्षमता मानचित्रण ढांचा विकसित करने के लिए सक्षमता मानचित्रण पर एक नीति भी तैयार की गई है।

अप्रेंटिस अधिनियम के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ट्रेड अप्रेंटिस, स्नातक अप्रेंटिस और तकनीशियन अप्रेंटिस श्रेणियों के तहत 234 अप्रेंटिस को प्रशिक्षित किए है। लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की जनशक्ति के 10% के मुकाबले अप्रेंटिस की नियुक्ति को बढ़ाकर 12.31% कर दिया गया, जो कि 2.5% की वैधानिक आवश्यकता से अधिक है। अप्रेंटिस को कंपनी की विभिन्न शॉपों/विभागों में नौकरी पर प्रशिक्षण के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र - बारानगर, कोलकाता में कंपनी की प्रशिक्षण सुविधा में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

नई मानव संसाधन पहल

पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) स्तर 2 प्रमाणन - जीआरएसई ने कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय (सीएमयू), यूएसए द्वारा

विकसित सीएमएमआई संस्थान ढांचे के अनुरूप 'पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) स्तर 2 प्रमाणन' हासिल किया। जीआरएसई ने अपनी मौजूदा मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुधारने की दृष्टि से अपने मानव संसाधन क्षमता निर्माण ढांचे के एक भाग के रूप में पीसीएमएम को अपनाया। मॉडल के प्रबल समर्थक के रूप में, पूरे संगठन में प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन-तत्परता और परिवर्तन लाने के लिए कार्यान्वयन यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यों और टीमों में सहयोगात्मक प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठित पीसीएमएम स्तर 2 प्रमाणन प्राप्त हुआ।

निष्पादन प्रबंधन प्रणाली- एक मजबूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल के आंतरिक विकास द्वारा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को नया रूप दिया गया है।

योग्यता ढांचा: योग्यता ढांचा व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का आकलन, रखरखाव, सुधार और निगरानी करने के लिए एक प्रभावी साधन है। क्षमता मानचित्रण और अधिकारियों के विकास के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ताकि शिपयार्ड में एक मजबूत सक्षमता मानचित्रण ढांचा विकसित किया जा सके।

प्रतिभा खोज एवं विकास: कंपनी द्वारा वर्ष 2016-17 में उत्तराधिकार योजना तैयार की गई थी। अधिकारियों के प्रदर्शन के गतिशील डेटा में परिवर्तन के साथ-साथ पूरे संगठन में विभिन्न भूमिकाओं की महत्वपूर्णता के पुनर्मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए योजना को हर साल अद्यतन किया जाता है। तदनुसार, नेतृत्व कौशल विकसित करने और योग्यता अंतराल को पाटने पर ध्यान देने के साथ युवा अधिकारियों की पहचान की गई और सीखने और विकास के हस्तक्षेप किए गए।

दिव्यांग जन

कंपनी ने सांविधिक /सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सभी प्रकार की छूट/रियायतें दी है। वर्ष 2020 के दौरान, कंपनी ने कुल 38 कर्मचारियों की भर्ती में से 01 दिव्यांग की भर्ती की है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

2020-21 के अंत तक महिला प्रतिनिधित्व कंपनी में कुल संख्या का 5% है। 2020 के दौरान, कुल 38 में से 03 महिला कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जो 7.9% है।

काम पर संरक्षा

वित्त वर्ष के दौरान 2020 -21, शिपयार्ड ने गत वर्ष (वित्त वर्ष 2019 - 20) की संरक्षा आवृत्ति दर 2.58 की तुलना में संरक्षा आवृत्ति दर (औद्योगिक क्षति सूचकांक) 2.05 हासिल किया है, जो शिपयार्ड के संरक्षा प्रदर्शन में सुधार का संकेत देता है।

औद्योगिक सुरक्षा

आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष सुरक्षा को कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 397 सीआईएसएफ़ कर्मियों को जीआरएसई की तीनों उत्पादन यूनिटों अर्थात मेन, एफ़ओजे और आरबीडी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) को सौंपा गया है।

एक मजबूत अभिगम नियंत्रण प्रणाली और अत्याधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क शिपयार्ड में एक मजबूत और प्रभावी सुरक्षा और निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करता है।

कोविड19 प्रबंधन

कोविड-19 महामारी से उभरी अभूतपूर्व स्थिति से निपटना एक बड़ी चुनौती रही है और आपकी कंपनी ने कोविड रोकथाम मानदंडों के कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसका प्रबंधन किया है। इसके अलावा, प्रभावित कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। इसके लिए अतिरिक्त अस्पतालों को सूचीबद्ध करना और बाहरी हितधारकों के साथ सक्रिय संपर्क स्थापित करना आवश्यक था।

आपकी कंपनी ने मेन यूनिट परिसर के अंदर 'सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र' की शुरुआत की। एक पूर्ण अस्पताल के बिना यह दर्जा पाने वाला संभवतः यह एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। ठेकेदारों के कामगारों सहित 2500 से अधिक कर्मचारियों ने टीकाकरण के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया है। इसके अलावा हमारे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए एफओजे यूनिट में एक टीकाकरण शिविर स्थापित किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से महामारी को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम करने के लिए राष्ट्र के प्रयासों में भी भागीदारी की है। इनका विवरण सीएसआर अनुभाग में स्पष्ट किया गया है।

राजभाषा

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कार्यों को राजभाषा हिन्दी में करने हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को हासिल किया है। राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों में शामिल है :

(क) **हिन्दी माह आयोजन:** कंपनी के सभी यूनिटों एवं कार्यालयों में सितंबर माह के दौरान हिन्दी माह एवं हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। कंपनी के कार्मिकों ने इस माह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया।

(ख) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :** अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित हुई और विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई।

(ग) **प्रोत्साहन:** प्रोत्साहन योजनाओं का प्रसार सभी कार्मिकों में किया गया है और इन प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने वाले कार्मिकों को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

(घ) **राजभाषा पुरस्कार :** आपकी कंपनी को कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित **राजभाषा शील्ड** पुरस्कार प्राप्त हुई। उप प्रबन्धक (राजभाषा) को भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

पुरस्कार एवं मान्यताएँ

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कार एवं मान्यताएँ प्राप्त की हैं :

(क) स्कोप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस एवार्ड 2019 : द्वितीय पुरस्कार – सर्वोत्तम निगमित संचार अभियान एवं वाह्य संचार हेतु कार्यक्रम के लिए।

(ख) सोडेट एवार्ड 2016-17 : लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) वेसल की डिजाइन के संशोधन में उत्कृष्टता हेतु- एरेशन एवं एस्टर्न मैनोइवरिंग जैसी गंभीर चुनौतियों पर काबू पाने के लिए।

(ग) एशिया का सर्वोत्तम नियोक्ता ब्राण्ड पुरस्कार 2020 : विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा ‘‘कैरियर विकास में नवाचार के लिए पुरस्कार’’ की श्रेणी में।

(घ) नेशनल एवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पीएसयू 2020 : ‘सीएसआर पहल (सामाजिक विकास) की श्रेणी में।

(ङ) कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा कोलकाता में आयोजित ’’**राजभाषा शील्ड 2020-21**’’ पुरस्कार

(च) पीआरएसआई नेशनल एवार्ड- 2020 : जीआरएसई ने महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न सीपीएसई तथा निजी सेक्टर के प्रतिष्ठानों के साथ प्रतिद्वंदिता में गृह पत्रिका ‘‘जीआरएसई वार्ता 2020’’ के लिए प्रथम पुरस्कार तथा ‘‘जीआरएसई कॉफी टेबुल बुक’’ के लिए द्वितीय पुरस्कार हासिल किया जो पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल एवार्ड्स 2020 द्वारा प्रदान किया गया।

निदेशक रिपोर्ट

निगमित शासन

आपकी कंपनी व्यावसायिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता पर जोर देना जारी रखती है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग नियम") के तहत लागू नियमों का अनुपालन करती है, और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन पत्र द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देश का भी अनुपालन करती है। कंपनी भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग दिशानिर्देश प्रदान करता है कि सीपीएसई को दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। डीपीई ने वर्ष **2019-20** के लिए जीआरएसई को "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, **2015** और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम **34** के अनुसार, मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ निगमित शासन पर जारी एक रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

निदेशक मण्डल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

आपके कंपनी के मंडल में कुल दस (10) निदेशक हैं जिसमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों सहित, एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल और आपकी कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री एस एस डोगरा	निदेशक (वित्त)	-	30.06.2020
2	श्री आर के दाश	निदेशक (वित्त)	01.07.2020	-
3	श्री अजय भंडारी	स्वतंत्र निदेशक	-	20.07.2020
4	श्री भारत भूषण जैन	स्वतंत्र निदेशक	-	15.09.2020
5	श्रीमती कंवलजीत देओल	स्वतंत्र निदेशक	-	15.09.2020
6	श्री अश्वनी कुमार महाजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	27.07.2020
7	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सरकार द्वारा नामित निदेशक	14.09.2020	-
8	रियर एडमिरल. आईपीएस बाली,भा.नौ। (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	-	09.03.2021

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहें निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) और आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन ऑफ दी कंपनी के अनुसार, कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), निदेशक (कार्मिक), जिन्होंने निदेशक मंडल में सेवानिवृत्त निदेशकों में सबसे लंबे समय तक सेवा की हैं, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे, और योग्य होने से, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और मानदंड की पूर्ति

आपकी कंपनी को आपकी कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक से घोषणाओं की प्राप्ति हुई है की वे पुष्टि करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013, निगमित शासन पर दिशानिर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए और सेबी लिस्टिंग नियम के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंड को पूरा करते हैं। इसके अलावा, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग नियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, मानेसर के साथ खुद को पंजीकृत किया है और वैधानिक समयरेखा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपना नाम शामिल किया है और वे एक वर्ष के अवधि के भीतर,जहाँ भी लागू होगा ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा में शामिल होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष के दौरान, 04 मार्च 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक मौजूद थे।

मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ (08) बैठकें हुईं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 'निगमित शासन पर रिपोर्ट' देखें।

मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के 74.50% स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक प्रेसीडेंशियल नियुक्तियां हैं और उनका पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तय किया गया है। तदनुसार, आपकी कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ के अनुच्छेद 194 और 214 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। चूँकि, मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति

01 अप्रैल 2020 से 14 सितंबर 2020 तक निदेशक मंडल के लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1	श्री भारत भूषण जैन	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
2	श्रीमती कंवलजीत देओल	सदस्य	
3	रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	सदस्य	
4	कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	सदस्य	निदेशक (पोत निर्माण)

श्री भारत भूषण जैन तथा श्रीमती कंवलजीत देओल, स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने पर, निदेशक मण्डल की ऑडिट कमिटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 सितम्बर 2020 से 08 मार्च 2021 तक निम्नलिखित निदेशकगण शामिल थे :

1.	रियर एडमिरल इंद्र पाल सिंह बाली, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष	अंशकालीन गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
2.	डॉ. विश्वप्रिय रायचौधुरी	सदस्य	
3.	कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	सदस्य	निदेशक (पोत निर्माण)

रियर एडमिरल, आईपीएस बाली, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने तथा कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन 09 मार्च 2021 से नहीं किया जा सका।

और अधिक विवरण के लिए, कृपया ''निगमित शासन पर रिपोर्ट'' देखें।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खाता की तैयारी में, अनुसूची III के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं गया है;

(ख) निदेशकों ने उचित और विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू भी किया था और उनके आधार पर सारे निर्णय लिए थे और अनुमान लगाए थे जो ताकि 31 मार्च 2021 तक के अनुसार आपकी कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त हो सके;

(ग) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने एक 'वर्तमान चिंता' के आधार पर वार्षिक लेखाजोखा तैयार किया था।

(ङ) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अपनाएं गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने लागू होने योग्य सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन मैसर्स मुखर्जी, विश्वास एवं पाठक, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सी एंड एजी की टिप्पणियां वित्तीय वर्ष 2020-21 के इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स मऊ बनर्जी एंड कं., लागत लेखापाल, कोलकाता को आपकी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया। मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी की सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट - "ग"** में प्रस्तुत किया गया है। इस सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालांकि, सचिवीय लेखा परीक्षक ने पाया कि कंपनी के पास 21 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। सचिवीय लेखा परीक्षक ने यह भी पाया कि 09 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित नहीं थी।

कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन, (स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने कई मौकों पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी), भारत सरकार से बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। सरकार से नियुक्ति/नामांकन आदेश का इंतजार है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अन्य अवलोकन और स्पष्टीकरण स्व-व्याख्यात्मक हैं।

सेबी के दिनांक 8 फरवरी, 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के पास दायर की गई सेबी विनियमों/परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी के मेसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रैक्टीसिंग कंपनी सचिव से वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है। उक्त रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के बोर्ड ने मेसर्स वी सिंघी और एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत रिपोर्ट किए गए धांधली का ब्यौरा

शून्य

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम एवं विनयम 23 के तहत किसी अनुबंध/ व्यवस्था/सौदे में प्रवेश नहीं किया है। आपके निदेशक भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण फार्म एओसी-2 इस रिपोर्ट को **परिशिष्ट - " डी «** में संलग्न किया गया है -जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है:**http://www. grse. in/pdf/ investors /Policy %20on %20Related%20 Party%20Transactions.pdf**

ऋण, गारंटी या निवेश के ब्यौरे

वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के तहत आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नहीं किया है:

(क) किसी भी व्यक्ति या अन्य निकाय कॉर्पोरेट को कोई ऋण दिया गया;

(ख) किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई; या

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित।

सतर्कता तंत्र

अपने सतर्कता तंत्र के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक विहसल ब्लोवर पॉलिसी अपनाई है ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। विहसल ब्लोवर पॉलिसी के अनुसार, एक विहसल आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना अधिकार सौंपा है) को लिखित

संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह सीधे लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष को भी इस तरह का संरक्षित प्रकटीकरण भेज सकता है। संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी एंड एमडी द्वारा मनोनीत एक कार्यात्मक निदेशक और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक पहुँच प्रदान किया गया है। विहसल पॉलिसी को निम्नलिखित के माध्यम से आपकी कंपनी के वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है: **http://www.gr se.in/pdf/investors / Whistle%20Blower%20Policy.pdf**

वार्षिक लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लाभ आपकी कंपनी के वेबसाईट **http://www.grse.in/index.php/ investors-corner/annual-return.html** पर उपलब्ध होगा।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशनों एवं सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अधीन यथा-वांछित, इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग का निर्माण करती है।

निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व जीआरएसई के कॉर्पोरेट फिलॉस्फी के कोर में निहित है तथा इसकी शेयरिंग एवं केयरिंग की भावना विभिन्न सीएसआर पहलों में दिखाई पड़ती है, जो कि हजारों लोगों के जीवन को रोशनी से भर देने हेतु एवं हृदयस्पर्शी हैं, खासकर जो उत्पादन यूनिटों के आस-पास हाशिये वाले क्षेत्र में निवास करते हैं।

जीआरएसई की सीएसआर नीति निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर.40 (ई) दिनांक 22 जनवरी 2021 के अनुसार कंपनीज (कॉर्पोरेट सोसल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) अमेण्डमेण्ट रूल्स, 2021 के अनुसार संशोधित की गई है। संशोधित जीआरएसई सीएसआर नीति 29 मार्च 2021 को लागू की गई थी तथा कंपनी की वेबसाईट http://www.grse.in/images/pdf/GRSE-Corporate-Social-Responsibility-CSR-PIolicy.pdf पर देखी जा सकती है।

कंपनी की सीएसआर पहल के फोकस एरिया में शामिल है – स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, कुशलता विकास, शैक्षिक संस्थानों का संरचना विकास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अभियान, जल-निकासी एवं स्वास्थ्य, दिव्यांग व्यक्तियों को अलग तरीके से मुख्य धारा में लाना तथा हाशिए वाले क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तथापि, भारत में कोविड-19 के फैलने, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा महामारी के रूप में इसको घोषित करने और इसे एक अधिसूचित संकट के रूप में मानने के भारत सरकार के निर्णय के मद्देनजर, एमसीए ने यह स्पष्ट करने के लिए आदेश परिचालित किया है कि सीएसआर निधि का उपयोग प्रतिरोधात्मक केयर स्वास्थ्य केयर संरचना तथा आपात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। टनल के अंत में संकीर्ण प्रकाश प्रदान करने के लिए, जब कोविड-19 ने देश को अपने चपेट में ले लिया है, जीआरएसई ने कोविड प्रतिरोधात्मक पहल तथा फैक्ट्री परिसर के आस-पास रहने वाली जनसंख्या के हाशिये वाले क्षेत्र के लिए अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने का शानदार कार्य किया है। इतना ही नहीं दिव्यांगों को भिन्न तरीके से मुख्य धारा में लाने एवं सुविधाओं से वंचित आदिवासी बच्चों के समग्र विकास करने का भी कार्य किया है- पौष्टिक पूरक खाद्य प्रदान सहित, खासकर तब जब यह क्षेत्र महामारी द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन **परिशिष्ट-ई** में दर्शाया गया है।

जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 21 के अनुसरण में कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण एवं इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंश, जोखिम प्रबंधन नीति आदि निगमित शासन रिपोर्ट में दर्शायी गई है तथा जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का अंश है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल किया है। सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 (2) (एफ) विनियमों में कहा गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रारूप में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से सूचीबद्ध संस्था द्वारा की गई पहल का वर्णन करने वाली एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को जोड़ा गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है, जो इस रिपोर्ट का अंश है।

ऊर्जा, तकनीकी नियम और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है, ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित

प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी की प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर नंबर 680 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी है।

आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) के प्रावधानों के साथ सामंजस्य रखते हुए आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान दिलाने हेतु एक सम्यक-पारिभाषित मेकनिज्म है।

आरटीआई सम्बन्धी मामलों को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 और उसमें वर्णित नियमों के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल 112 अदद आरटीआई अनुरोध ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड के जरिये प्राप्त हुए थे, जबकि पिछले वर्ष का प्रारंभिक शेष थे 2। वर्ष के दौरान कुल 104 अदद आरटीआई आवेदनों के उत्तर दिए गए और दो अदद आरटीआई आवेदनों को भारत सरकार के संबंधित विभागों को भेजे गये और शेष 8 अदद आरटीआई आवेदन वर्ष 2021-22 में आगे ले जाये गये। आरटीआई प्रथम अपील के मामले में, 10 अदद आरटीआई फर्स्ट अपील वर्ष 2020-21 के दौरान ऑनलाईन/ऑफलाईन के जरिये प्राप्त हुए थे और पिछले वर्ष से कोई भी फर्स्ट अपील प्रारंभिक शेष के रूप में नहीं लाया गया था। कुल 10 अदद आरटीआई फर्स्ट अपील पर निर्णय लिए गए एवं उनके उत्तर दिए गए। तिमाही रिटर्न सीआईसी की वेबसाईट तथा साथ ही साथ डीओपीटी के वेबसाईट पर अपलोड किये जा रहे हैं। सूचना के प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर आरटीआई लिंक के अधीन जीआरएसई की वेबसाईट पर अपलोड किये गये थे, जैसा कि सीआइसी द्वारा निर्देशित किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 के प्रावधान के अनुपालन में, वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम पर इन-हाउस जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

'कार्यस्थल महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के अनुसार, एक बाह्य स्वतंत्र सदस्य जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति हैं, के साथ 18 अगस्त 17 को आतंरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 'के तहत धारा 21 के अनुसार और इसके तहत बनाए गए नियम, निम्नलिखित विवरण सबमिट किए गए हैं:

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: **शून्य**

(ii) वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या: एक

(iii) नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित शिकायतों की संख्या: **शून्य**

(iv) यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशाला या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या: **एक**

(v) वर्ष के दौरान आयोजित आंतरिक समिति की बैठकों की संख्या – **तीन**

लोक शिकायत

शिकायत का पारदर्शी एवं समय-बद्ध तरीके से निवारण के सुविधार्थ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, जन अभियोग एवं पेंशन, भारत सरकार ने एक वेब आधारित मॉनीटरिंग सिस्टम www.pqportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर प्रारंभ किया है।

आपकी कंपनी लोक शिकायत का निराकरण कुशलता पूर्वक एवं समय-बद्ध तरीके से करने के लिए कृतसंकल्प है। लोक शिकायत की प्राप्ति के उपरान्त, प्रत्येक मामले के तथ्यों की जॉच के द्वारा निराकरण सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल 18 अदद लोक शिकायत ऑनलाईन/ऑफलाईन के जरिये प्राप्त हुए थे और किसी भी अभियोग को पिछले वर्ष से प्रारंभिक शेष के रूप में आगे नहीं लाया गया था। कुल 17 लोक शिकायत का निराकरण किया गया था। एक अदद शिकायत को वर्ष 2021-22 में आगे ले आया गया और उसका निराकरण 03.04.2021 को कर दिया गया। शिकायत समिति का विवरण कंपनी की वेबसाईट पर पीजी के लिंक के प्रावधान सहित अपलोड किया गया है, ताकि लोक शिकायत को ऑनलाईन फाईल कर सकें।

सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य, कंपनी के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, इस विभाग ने वर्ष के दौरान पूर्वनुमानिक और निवारक दोनों तरह की सतर्कता पर ध्यान दिया। कई क्षेत्रों के क्रियाकलापों को ग्रहण किया गया और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया और उनकी जांच की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जांच और संतुलन की प्रणालियाँ, आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम कर रही हैं। कई मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां भी की गई:

(क) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

(ख) निवारक उपाय के रूप में, नियमित और औचक निरीक्षण और फाइलों के सत्यापन का कार्य किया गया।

(ग) कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन में प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

(घ) सीवीसी के निदेशों के अनुसार, नवंबर 2020 से सतर्कता संबंधी उपाय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण शुरू किया गया है। हर महिने 20 अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

(ङ) अधिकारियों द्वारा दायर वार्षिक संपत्ति विवरण की जांच की गई। विभिन्न चरणों में अधिकारियों की सतर्कता स्थिति का आकलन किया गया। कंपनी में संवेदनशील पदों की पहचान की गई और अधिकारियों के रोटेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के बिंदुओं के कार्यान्वयन की निगरानी त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से की जा रही है और रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है।

(च) रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डीपीएसयू के बीच अंतर-संगठन लेखापरीक्षा की गई।

(छ) सीबीआई के साथ सहमत सूची भी तैयार की गई थी और सीबीआई के साथ नजदीकी संपर्क बनाए रखा गया था।

(ज) कंपनी ने 27 अक्टूबर - 02 नवंबर 2020 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह और कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए आउटरीच गतिविधियां मनाया।

(झ) सतर्कता मामलों की स्थिति से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ बैठक की गई।

सत्यनिष्ठा अनुबंध

क्रय गतिविधि में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पहलों में से एक है- बड़े मूल्य के ठेकें में सत्यनिष्ठा अनुबंध को लागू करने का उद्देश्य। रक्षा मंत्रालय तथा सीवीसी से प्राप्त दिशा-निर्देशों से तालमेल रखते हुए आपकी कंपनी ने रु 2 करोड़ और उससे ऊपर मूल्य के सभी ऑर्डरों / ठेकों के लिए सभी वेण्डरों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा अनुबंध अपनाया है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध संभावित वेण्डरों/बोलीदाताओं और मालिक (जीआरएसई) के बीच एक करार पर अनिवार्य रूप से विचार करता है, जो दोनों ओर के व्यक्तियों/अधिकारियों को वचनबद्ध करता है- ठेके के किसी भी स्तर/पहलू में कोई भी भ्रष्टाचार जनित कार्य न करने के लिए। सिर्फ उसी वेण्डर/बोलीदाता को, जो इसप्रकार के अनुबंध के लिए मालिक के साथ बचनबद्ध हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी खास ठेके के सम्बन्ध में सत्यनिष्ठा अनुबंध बोली आमंत्रण के स्तर से लेकर ठेके के अंतिम रूप से पूरा होने तक लागू रहेगा। उसका किसी प्रकार से उल्लंघन बोलीदाता को अयोग्य ठहरायेगा और भविष्य में बिजनेश डीलिंग से उसे निकाल दिया जायेगा।

जैसी कि सीवीसी द्वारा सिफारिश की गई है, कंपनी ने श्री गिरीश शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) तथा श्री आर कुप्पन, आईआरएसएमई (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति कंपनी में सत्यनिष्ठा अनुबंध के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) के रूप में की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आईईएम ने 224 ठेकों की मॉनीटरिंग की और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ संरचित बैठकें की।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में किसी प्रकटीकरण या प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था :

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की रिपोर्ट या वित्तीय विवरण के किसी स्वैच्छिक संशोधन का विस्तृत कारण जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय v के अन्तर्गत शामिल जमा से संबंधित विवरण।

(ग) लाभांश, मतदान या किसी अन्य मुद्दे की तरह अंतरपरक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का मुद्दा।

(घ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की वर्तमान चिंता स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करता हो।

आभार

आपके निदेशक, रक्षा उत्पदान विभाग और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के निरंतर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और अपने आभार को दर्ज कराते हैं। निदेशक, भारत सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और अन्य राज्यों की सरकारों के सतही परिवहन मंत्रालय के निरंतर सहयोग और बहुमूल्य समर्थन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके निदेशक, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, ऑर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस विभाग और अन्य बहुमूल्य ग्राहकों के साथ-साथ व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा आपकी कंपनी पर विश्वास रखने के लिए उनके आभारी हैं। हम अपने कर्तव्य के पालन में असफल हो जाएंगे यदि हमें युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक और उनकी समर्पित टीम का सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलता जिनकी चौकस नज़रों के अंतर्गत हमारे पोतों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, हम सभी वर्गीकरणों सोसाइटियों, विशेष रूप से, आईआरएस एवं एबीएस को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने गुणवत्ता और मानकों के पालन को सुनिश्चित किया है।

निदेशक, भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षण बोर्ड, बेंगलुरु के पूर्व अधिकारियों, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी क़ानून बोर्ड और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा प्रदान प्राप्त सहयोग और बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, अपने सांविधिक, लागत एवं आतंरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अनियंत्रित प्रयासों के कारण आपकी कंपनी कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में सबसे आगे बने रहने में सक्षम हुई है।

कृते निदेशक मंडल

(वी के सक्सेना)

रियर एडमिरल, भानौ (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07696782

कोलकाता

तारीख: 26 जुलाई, 2021

परिशिष्ट – क

31 दिसंबर 2020 को स्थायी एवं संविदा पर काम करने वाले अ.ज / अ.ज.ज / अ.पि.व / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

समूह / वर्ग	कुल संख्या शक्ति	अ.ज	अ.ज.जa	अ.पि.व	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारियों
समूह - क	452	80	23	118	56	12	31
समूह – ख	31	3	2	7	14	1	2
समूह – ग	1265	288	46	161	71	34	30
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	145	38	9	9	2	6	33
समूह- घ (सफाईवाला)	13	12	-	-	-	-	-
कुल	1906	421	80	295	143	53	96

परिशिष्ट – ख

स्थायी वर्ग एवं संविदा वर्ग (नियत अवधि / जर्नीमेन) के अंतर्गत 2020 के दौरान की गई भर्ती का विवरण

समूह / वर्ग	कुल भर्ती	अ.ज	अ.ज.ज	अ.पि.व	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारियों
समूह - क	33	1	2	18	5	1	3
समूह – ख	3	-	-	-	3	-	-
समूह – ग	2	1	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-
समूह- घ (सफाईवाला)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	38	2	2	18	8	1	3

परिशिष्ट – “ ग ”

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31, मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
नियम,2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन
61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता- 700024

हमने दिनांक 19 अगस्त 2020 के लेखापरीक्षा कार्यव्यस्तता पत्र के अनुसार 31, मार्च 2021 (‘लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद **“कंपनी”** उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपना मत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला।

कंपनी के खातें, दस्तावेज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड (अनुलग्नक –II के अनुसार) में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मत में, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है;

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त खातें, दस्तावेज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

1 कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम;

3. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश : -

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (“सूचीबद्ध विनिमय”) ;

5. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक 1 और 2।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

2. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 ;

3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;

4. वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;

5. भारतीय विद्युत, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 2005;

6. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;

7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कृपया हमारे उस तिथि के पत्र का संदर्भ लें, जो **अनुबंध 'I'** के रूप में संलग्न है, जिसे इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग पढ़ा जाना है।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा तक के अलावा ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधान के साथ संकलित किया गया है।

1. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना

स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के बोर्ड में नहीं थी जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी उद्यम (सीपीएसई) और 21 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1), जो लेखा परीक्षा अवधि के अंतर्गत अधिनियम की धारा 149(4), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 और 3.1.4 में विचार किया गया था।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 149 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में 15 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं।

2. कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की संरचना

09 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के दौरान लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आने वाले अधिनियम की धारा 177, सीपीएसई पर निगमित शासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18(1) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

3. कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

09 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के दौरान लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आने वाले अधिनियम की धारा 178, सीपीएसई पर निगमित शासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार,बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने कई अवसरों पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी), भारत सरकार से बोर्ड में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। हालांकि, रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी बाकी है।

4. लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं

लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान किए गए कुछ अन्य निगमित शासन प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक फ्रेमवर्क को यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस तरह नियामक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, सूचीकरण विनियमों अर्थात उप-विनियम (4) और (10) विनियम 17, विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं को अनुसूची II के भाग सी पैरा ए के साथ, विनियम 19(4) अनुसूची II के भाग डी पैरा ए और विनियम 25(4) आदि के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

सर्वोत्तम प्रथाओं के मामले के रूप में सिफारिशें:

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अच्छे निगमित अभ्यास के लिए कुछ सिफारिशें की हैं जो कंपनी द्वारा आवश्यक विचार और कार्यान्वयन के लिए अलग से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में पूर्वोक्त को छोड़कर सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड या समिति के सभी निर्णयों के अपेक्षित बहुमत के साथ लिया गया और कार्यवृत के भाग के रूप में दर्ज किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, कंपनी ने सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर अधिनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य विशिष्ट क़ानूनों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने किसी भी विशिष्ट अवसर पर खर्च नहीं किया है जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के अनुपालन उत्तरदायित्व पर हो।

शहर की स्थानीय परिसीमाओं के अदंर पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

कंपनी ने 4 मार्च 2021 को शहर की स्थानीय परिसीमाओं के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय को 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700002 से जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700024 में स्थानांतरित कर दिया है।

विनोद कोठारी एण्ड कंपनी के लिए
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
यूनिक कोड : P1996WB042300

हस्ता/-
मुन्मी फूकन
एसीएस सं .: A60355
सी पी सं .: 22846
यूडीआईएन :A060355C000671691
सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र सं.:781/2020

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 जूलाई, 2021

अनुलग्नक – I

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

सेवा में ,

सदस्यगण,

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट उसी तिथी के अनुसार इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी मत व्यक्त करना है। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया कि उद्देश्य के लिए दस्तावेजों की सूची, **अनुलग्नक II** में सूचीबद्ध है ;
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी मत को एक उचित आधार प्रदान करते है ;
3. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले विधि अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे सबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
4. हमारी लेखापरीक्षा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जांच पर आधारित थी, मौजूदा परिस्थितियों में, खातों और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के तहत व्यवहार्य है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों के लेखा-जोखा की शुद्धता और उपयुक्ता के साथ-साथ विभिन्न खुलासों और रिटर्न में उल्लिखित मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता की सत्यापन नहीं किया है, जैसा कि दी गई जानकारी में इस तरह के रिटर्न पर एक निश्चित सीमा तक कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है।
7. निगमित और अन्य लागू कानूनों,नियमों,विनियमों,मानकों के प्रावधानों का अनुपानल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
8. आंतरिक, वित्तीय, और संचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतियाँ या सामग्री गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा ठीक से नियोजित और लेखापरीक्षा अभ्यास के अनुसार किया गया हो।
9. इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक (ओं)/एजेंसियों /अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में टिप्पणियों के अवलोकन के अलगाव के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए।
10. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अनुलग्नक – II

दस्तावेजों की सूची

1. निगमित मामलें ;

   1.1 निम्न बैठकों का कार्यवृत पुस्तिका प्रदान किए गए:

      1.1.1 बोर्ड बैठक;

      1.1.2 लेखापरीक्षा समिति;

      1.1.3 नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

      1.1.4 हितधारक संबंध समिति;

      1.1.5 निगमित सामाजिक दायित्व समिति;

      1.1.6 आम बैठक;

   1.2 नोटिस के साथ-साथ बोर्ड और समिति की बैठक के लिए एजेंडा पेपर;

   1.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट;

   1.4 एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख;

   1.5 अधिनियम के तहत प्रकटीकरण;

   1.6 अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों के तहत तैयार की गई नीतियां;

   1.7 अधिनियम के तहत मेंटेन किए गए रजिस्टर;

   1.8 कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई फॉर्म और रिटर्न।

परिशिष्ट - "डी"

फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अनुवर्ती)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र , जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

1. आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	कोई नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें	कोई नहीं
ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	कोई नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	कोई नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं
वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था	कोई नहीं

2. अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर था

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	कोई नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें मूल्य सहित	कोई नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	कोई नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं

कृते निदेशक मंडल

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07696782

परिशिष्ट - " ई "

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा

जीआरएसई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने अस्तित्व के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है, जैसे कि कंपनी के संचालन और इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की पूर्ति इसके मूल दर्शन में समान आधार पर आयोजित की जाती है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी यूनिटों के आस-पास स्थित समुदाय हमारी विकास गाथा में महत्वपूर्ण साझेदार/हितधारक हैं।

कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम 2013, डीपीई और एमओडी दिशानिर्देशों और जीआरएसई सीएसआर नीति द्वारा शासित हैं। निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 40 (ई) दिनांक 22 जनवरी 2021 को कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 जारी किया है । निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 द्वारा अधिसूचित उपरोक्त संशोधनों के मद्देनजर, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक संशोधित जीआरएसई नीति 29 मार्च 2021 को प्रख्यापित की गई थी। जीआरएसई की सभी सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्मित कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं। ऐसी गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थिरता पर मण्डल स्तर की समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की सिफारिश करती है ।मण्डल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।परियोजनाओं को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और वांछित प्रगति के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो वांछित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है।मण्डल स्तर की समिति विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

II. वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीआरएसई द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं

1. स्वास्थ्य देखभाल और पोषण परियोजनाएं

कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण वर्ष 2020-21 अभूतपूर्व था और इस वर्ष के दौरान अधिकांश सीएसआर परियोजनाओं को हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था।

(i) प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स) 28 मार्च 2020 को बनाया गया था ताकि नागरिकों/ कंपनियों को कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर सरकार की स्वास्थ्य देखभाल, रोकथाम और राहत प्रयासों में योगदान करने में सक्षम बनाया जा सके। निगमित मामलों के मंत्रालय ने सीएसआर दायित्वों के तहत अपने खर्च के हिस्से के रूप में पीएम केयर्स फंड में योगदान की गणना करने के लिए 29 मार्च 2020 को सीएसआर मानदंडों में संशोधन किया। कोविड-19 के खिलाफ देश को लड़ने के लिए समर्थन में, जीआरएसई ने 1 करोड़ रू की राशि का योगदान दिया।

(ii) लॉकडाउन के दौरान राहत सामग्री प्रदान किया गया

जीआरएसई ने कारखाने परिसर के आसपास रहने वाले दैनिक वेतन भोगियों के संकटग्रस्त परिवारों को कुछ राहत प्रदान करने के विनम्र प्रयास में, राहत उपाय के रूप में खाद्यान्न वितरित किया। लॉकडाउन के दौरान मेटियाब्रुज के स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले 450 अल्प सुविधा प्राप्त परिवारों को खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए । इस पहल के माध्यम से, जीआरएसई ने पड़ोस में रहने वाले दैनिक वेतन भोगियों और प्रवासी श्रमिकों के बड़े वर्ग को सहायता प्रदान की, जो देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ थे।

(iii) लॉकडाउन के दौरान मास्क का वितरण

फेस मास्क कोविड -19 से बचाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपकरणों में से एक है, जीआरएसई ने 2020 में लॉकडाउन अवधि के दौरान इलाके के जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन वितरित किया।

(iv) संविदाकार महिलाओं हेतु चिकित्सा जांच

जीआरएसई ने संविदाकार महिलाओं के लिए एक नई परियोजना- मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू करके अपने सीएसआर क्षितिज का विस्तार किया। इस बीमारी के प्रति अतिसंवेदनशील होने वाले संविदाकारों के कामगारों सह-रुग्ण स्थितियों की पहचान करने के

लिए जीआरएसई ने संविदाकारों के कामगारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया, ताकि निवारक कार्रवाई की जा सके। इस परियोजना से 2100 से अधिक संविदाकारों के कामगारों को लाभ हुआ।

(v) मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर 'डॉक्टर आपके द्वार'

वित्त वर्ष 2020-21 में, जीआरएसई द्वारा एक अनूठी सीएसआर पहल 'डॉक्टर आपके द्वार' की शुरुआत की गई थी, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सहयोग से मेटियाब्रुज क्षेत्र में और उसके आसपास झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। कोविड -19 की पहली लहर के कठिन समय के दौरान, अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को अपनी अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना बहुत कठिन लगा। इस पहल के माध्यम से जीआरएसई ने अपने इलाके में डॉक्टरों के अधिकार की व्यवस्था करके स्थानीय समुदाय की इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। 3,000 से अधिक स्थानीय जरूरतमंद और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों ने सभी सामाजिक दूरियों के मानदंडों को बनाए रखते हुए शिविरों में भाग लिया।

(vi) स्वास्थ्य जांच शिविर

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा इलाके के आर्थिक और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त आबादी को मूल नैदानिक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किया गया था। प्रारंभ में महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच शिविर/ क्लीनिक आयोजित किए जाते थे। हालांकि, हर महीने दो स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करके इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। प्रत्येक शिविर औसतन 250-300 रोगियों की सेवा करता है और यह एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है जो पिछले 01 दशक से सफलतापूर्वक जारी है और इसने लगभग 34,000 लाभार्थियों को प्रभावित किया है।

(vii) रक्तदान शिविर

23 फरवरी 2021 को थैलेसीमिया ऑफ इंडिया के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।जीआरएसई कर्मचारी, ट्रेड अपरेंटिस, सीआईएसएफ कर्मी और ठेकेदार के कार्यकर्ता सहित लगभग 90 दाताओं ने ने नेक काम के लिए रक्तदान किया।

(viii) एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अल्प सुविधा प्राप्त आदिवासी बच्चों का समग्र विकास-

जीआरएसई रामकृष्ण मिशन,बेलूरमठ के साथ रांची जिले के आदिवासी क्षेत्रों बद्री, गेटल्सुद, कुटुर्लोबा और टुपुड़ना के अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के सर्वांगीण विकास का समर्थन कर रहा है।

यह परियोजना रामकृष्ण मिशन,बेलूरमठ के गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी) के तहत कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना लगभग 255 आदिवासी बच्चों के समग्र विकास को लक्षित करती है, जिसमें दैनिक पोषक तत्व भोजन की खुराक / सूखा राशन, किताबें, अध्ययन सामग्री, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, फूटवियर, दवाएं, खेल सामग्री आदि प्रदान की जाती हैं, समय-समय पर इन बच्चों की शारीरिक गतिविधियों के लिए चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य जागरूकता कक्षाएं आदि आयोजित की जाती हैं।

(ix) दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना

जीआरएसई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के साथ एक दशक लंबा जुड़ाव है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, जीआरएसई ने आईआईसीपी को 53.08 लाख रू की वित्तीय सहायता का विस्तार निम्नलिखित उपायों के समर्थन के लिए किया है:

(क) आईआईसीपी के 03 कक्षाओं को अपनाना।

(ख) आईआईसीपी भवन का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य जो अम्फान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ग) दिव्यांग बच्चों के लिए के लिए आसान परिवहन हेतु फ़ोल्डेबल रैंप के साथ टाटा विंगर मिनी बस उपलब्ध कराना।

इस तरह के प्रयासों को इन विशेष बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्षित किया जाता है और जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है।

2. कौशल भारत मिशन

कौशल विकास जीआरएसई के सीएसआर उद्देश्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह देश में बेरोजगारी के चुनौतीपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है। सीएसआर के तहत जीआरएसई के कौशल विकास पहलों का मुख्य फोकस मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलना है। वित्त वर्ष 2020-21 में, कौशल विकास गतिविधियों को गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मामले में कंपनी में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था और साथ ही चार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करने और अपने छात्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन में समर्थन किया गया।

(i) स्थानीय सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का विकास

वित्तीय वर्ष 2016-17 से, जीआरएसई स्थानीय सरकारी आईटीआई के उनके कौशल विकास प्रशिक्षण में सुधार लाने में सहयोग कर रहा है ।वित्तीय वर्ष 2020-21 में, जीआरएसई ने महिला आईटीआई कोलकाता, आईटीआई टॉलीगंज, कोलकाता (जहां जीआरएसई वेल्डिंग में उत्कृष्टता का एक केंद्र की स्थापना की है) और सरकारी आईटीआई बेलूरघाट (पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित) को सहायता प्रदान करना जारी रखा है। । इसके अलावा, जीआरएसई ने सरकारी आईटीआई गरियाहाट, कोलकाता में कौशल विकास परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की है। जीआरएसई और आईटीआई गरियाहाट के आईएमसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से इन आईटीआई में 12 विभिन्न ट्रेडों के लगभग 500 छात्र जीआरएसई सीएसआर पहल से लाभान्वित हुए।

(ii) समर्थित आईटीआई में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास

जीआरएसई ने सौर तकनीशियन व्यापार के लिए एक नई कार्यशाला स्थापित करने में महिला आईटीआई का समर्थन किया है जो सौर प्रौद्योगिकी पर तकनीशियनों को ऊर्जा का एक गैर-नवीकरणीय स्रोत का प्रशिक्षित करेगा। सरकारी आईटीआईटी टॉलीगंज में दो कक्षाओं के बुनियादी ढांचे को स्मार्ट कक्षा में अपग्रेड किया गया ताकि प्रशिक्षु ऑडियो-वीडियो सहायता का उपयोग करके सीख सकें। सरकारी आईटीआई बालुरघाट में नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन और सहायक उपकरण वाले 10 नई कंप्यूटर के साथ एक नई आईटी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जीआरएसई ने सरकारी आईटीआई गरियाहाट में इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेडों की प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की है। नवीनतम मशीनों, उपकरणों और उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से क्षमता वृद्धि की पहल के साथ, मौजूदा छात्रों के साथ-साथ भविष्य के बैचों को बेहतर व्यावहारिक प्रशिक्षण और उनके व्यावहारिक कौशल में सुधार करने का अवसर मिलेगा।

(iii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि की है। कंपनी के प्रशिक्षण सुविधा के तहत व्यापार अपरेंटिस, स्नातक प्रशिक्षु और तकनीशियन अपरेंटिस श्रेणियों को बारानगर यूनिट - तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में कुल 234 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता हैं।

3. अन्य परियोजनाएं

(i) स्कूल का विकास

हावड़ा जिले में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आर बी संस्थान एकमात्र विशेष बच्चों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। ऐसे इस स्कूल में 90% से 40% विकलांगता वाले लगभग 45 विशेष बच्चे नामांकित हैं। स्कूल भवन की संरचना इस हद तक खराब हो गई थी कि कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो गया था। जीआरएसई ने स्कूल भवन, मोटिवेशन हॉल का नवीनीकरण और 02 अतिरिक्त क्लास रूम और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण करके सहायता किया। यह हस्तक्षेप इसलिए किया गया ताकि कक्षाएं बिना किसी कठिनाई के जारी रह सकें।

(ii) रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की दिशा में योगदान (आईडीईएक्स)

'रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार' (आईडीईएक्स) औपचारिक रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सीपीएसई कॉन्क्लेव के दौरान अप्रैल, 2018 में शुरू किया गया था। आईडीईएक्स पहल का उद्देश्य आकर्षक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा रक्षा में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए एक इको-सिस्टम बनाना है ।जीआरएसई के लिए, सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) – आईआईएम (अहमदाबाद) को डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (डीआईओ) पार्टनर के रूप में पहचाना गया है ।जीआरएसई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) की दिशा में 15 लाख रु राशि का योगदान दिया है।

सीएसआर गैलेरी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) को वित्तीय सहायता

दिव्यांग बच्चों के परिवहन हेतु आईआईसीपी को मिनी बस उपलब्ध कराया गया।

संविदाकार महिलाओं हेतु स्वास्थ्य जांच

मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर 'डॉक्टर आपके द्वार'

रामकृष्ण मिशन के साथ अल्प सुविधा प्राप्त आदिवासी बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समर्थन।

कौशल विकाश हेतु आईआईटी बालुरघाट के साथ सहयोग

मेटियाब्रुज के स्थानीय जरूरतमद लोगों को जीआरएसई की सहायता

रक्त दान शिविर

III. सीएसआर समिति का गठन

क्रं. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
(क)	श्रीमती कंवलजीत देओल [1] अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	3	1
(ख)	डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी [2] अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	3	2
(ग)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोत निर्माण)	सदस्य	3	2
(घ)	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	3	3

[1] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[2] 30 सितंबर 2020 को समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में स्वीकृत

IV. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती है- http://www.grse.in/images/pdf/GRSE-Corporate-Social-Responsibility-CSR-Policy.pdf

V. कंपनी के नियम 8 के उप नियम (3) (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं, का प्रभाव मूल्यांकन के विवरण यदि लागू हो (संलग्न रिपोर्ट) - । - **कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लागू नहीं है।**

VI. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रं. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
		शून्य	

VII. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत -

353.72 लाख रु.

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों व गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)

353.72 लाख रु.

VIII. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
370 लाख रु·	**शून्य**				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** के विरूद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण**: लागू नहीं**

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	(10) कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	(11) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य** पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण**:**

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ /नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	(7) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	(8) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	पीएम केयर फंड में योगदान	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन खंड- (xii) आपदा प्रबंधन, राहत सहित		पैन इंडिया		100.00	नहीं	भारत सरकार	-
2.	मोबाइल हेल्थ चेक – अप शिविर “डॉक्टर आपके द्वार”	खंड -(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र,	27.50	नहीं	बेन्नेट्ट कोलेमन एवं कंपनी लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, ग्रुप	-
3.	ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया गया लगभग 2100 स्थानीय व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच	खंड -(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र,	26.42	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
4.	लॉकडाउन के दौरान स्थानीय अल्प सुविधा प्राप्त समुदाय को राहत सामग्री प्रदान करना	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन खंड- (xii) आपदा प्रबंधन, राहत सहित	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र,	1.83	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
5.	स्थानीय अल्प सुविधा प्राप्त को 22,500 मास्क का वितरण	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र,	2.70	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-

(1) क्रं. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ /नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	(7) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	(8) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6.	रांची जिले (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) आदिवासी क्षेत्रों के 255 अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों का समग्र विकास	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना खंड- (ii) बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना	नहीं	झारखंड	रांची जिला	23.29	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	-
7.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के तीन कक्षाओं और बुनियादी ढांचे का एडोप्श्न	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना खंड- (ii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें	53.08	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी)	-
8.	स्वास्थ्य जांच शिविर व रक्तदान शिविर	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र	6.82	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
9.	जन शक्ति के 10% के रक्षा मंत्रालय के निदेशों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के 2.5% से ऊपर और उससे ऊपर भर्ती अप्रेंटिसों को स्टाइपेंड का भुगतान किया गया।	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें	52.99	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
10.	आईटीआई, टॉलीगंज (वेल्डिंग में उत्कृष्टता केंद्र), महिला आईटीआई, कोलकाता, आईटीआई गरियाहाट और आईटीआई बालुरघाट में प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के समर्थन का विकास और आईटीआई छात्रों और जीआरएसई में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ट्रेड अपरेंटिस को प्लेसमेंट सहायता।	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	टॉलीगंज, गरियाहाट, बालुरघाट	43.38	नहीं	04 सरकारी आईटीआई: आईटीआई टॉलीगंज, महिला आईटीआई, गरियाहाट , आईटीआई, बालुरघाट और आईटीआई, गरियाहाट	-
11.	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आरबी संस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सहायता	खंड (ii) दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	14.99	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
12.	स्वच्छ गंगा फंड में योगदान	खंड - (iv) गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा फंड में योगदान;		पैन इंडिया		2.00	नहीं	भारत सरकार	-
13.	रक्षा उत्कृष्टता (आईडीईएक्स) – डीआईओ के लिए नवाचार की दिशा में योगदान	खंड - (ix) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों में योगदान।		पैन इंडिया		15.00	नहीं	सीआईआईईए – आईआईएम (ए)	-
	कुल					**370 .00**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि - **शून्य**

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - **लागू नहीं**

(च) कुल राशि वित्तीय के लिए खर्च वर्ष (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ) - **370** लाख रू

(छ) सेट ऑफ हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रं. सं.	विवरण	राशि (` लाख रू)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**353.72**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	**370.00**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	**16.28**
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष , यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**16.28**

IX. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

क्रं. सं.	गत वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाता में राशि हस्तांतरित करना	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू में)
				फंड का नाम	राशि (रू में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.				**शून्य**			

पिछले वित्तीय वर्ष के **चल रही परियोजनाओं** के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण**: लागू नहीं**

(1) क्रं. सं.	(2) परियोजना	(3) परियोजना का नाम	(4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई	(5) परियोजना अवधि	(6) परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (रू में)	(7) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रू में)	(8) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में परियोजना पर व्यय की गई समेकित राशि (रू में)	(9) परियोजना की स्थिति - पूरा हुआ /चल रही है
1.								
	कुल							

X. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि -

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

क्रं. सं.	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण	पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान
1	01 फरवरी 2021	4,71,392/- रू.	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (डबल्यूआईटीआई) कोलकाता,** 2/1, अनिल मोइत्रा रोड, कोलकाता-700019	**सौर तकनीशियन व्यापार के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास** रूफटॉप माउंटिंग स्ट्रक्चर (01 नं.) सनशाइन रिकॉर्डर (01 नं.) सोलर सेल के ग्रुपिंग के साथ सोलर एनर्जी ट्रेनर किट (01 नं.) प्रयोगशाला में सौर पैनलों की रोशनी के लिए स्टैंड के साथ हलोजन लैंप (02 नं.) डीसी पंप (01 नं.) प्रयुक्त जल उपचार सोलर प्लांट डिमॉन्स्ट्रेटर किट (01 नं.) पायरानोमीटर (01 नं.) सोलर सेल आधारित सनलाइट रेडिएशन मीटर (01 नं.) सौर सेल विशेषता अध्ययन के लिए सौर सिम्युलेटर (01 संख्या) सोलर पीसीयू (01 नं.) सोलर ट्रैफिक लाइट (01 नं.)	सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (डबल्यूआईटीआई) कोलकाता, 2/1, अनिल मोइत्रा रोड, कोलकाता-700019
2	23 दिसंबर 2020	4,41,000/- रू.	**सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) टॉलीगंज,** 24 चंडी घोष रोड, *कोलकाता* -700040	**स्मार्ट क्लासरूम 01 नं. का आधारभूत संरचना का उन्नयन** फाल्स सीलिंग की आपूर्ति और फिक्सिंग (80 वर्ग मीटर) 2 टन एयर कंडीशनिंग मशीनों की आपूर्ति और स्थापना (04 नं.) फाल्स सीलिंग लाइट्स (12 नं.), दीवार पर लगे पंखे (04 नं.) और इलेक्ट्रिकल /विद्युत लाइनों की आपूर्ति और स्थापना।	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई),टॉलीगंज, 24 चंडी घोष रोड, *कोलकाता* -700040
3	01 मार्च 2021	7,14,543/- रू.	**सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बालुरघाट,** अटोइर, पीओ- बिदोयपुर (बीटी पार्क के माध्यम से), जिला दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे का विकास** डेस्कटॉप कंप्यूटर - एचपी इंटेल कोर आई3 9100 4 ज/1000 जीबी एचडीडी/ विंडोज 10 प्रोफेशनल (10 नं.) एवीआर के साथ लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस संख्यातमक 0.6/84 (केवीए/वीएएच) (10 नं.) कंप्यूटर टेबल - डबल्यूएफ़जी 119 (10 नं.)	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बालुरघाट, अटोइर, पीओ- बिदोयपुर (बीटी पार्क के माध्यम से), जिला दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
4	16 मार्च 2021	4,31,755/- रू.	**सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), टॉलीगंज,** 24 चंडी घोष रोड, *कोलकाता* -700040	**स्मार्ट क्लासरूम 01 नं. का आधारभूत संरचना का उन्नयन** दीवार और छत पर ऐक्रेलिक प्राइमर और इमल्शन पेंट के साथ फाल्स सीलिंग (70.68 वर्ग मीटर) की आपूर्ति और फिक्सिंग 2 टन एयर कंडीशनिंग मशीनों की आपूर्ति और स्थापना (04 नं.) फाल्स सीलिंग लाइट्स (12 नग), दीवार पर लगे पंखे (04 नं.) और इलेक्ट्रिकल/विद्युत लाइनों की आपूर्ति और स्थापना	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) , टॉलीगंज, 24 चंडी घोष रोड, *कोलकाता* -700040

क्रं. सं.	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण	पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान
5	19 मार्च 2021	8,91,761/- रू॰	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (डबल्यूआईटीआई) कोलकाता,** 2/1, अनिल मोइत्रा रोड, कोलकाता- 700019	**सौर तकनीशियन व्यापार के लिए प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का विकास**	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (डबल्यूआईटीआई) कोलकाता,** 2/1, अनिल मोइत्रा रोड, कोलकाता- 700019
				लीड एसिड बैटरी (02 नं.)	
				सोलर ग्रिड बंधा हुआ इन्वर्टर डिमॉन्स्ट्रेटर किट (01 नं.)	
				सोलर डीसी पंप (01 नं.)	
				I-V वक्र परीक्षक (01 नं.)	
				पवन उत्पादन के लिए प्रदर्शन किट (01 नं.)	
				मौसम निगरानी स्टेशन (01 नं.)	
				लेड एसिड बैटरी (02 नं.)	
				सोलर ट्रैकर डिमॉन्स्ट्रेटर किट (01 नं.)	
				सौर पवन और हाइब्रिड विद्युत संयंत्र (01 नं.)	
6	09 मार्च 2021	8,90,024/- रू॰	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कोलकाता, गड़ियाहाट कोलकाता** 10&10/1, गड़ियाहट रोड, कोलकाता - 700019	**इलेक्ट्रीशियन व्यापार के लिए प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का विकास**	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कोलकाता, गड़ियाहाट कोलकाता** 10&10/1, गड़ियाहट रोड, कोलकाता - 700019
				एससीआर विशेषता ट्रेनर किट (01 नं.)	
				एमओएसएफ़ईटी विशेषता ट्रेनर किट (01 नं.)	
				DIAC और TRIAC विशेषता ट्रेनर किट (01 नं.)	
				मोटर के साथ DIAC और TRIAC ट्रेनर किट का उपयोग कर एसी मोटर नियंत्रण	
				एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट आईसी 555 ट्रेनर किट (01 नं.)	
				डीएसओ, 50 मेगाहर्ट्ज, 2 चैनल (01 नं.)	
				फंक्शन जेनरेटर (01 नं.)	
				बिजली की आपूर्ति (01 नं.)	
				एसी ड्राइव ट्रेनर किट (एसी मोटर 3 फेज मोटर के साथ) वीवीवीएफ, आईजीबीटी कंट्रोल (01 नं.)	
				एसी ड्राइव ट्रेनर किट (एसी मोटर 1 फेज मोटर के साथ) वीवीवीएफ, आईजीबीटी कंट्रोल	
				डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर (मोटर के साथ) आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल (01 नं.)	
				असतत ट्रेनर किट का उपयोग करते हुए बेसिक लॉजिक गेट्स (01 नं.)	
				ट्रांजिस्टर विशेषता ट्रेनर किट (01 नं.)	
				एफईटी विशेषता ट्रेनर किट (01 नं.)	
				कार्य तालिका (2250x1200x750mm) (02 नं.)	
				कार्य तालिका (1500x1200x750mm) (02 नं.)	
				कार्य तालिका (1500x1200x900 मिमी) (01 नं.)	

क्र. सं.	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण	पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान
7	23 मार्च 2021	4,98,078/- रू.	**सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कोलकाता, गड़ियाहाट,**10&10/1, गड़ियाहट रोड, कोलकाता - 700019	**वेल्डर व्यापार के लिए प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का विकास** जलमग्न आर्क वेल्डिंग (अधिकतम 1200A, डायोड आधारित। पूरा सेट) (01 नं.) .	सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कोलकाता, गड़ियाहाट कोलकाता 10&10/1, गड़ियाहट रोड, कोलकाता - 700019
8.	11 मार्च 2021	15,38,832/- रू.	**इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी** पी35/1 ताराटोला रोड, कोलकाता- 700088	फोल्डेबल रैंप के साथ एक अनुकूलित 13 सीटर टाटा विंगर मिनी बस	इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पी35/1 ताराटोला रोड, कोलकाता- 700088
9.	18 जनवरी 2021	4,99,393/- रू.	**मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आरबी संस्थान 7/10, कोना एक्सप्रेस वे, संतरागाछी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711104**	02 अतिरिक्त क्लास रूम एवं अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आरबी संस्थान 7/10, कोना एक्सप्रेस वे, संतरागाछी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711104

XI. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसका कारण बताए – **लागू नहीं**

हस्ता./-
कमोडोर हरि पी आर, भानौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन सं.: 08591411

हस्ता./-
डॉ. विश्वप्रिय रॉयचौधुरी
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन सं.: 08200896

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी के सक्सेना
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 07696782

प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग परिदृश्य

1.1 वैश्विक परिदृश्य

पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य खर्च पर कटौती की वजह से पिछले कुछ वर्षों में नौसैनिक पोत निर्माण बाजार में मंदी देखी गई है। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी ने वैश्विक बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे वैश्विक पोत निर्माण बाजार को प्रभावित किया हैं। हालांकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नौसैनिक बेड़े में पुराने पोतों को बदलने और लड़ाकू प्रौद्योगिकी में परिष्कार के स्तर में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए वापसी की उम्मीद है। वैश्विक नौसैनिक पोत निर्माण बाजार इस दशक की पहली छमाही के दौरान चरम पर रहेगा,जो दोनों सतह के लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की मांग से प्रेरित रहेगा। विश्व स्तर पर, युद्धपोतों की औसत आयु पच्चीस (25) वर्ष के आसपास है और विभिन्न देशों में लगभग 180 खरीद कार्यक्रम चल रहे हैं।

1.2 भारतीय परिदृश्य

भारत में रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड दोनों के फोकस के क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। जबकि आपकी कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच शिपयार्ड रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में सबसे आगे हैं, निजी शिपयार्ड भी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की जरूरतों के अनुरूप क्षमता बढ़ाने और अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढांचे को संशोधित करने के लिए विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एलएंडटी शिपबिल्डिंग और शोफ्ट शिपयार्ड, जो वाणिज्यिक शिपबिल्डर्स के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, रक्षा शिपबिल्डिंग क्षमताओं वाली कंपनियों के रूप में खुद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं।

उद्योग के सूत्रों के अनुसार, रक्षा पोत निर्माण ऑर्डर बुक अगले पांच वर्षों में 8-10% सीएजीआर बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारतीय पोत निर्माण उद्योग की ऑर्डर बुक को भारतीय नौसेना और तटरक्षक की महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इन बलों में प्रत्येक में 200 पोतों का बेड़ा रखने की योजना है। उनके पंद्रह (15) वर्षों से अधिक संयुक्त पोत निर्माण कार्यक्रम ने संकेत दिया कि वे आने वाले वर्षों में लगभग 165 युद्धपोतों के लिए ऑर्डर देंगे।

खुले सूत्रों से प्राप्त के अनुसार, 2027 तक भारतीय नौसेना का अनुमानित पूंजी बजट 4,50,000 करोड़ रू के लगभग है। नियोजित व्यय में पनडुब्बियों (2,20,000 करोड़ रू लगभग), विध्वंसक / फ्रिगेट (90,000 करोड़ रू लगभग), विमान वाहक (45,000 करोड़ रू लगभग), कोर्वेट लैंडिंग प्लेटफार्म आदि सहित विभिन्न पोत श्रेणियों के लिए एक अलग अनुमान शामिल है। भारतीय तटरक्षक के लिए, सरकार ने 32,000 करोड़ रू कार्य योजना की मंजूरी दी है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत, रिफ़िट और उन्नयन के क्षेत्र में आने वाले दशक और उसके बाद भी पर्याप्त बाजार अवसरों की उम्मीद है। उसी को भुनाने के लिए, जीआरएसई भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के जलयानों की मरम्मत और रिफिटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

भारत सरकार द्वारा नई पोत निर्माण नीति के तहत पोत निर्माण उद्योग को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई जो भारतीय पोत निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करती है। पोत निर्माण उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति भी विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों और कर लाभों की सुविधा प्रदान करती है।

2. संगठन की संरचना

वर्तमान में, जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए तीन (3) अलग-अलग सुविधाएं है, जो सभी कोलकाता, भारत में एक-दूसरे के पास के इलाके में स्थित हैं और यह नदी से भी जुड़े हुए हैं। हम पोतों के निर्माण मेन वर्क्स यूनिट और राजाबागन डॉकयार्ड (मुख्य रूप से छोटे पोतों के निर्माण के लिए समर्पित एक सुविधा) में अपने पोतों का निर्माण करते हैं। हमारी तीसरी सुविधा, एफओजे यूनिट का उपयोग मुख्य रूप से पोतों की फिटिंग और मरम्मत के लिए की जाती है। हमारे डीजल इंजन संयंत्र (डीईपी), रांची यूनिट समुद्री प्रणोदन इंजनों के परीक्षण और ओवरहालिंग और डीजल इंजनों की सेमी-नॉक्ड़ वाली इकाइयों के संयोजन में लगी हुई है और हमारे इंजीनियरिंग खंड पोर्टेबल स्टील पुलों के निर्माण और पोतों और समुद्री पंपों के डेक मशीनरी के निर्माण में लगे हुए हैं।

3. उत्पाद और सेवाएं

रक्षा मंत्रालय उपक्रम, होने के कारण जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करती है। हमारे युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के अलावा, हम वाणिज्यिक जलयानों तथा इंजीनियरिंग और इंजन उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के एक भाग के रूप में, हम डेक-मशीनरी आइटम, प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज और मरीन पंप का निर्माण करते हैं।

4. एसडबल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया है और निम्नलिखित की पहचान की है:--

ताकत:

(क) पोत निर्माण के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा जो एक साथ 20 छोटे और बड़े पोतों के निर्माण और फिटिंग को सक्षम बनाता है।

(ख) 24,600 फ्लीट टैंकर के बेड़े से लेकर 5 टन बोट्स तक के व्यापक स्पेक्ट्रम का निर्माण करने की सिद्ध क्षमता।

(ग) 33 एकड़ और 550 मीटर वाटर फ्रंट के साथ पाँच छोटे पोतों के समवर्ती निर्माण/ फिटिंग के क्षेत्र के लिए समर्पित स्टैंड-अलोन सुविधा (राजा बगान डॉकयार्ड)।

(घ) चार बड़े पोतों के पोस्ट-लॉन्च आउटफिटिंग को समवर्ती रूप से शुरू करने हेतु जेट्टी के लिए समर्पित फिटिंग।

(ङ) आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, टूल्स और वर्चुअल रियलिटी लैब सहित सहज आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के मामले में पोत डिजाइन के लिए क्षमता के साथ मजबूत 100 प्लस सदस्य मजबूत डिजाइन हाउस।

(च) विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के लिए समर्पित वर्चुअल रियलिटी (वीआर) लैब।

(छ) नवीनतम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से स्थापित परियोजना प्रबंधन प्रणाली।

(ज) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018, आईएसओ 14001:2015 एवं आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन।

(झ) व्यापार संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मजबूत ईआरपी प्रणाली।

(ञ) टीटीसी, बरानगर में इन हाउस कौशल विकाश प्रशिक्षण केंद्र।

(ट) सभी स्तरों पर सक्षम और अत्यधिक कुशल मानव संसाधन।

(ठ) कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली।

(ड) एक अच्छी ऑर्डर बुक दृश्यता वाली वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी।

(ढ) एक लाभ कमाने वाली, लाभांश भुगतान और शून्य ऋण कंपनी।

(ण) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध।

कमजोरियां:

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

ग) भारत के पूर्वी हिस्से में कमजोर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

अवसर

(क) बेड़े के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भारतीय नौ सेना और तटरक्षक की खरीद योजना।

(ख) एमएचए और आईडब्ल्यूएआई की खरीद योजना।

(ग) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के लिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती पोतों के लिए निर्यात क्षमता।

(घ) निर्यात की क्रेडिट (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर सरकार की नीति।

(ङ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों की मरम्मत और रीफिट में व्यापार की महत्वपूर्ण क्षमता मिली है।

(च) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि।

(छ) भारत और विदेश में उपयुक्त पोत निर्माण या मरम्मत यार्ड का अधिग्रहण।

(ज) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यावसायिक वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप।

(झ) विभिन्न प्रकार के पोतों के बुनियादी डिजाइन को विकसित करने की क्षमता जो कि डिजाइनिंग और संबंधित सेवाओं को अन्य शिपयार्ड में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो डिजाइन कार्यालय को एक अलग लागत केंद्र बनने में सक्षम बनाता है।

आशंकाएं

(क) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से गंभीर प्रतिस्पर्धा।

(ख) भौगोलिक स्थिति और वातावरण।

(ग) इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्माल प्लेयरों से प्रतिस्पर्धा।

(घ) प्रमुख पोत निर्माण गतिविधियों के लिए अपर्याप्त स्थानीय विक्रेता।

(ङ) ग्राहक नामित फर्मों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के कारण परियोजनाओं का समय बढ़ जाता हैं।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह ऊभर कर सामने आया है कि लीवरेज्ड तकनीक द्वारा आंतरिक क्षमता में लगातार सुधार करते हुए, उपलब्ध अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने हेतु कंपनी को अपनी ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता है। कंपनी के लिए रक्षा, तटीय सुरक्षा और अंतर्देशीय जल वेसल्स के निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। तदनुसार, कंपनी की ताकत के आधार पर ऐसे अवसरों का दोहन करने और इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर कंपनी के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पादन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

5. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) लागत में कमी और उत्पादकता और आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में जोर।

(ख) ग्राहक संतुष्टि वृद्धि पर ध्यान।

(ग) उत्तोलन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।

(घ) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग।

(ङ) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग।

(च) ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

(छ) सतत विकास पर ध्यान।

(ज) अलग से पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना।

(झ) योग्यता अंतराल की पहचान और एक केंद्र बिन्दु पर समग्र व्यापार रणनीति रखते हुए कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना।

(ञ) शिपयार्ड के व्यवसाय संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाना।

(ट) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकोसिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

6. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 फरवरी 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी। इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं।

7. आउटलूक

भारतीय पोत निर्मा ण उद्योग में हाल ही के दि नों में समग्र स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक के पोत अधिग्रहण की योजना के आधार पर रक्षा पोत निर्मा ण क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में है और बड़े, मध्यम और छोटे आकार के भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लि ए आवश्यक पोतों में पर्या प्त विशे षज्ञ ता प्राप्त की है। सामान्यता: इसके द्वारा निर्मि त पोतों के लि ए इसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपकी कंपनी ने 15 फरवरी 2021 को अपना 107वां युद्धपोत (सेशेल्स सरकार को एक फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्या त) डि लीवर कि या और इससे यह देश में एकमात्र शिपयार्ड बन गया है जि सने प्रतिष् ठित 100 का आकंडा पार करने की ऐसी उपलब्धि हासि ल की है।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है। रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने दो निम्नलिखित निर्यात अनुबंध प्राप्त किए हैं:

क) गुयाना गणराज्य को 01 नंबर ओशन गोइंग पैसेंजर और कार्गो फेरी वेसल की आपूर्ति के लिए 12.73 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात ऑर्डर जीआरएसई को प्रदान किया गया था। अनुबंध पर 13 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

ख) सेशेल्स के सरकार को एक फास्ट पेट्रोल जलयान की आपूर्ति के लिए लगभग 100 करोड़ का निर्यात आदेश जीआरएसई को प्रदान किया गया। अनुबंध पर 03 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे और पोत की डिलीवरी 15 फरवरी 2021 को की गई थी।

कंपनी अपने पोत की मरम्मत गतिविधियों पर भी जोर दे रही है। पोत की मरम्मत गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से स्थित एसएमपी के 03 मौजूदा ड्राइ डॉक को विकसित और उपयोग

करने के लिए जीआरएसई और एसएमपी (केओपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सुविधा की वर्ष के दौरान जीआरएसई के जहाज मरम्मत प्रयासों को बढ़ावा देगी। एक और विश्वसनीय उपलब्धि यह है कि कंपनी को मॉरीशस सरकार से एक अपतटीय गश्ती पोत के रिपेयर और रिफिट का आदेश मिला है।

8. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) डिजाइन विभाग का विकास उत्कृष्टता के केंद्र में करना

ख) पोत निर्माण प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं का उन्नयन

ग) कारगर सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

घ) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

ङ) पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार

च) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट उत्पादों का उन्नयन

छ) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

ज) अलग-अलग लाभ केंद्र के रूप में पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना

झ) निर्यात/विशेष परियोजनाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी

ञ) पोत मरम्मत (एसआर) व्यवसाय से वीओपी बढ़ाने के उपाय

ट) पोर्टेबल पुलों, डेक मशीनरी, समुद्री पंप और डीजल इंजन व्यवसायों के वीओपी बढ़ाने के उपाय

ठ) जीआरएसई में उत्पादकता लाइन में सुधार के उपाय

ड) पीएलएम पर काम करने के लिए 100% अनुपालन प्राप्त करने हेतु माइग्रेट करने वाले प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट (पीएलएम) सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन

ढ) राजस्व व्यय में कमी

ण) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार

त) कुशल जोखिम विश्लेषण और शमन योजनाएं

थ) बेहतर प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना

द) शिपयार्ड क्षमता 20 से 24 पोतों के समवर्ती निर्माण में वृद्धि।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण ढांचा है, जो कंपनी के संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है। ढाँचे को रिकॉर्ड करने और विश्वसनीय वित्तीय और परिचालन जानकारी प्रदान करने, लागू कानूनों का पालन करने, संपत्ति को नुकसान, दुरुपयोग और शारीरिक हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने और कॉर्पोरेट नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने सुचारू कामकाज और निर्णय लेने के लिए शक्ति के एक व्यापक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यवसाय के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं और नीतियों को निर्धारित किया है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय प्रमुख / यूनिट प्रमुख जिम्मेदार हैं।

आपकी कंपनी ने ईआरपी (एसएपी) लागू किया है और नियंत्रणों का दस्तावेजीकरण किया गया है तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एम्बेड किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और पर्याप्तता, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेखा प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, प्रक्रिया मालिक अपने संबंधित क्षेत्र (क्षेत्रों) में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियां और उन पर सुधारात्मक कार्रवाइयां लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। लेखा परीक्षा समिति अपनी बैठकों में आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करती है। साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के पास लगातार अंतराल पर सांविधिक लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ सत्र होते हैं।

10. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति और चार्टर स्थापित किया है और एक संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इस चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना है और प्रबंधन को यह आश्वासन देना है कि कंपनी में प्रमुख जोखिमों को ठीक से पहचाना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। जीआरएसई ने एक बोर्ड स्तरीय 'जोखिम प्रबंधन समिति' (बीएलआरएमसी) का गठन किया है। कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) द्वारा किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी

में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक हैं। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजनाएँ तैयार करती हैं, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं। कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतम प्रक्रियाओं और समय-समय पर समीक्षा के बारे में सूचित करने के लिए एक तंत्र है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है।

11. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू में)

विवरण	31 मार्च 21 तक	31 मार्च 20 तक
कुल आय	1328.43	1658.79
परिचालन से राजस्व	1140.84	1433.30
उत्पादन का मूल्य	1132.76	1424.70
कुल लाभ	238.91	255.29
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	227.87	234.48
असाधारण वस्तु	(20.75)	(10.61)
कर पूर्व लाभ	207.12	223.87
कर व्यय	53.65	60.39
कर अदायगी के बाद लाभ	153.47	163.48
कुल मूल्य	1137.12	1,040.23
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में)	99.27	90.81
प्रति शेयर आय (रू में)	13.40	14.27
प्रति शेयर लाभांश (रू में)	5.00	7.14

कार्य कुशलता अनुपात (%)	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पीबीटी मार्जिन	18.16	15.62
पीएटी मार्जिन	13.45	11.41
देनदार टर्नओवर	15.61	37.35
बेसिक ईपीएस	13.40	14.27

(करोड़ रू में)

आयात और निर्यात	31 मार्च 21 तक के अनुसार	31 मार्च 20 तक के अनुसार
वर्ष के दौरान आयात	78.89	102.79
वर्ष के दौरान निर्यात	87.49	1.01

- **सकल राजस्व में** 19.92% की कमी दर्ज की गई जो 2019-20 में 1,65,879.47 लाख रू से घटकर 2020-21 में 1,32,843.09 लाख रू हुई।
- **उत्पादन का मूल्य** 2019-20 में 1,42,470.32 लाख रू से घटकर 2020-21 में 1,13,276.40 लाख रू हुई।
- **निवल लाभ (पीबीटी)** 2019-20 में 22,387.10 लाख से घटकर 2020-21 में 20,711.74 लाख रू हुई।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि** 2019-20 के 23.07 लाख रू से बढ़कर 2020-21 में 25.00 लाख रू हुई।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2019-20 के 90.81 लाख रू से बढ़कर 2020-21 में 99.30 लाख रू हुई।
- **निवल मूल्य** 9.31% की व्रद्धि दर्ज की गई जो 2019-20 में 1,04,023.10 लाख रू से बढ़कर 2020-21 में 1,13,711.76 लाख रू हुई।

12. मानव संसाधन विकास

कंपनी विभिन्न मानव संसाधन विकास पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत और टीम स्तर पर अपने कर्मचारियों के निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं: -

(क) **क्षमता निर्माण पहल** : कंपनी ने भारत और विदेशों की प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों की दक्षताओं को अद्यतन करने में विभिन्न पहल की है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रमुख क्षमता निर्माण की पहल नीचे दी गई है:

(i) नेतृत्व विकास कार्यक्रम ;

(ii) उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(iii) प्रबंधकीय और व्यवहार दक्षताओं के विकास कार्यक्रम प्रबंधित करना ;

(iv) कार्यात्मक विकास कार्यक्रम ;

(v) उभरते विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(vi) ई-लर्निंग पाठ्यक्रम ;

(vii) आईपीआर और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम।

(ख) **नई मानव संसाधन पहल:** मानव संसाधन क्षमता निर्माण ढांचे के एक भाग के रूप में और मौजूदा मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुधारने की दृष्टि से, जीआरएसई में लोग क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) को अपनाया गया है। पीसीएमएम के अलावा, कंपनी ने एक संशोधित प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), 'योग्यता ढांचा और प्रतिभा खोज और विकास योजना' शुरू की है।

13. मानवशक्ति

31 मार्च 2021 को आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1900 व्यक्तियों की थी।

31 मार्च 2021 तक कुल कर्मचारी	अधिकारी	पर्यवेक्षक	कार्यालय सहायक	वर्कमेन		
				प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1900	490	161	57	987	299	1192

14. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

15. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी ‘ *निदेशकों की रिपोर्ट* ‘ में दी गई है।

16. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है,जो ‘परिशिष्ट - "ई" के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

सावधानी कथन - कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत ‘दूरदर्शी बयान’ हो सकते है। वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं। कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए)

निगमित शासन पर दर्शन

1. आपकी कंपनी की निगमित शासन संबंधी नीति सच्चाई, ईमानदारी, जवाबदेही, पर्याप्त प्रकटीकरण, विधि प्रक्रिया अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हितों के टकराव से परहेज के सिद्धांत पर आधारित है। आपकी कंपनी निगमित नागरिक की तरह निगमित मूल्यों एवं उद्देश्यों तथा सामाजिक दायित्यों के पालन को महत्व देती है। आपकी कंपनी का विश्वास ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय सावधानी, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में है। हमारी निगमित संरचना, व्यापार और प्रकटीकरण प्रथाएँ निगमित शासन दर्शन से जुड़ी हुई हैं।

2. निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लिखित एवं भावनात्मक दोनों प्रकार से कार्यान्वित किया है। आपकी कंपनी का विश्वास है कि अच्छा निगमित शासन एक अनवरत अभ्यास है और अपने सभी स्टेकहोल्डरों के समग्र हित में और अपने स्टेकहोल्डरों के लंबी अवधि तक मूल्य में बढ़ोतरी के लिए निगमित शासन के उच्चतम मानदंडों का अनुसरण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। विकेंद्रीकृत एवं पारदर्शी निर्णय करने के लिए इसके पास मजबूत एवं अच्छा प्रशासनिक सेट अप है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अच्छी शासन प्रथाएँ है :-

   - निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसायिक आचरण और आचार संहिता
   - अप्रकाशित मूल्य के संवेदनशील सूचना के अंदरूनी व्यापार और निष्पक्ष प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता
   - व्हिसल ब्लोअर नीति
   - निगमित सामाजिक दायित्व नीति
   - संबन्धित पार्टी लेन देन पर नीति
   - दस्तावेजों का संरक्षण और अभिलेखीय नीति
   - घटना या सूचना की भौतिकता के निर्धारण पर नीति।
   - जोखिम प्रबंधन नीति
   - लाभांश वितरण नीति
   - सामग्री सहायक का निर्धारण करने पर नीति
   - मानव संसाधन नियमावली
   - लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसओपी

निदेशक मण्डल

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में निदेशक मण्डल शीर्ष निकाय है जो कंपनी के कार्य का निरीक्षण करता है। आपकी कंपनी का मण्डल सामरिक निर्देश देता है और उन्हें पूरा करवाने के लिए जवाबदेही तय करता है। मण्डल ने अपनी 'दूरदर्शिता' विवरण को प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि परिदृश्य योजना के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया है। एक ट्रस्टी के तौर पर शेयरधारकों के मूल्य में बढ़ोतरी के लिए इसे प्रबंधन और कार्य निष्पादन की अंतिम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मण्डल के निर्णय आपकी कंपनी के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। मण्डल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए उप-समिति का गठन किया है।

मण्डल का आकार एवं संरचना

4. कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी (पूर्ण- कालिक) निदेशकों, सरकार द्वारा नामित गैर कार्यकारी (अंशकालिक सरकारी) निदेशकों और गैर कार्यकारी (अंशकालिक गैर सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों का संयोजन है। 31 मार्च 2021 तक के अनुसार आपके कंपनी के मण्डल निदेशक में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टम संयोजन शामिल नहीं है। उपरोक्त तिथि तक के अनुसार मण्डल में कुल 06 निदेशक शामिल हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 1 सरकारी निदेशक तथा 1 अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं।

5. 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य निदेशक (सूचीबद्ध संस्थाओं सहित)	अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या	
			अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक				
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01 मार्च 2017	-	-	-
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा[1] निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	31 दिसंबर 2014	-	-	-
श्री रमेश कुमार दाश [2] निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	01 जुलाई 2020	-	-	-
कमोडोर संजीव नैय्यर,भानौ (सेवानिवृत्त),निदेशक (पोतनिर्माण)	16 दिसंबर 2017	-	-	-
कमोडोर हरि पी आर,भानौ (सेवानिवृत्त),निदेशक (कार्मिक)	21 अक्तूबर 2019	-		
सरकार द्वारा नामित निदेशक				
श्री अश्विनी कुमार महाजन,[3] अपर वित्तीय सलाहकार (एके) एवं संयुक्त सचिव	02 अप्रैल 16	-	-	-
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव [4] संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली)	14 सितंबर 20	-	-	-
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)				
डॉ. अजय भण्डारी [5]	9 मार्च 2018	-		
श्री भारत भूषण [6]	15 सितंबर 2017			
श्रीमती कंवलजीत देओल, आईपीएस (सेवानिवृत्त) [7]	15 सितंबर 2017	-	-	-
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, एवीएसएम, वीएसएम, भानौ) सेवानिवृत्त) [8]	09 मार्च 2018	-	-	-
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	15 अगस्त 2018	-	-	-

[1] 30 जून 2020 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त

[2] 01 जुलाई 2020 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त

[3] 30 जुलाई 2020 को कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[4] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त

[5] 20 जुलाई 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[6] 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

[7] 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

[8] 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

6. समीक्षाधीन वर्ष के के दौरान दो (02) नए निदेशकों को निदेशक मण्डल में शामिल किया गया। नए नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है :

श्री रमेश कुमार दाश

श्री रमेश कुमार दाश (डीआईएन:08511344) 01 जुलाई 2020 को हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। श्री आर के दाश जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के एसोसियट सदस्य है। उनके पास विधि स्नातक और कॉमर्स में मास्टर की डिग्री भी है। उनके पास वित्त, लेखा, मूल्य निर्धारण, बजट, कराधान और लेखा परीक्षा कार्यों का 29 वर्षों से अधिक का विस्तृत अनुभव है। कंपनी में नियुक्ति के पहले श्री आर के दास हिंदुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में कार्यरत थे। वह 25 जुलाई 2019 से 17 मई 2020 तक मेसर्स हल्बिट अविओनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंग्लोर (एचएएल का एक संयुक्त उद्धम) बोर्ड के नामित निदेशक थे।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता : शून्य

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (डीआईएन:02267582) उम्र 52 वर्ष, रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया और 14 सितंबर 2020 को पदभार संभाला।

उन्होंने बी.टेक, एम.टेक एवं पश्चिम बंगाल के 1996 कैडर के भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारी का अहर्ताप्राप्त किया।

उन्होंने वन विभाग,पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न क्षमता जैसे प्रभागीय वन अधिकारी एवं वन के मुख्य संरक्षक के रूप में काम किया हैं।

उन्होंने जुलाई 2020 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में शामिल होने से पूर्व , पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में 7 वर्ष से अधिक कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया हैं।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता : शून्य

मुख्य बोर्ड विशेषज्ञता और कौशल

7. आपकी कंपनी में निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशानुसार कार्य करते हैं। आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

8. आपकी कंपनी के बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं। उन्हें आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिसकी वजह से वे बोर्ड और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम हैं। निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बोर्ड द्वारा निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञताओं का सार है, जो बोर्ड की राय में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक हैं:

कौशल और गुण	विवरण
संगठनात्मक उद्देश्य	कंपनी के उद्योग इसके संचालन, देश की समुद्री जरूरतों, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, घरेलू और वैश्विक दोनों ही विनियामक और प्रतिस्पर्धा वातावरण को समझने की क्षमता, जिस के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसायों के लिए अवसरों और खतरों की पहचान करने में सक्षम होती है। कंपनी के लिए एक प्रेरक विजन बनाने की दिशा में योगदान करने की क्षमता।
वित्तीय और प्रबंधकीय कुशाग्रता	लेखांकन और वित्त, व्यापार निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं, संकट प्रतिक्रिया और प्रबंधन, उद्धोग ज्ञान, मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण में ज्ञान एवं कौशल।
नीति का मूल्यांकन	कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र, सरकार के निर्देशों और कंपनी के व्यवसायों के लिए प्रयोज्यता के संदर्भ में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की क्षमता।
निगमित शासन	विनियामक अनुपालन, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही के मामलों पर ज्ञान, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त शासन प्रथाओं का पालन करना और इसके शोधन के लिए योगदान करना।
प्रौद्योगिकी की समझ	प्रौद्योगिकी और नवाचार में उभरते रूझानों को समझना जो व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जिनका उपयोग व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है।
संस्कृति का निर्माण	एक नैतिक संगठानात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, हितों के टकराव को खत्म करने और नैतिकता, अखंडता और संगठानात्मक आचरण के उच्चतम मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में बोर्ड की भूमिका में योगदान देने की क्षमता।

9. प्रत्येक निदेशक का मूल कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता की एक सूची नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता					
	संगठानात्मक प्रयोजन	वित्तीय और प्रबंधकीय कुशाग्रता	नीति मूल्यांकन	निगमित शासन	प्रौद्योगिकी समझ	संस्कृति निर्माण
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	√	√	√	√	√	√
कमोडोर संजीव नैय्यर	√	√	√	√	√	√
कमोडोर हरि पी आर	√	√	√	√	√	√
श्री रमेश कुमार दाश	√	√	√	√	√	√
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	√	√	√	√	–	√
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	√	√	√	√	–	√

मण्डल प्रक्रिया

10. मण्डल बैठक समान्यतः प्रति तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो इससे अधिक बैठकें की जाती है जो व्यापार करने में आसानी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, व्यापार विकास के लिए रणनीतियाँ बनाने, योजना नियंत्रण करने, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करने, उच्च मूल्य की मदों, छमाही/आवधिक परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालन योजना, तथा बजट का अनुमोदन करने के साथ मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए की जाती है।

11. आपकी कंपनी का विश्वास है कि सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रभावी मण्डल बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची टिप्पणियों के साथ विस्तृत सूचना की पृष्ठभूमि दी जाती है ताकि मण्डल निर्णय ले सके। कार्यसूची टिप्पणियों को समान्यतः मण्डल के सदस्यों को समय रहते परिचालित कर दिया जाता है। मण्डल के सदस्य अध्यक्ष से परामर्श करके किसी भी महत्वपूर्ण मामलों को मण्डल को विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी मण्डल बैठक में उपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंशकालिक निदेशक मण्डल बैठक के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा कंपनी को तकनोलोजी, वित्त, विपणन, लोक नीति तथा प्रचालन के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं।

बैठकें एवं उपस्थिति

12. वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नानुसार, आठ (8) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई :

क्रम संख्या	दिनांक	मण्डल की संख्या शक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	06 जून 20	10	10
2.	21 जूलाई 20	9	9
3.	13 अगस्त 20	8	8
4.	11 सितंबर 20	8	8
5.	11 नवम्बर 20	7	7
6.	27 नवम्बर 20	7	6
7.	09 फरवरी 21	7	7
8.	04 मार्च 21	7	7

13. किसी भी दो मण्डल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल अठहतर (78) दिनों का था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति								उपस्थिति का %	11 सितंबर 20 को हुए गत वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	06 जून 20	21 जुलाई 20	13 अगस्त 20	11 सितंबर 20	11 नवंबर 20	27 नवंबर 20	09 फ़रवरी 21	04 मार्च 21		
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा [1]	👤	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100	ला.न.
श्री रमेश कुमार दाश [2]	ला.न.	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤
कमोडोर संजीव नैय्यर	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤
कमोडोर हरि पी आर	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤
श्री अश्विनी कुमार महाजन [3]	👤	👤	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100	ला.न.
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव [4]	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	👤	×	👤	👤	75	ला.न.
डॉ. अजय भण्डारी[5]	👤	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100	ला.न.
श्रीमती कंवलजीत देओल [6]	👤	👤	👤	👤	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100	👤
श्री भारत भूषण [7]	👤	👤	👤	👤	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100	👤
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली[8]	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	100	👤

👤 - उपस्थित   × - अनुपस्थित   ला.न. - लागू नहीं

[1] 30 जून 2020 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत

[2] 01 जुलाई 2020 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त

[3] 30 जुलाई 2020 को कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[4] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त

[5] 20 जुलाई 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[6] 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

[7] 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

[8] 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त

मण्डल की समितियां

14. वर्तमान में मण्डल ने आपकी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में सहायता एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए नौ (09) उप समितियों का गठन किया है। मण्डल की उप समितियों में निम्नलिखित हैं :

(क) लेखा परीक्षा समिति

(ख) मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(ग) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति

(घ) परियोजना समीक्षा उप समिति

(ङ) प्रोक्योरमेंट समिति

(च) व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति

(छ) समझौता ज्ञापन समिति

(ज) विधि समिति

(झ) स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति

(ञ) जोखिम प्रबंधन समिति

15. निदेशक मण्डल की उपरोक्त वर्णित उप समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है :

लेखा परीक्षा समिति

16. 31 मार्च 2021 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियमों, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियमन") के अनुरूप रियर एडमिरल आईपीएस बाली, स्वतंत्र निदेशक के सेवासमाप्त होने के बाद लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता है। आपके कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग,भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और उनकी ओर से ऐसी नियुक्ति लंबित है। कंपनी समय-समय पर अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

17. निदेशक (वित्त),लेखा परीक्षा समिति के विशेष आमंत्रित स्थायी अतिथि है। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त),अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा), सांविधिक लेखा परीक्षक (जब त्रैमासिक और वार्षिक खातों पर चर्चा की गई) और आंतरिक लेखा परीक्षकों (जब आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की गई) और लागत लेखा परीक्षक भी (जब लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की गई) नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं।

18. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है। समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना।

19. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। समिति व्हिसल ब्लोअर नीति के कामकाज और कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है।

20. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की प्रेक्षण से बोर्ड को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

21. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच (5) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:-

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति					उपस्थिति का %
	06 जून 20	20 अगस्त 20	10 सितंबर 20	10 नवंबर 20	08 फरवरी 21	
श्री भारत भूषण [1]	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	ला.न.	ला.न.	100
श्रीमती कंवलजीत देओल [2]	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	ला.न.	ला.न.	100
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली [3]	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	100
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	उपस्थित	उपस्थित	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	100

उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

(1) 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(2) 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(3) 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

22. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष गत वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

23. 31 मार्च 2021 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियमों,2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियमन") के अनुरूप रियर एडमिरल आईपीएस बाली, (स्वतंत्र निदेशक) के सेवासमाप्त होने के बाद मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग,भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और उनकी ओर से ऐसी नियुक्ति लंबित है। कंपनी समय-समय पर अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

24. निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशेष अतिथि हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

25. मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(क) वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन राशि कार्य निष्पादन संबन्धित वेतन (पीआरपी) तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विहित सीमा में कार्यपालकों (मण्डल स्तर के कार्यपालकों सहित) तथा गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में इसे वितरित करने के लिए नीति निर्धारण करना।

(ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबन्धित सभी प्रस्तावों का परीक्षण करना और अपना सुझाव देना।

(ग) मानव संसाधन,नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सुझावों को अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

26. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान,मानव संसाधन,नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21के दौरान मानव संसाधन,नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति				उपस्थिति का
	11 अगस्त 20	09 नवंबर 20	08 फरवरी 21	04 मार्च 21	%
श्रीमती कंवलजीत देओल [1]	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100
श्री भारत भूषण	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली [3]	✓	✓	✓	✓	100
डॉ.बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	ला.न.	✓	✓	✓	100
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव [4]	ला.न.	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित   × - अनुपस्थित   ला.न. - लागू नहीं

(1) 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(2) 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(3) 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(4) 14 सितंबर 2020 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त।

27. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा वर्ष के दौरान की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिए गए।

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

28. एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम(सीपीएसई) होने के नाते, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों को इंगित करते हुए की जाती है। कार्यात्मक निदेशकों को आम तौर पर पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के साथ 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। संविदात्मक अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने या नोटिस अवधि की अनुपस्थिति में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जाता है।

29. आपके कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक को उतने पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता जितना भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता हैं। मण्डल स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्ते का भुगतान नियुक्ति की शर्तों , सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार

किया जाता है, जो उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश होते हैं और अन्य लाभ और अनुलाभ का भुगतान जीआरएसई के नियमों के अनुसार किया जाता हैं। मण्डल स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अनुसार किया जाता है। कार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के कर्मचारियों के रूप में कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नीति के अनुसार पर्फ़ोमेंस लिंक्ड इन्सेंटिव देय हैं।

30. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं: (लाख रू में)

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	पीएफ / ग्रेच्युटी / पेंशन में कंपनी का अंशदान	कार्यनिष्पादन संबंधित भुगतान	कुल
रियर एडमिरल वी के सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	43.10	0.82	6.32	-	**50.24**
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा, [1] निदेशक *(वित्त) एवं सीएफओ*	19.21	1.01	1.44	-	**21.66**
कमोडोर एस नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत) निदेशक (पोत निर्माण)	40.17	3.69	5.91	-	**49.77**
कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक *(कार्मिक)*	43.52	4.07	5.99	-	**53.58**
श्री रमेश कुमार दाश [2] निदेशक (वित्त)एवं सीएफओ	22.46	1.99	3.28	-	**27.73**

* वेतन में एरियर शामिल है

[1] 30 जून 2020 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 01 जुलाई 2020 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

31. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

32. सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सरकार से अगले आदेश तक कार्यालय का संचालन करते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या उपस्थिति फीस के हकदार नहीं हैं।

33. आमतौर पर तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त या पुन: नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थिति शुल्क के अलावा किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए 20,000 रू. फीस और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रू. का भुगतान करती है। इसके अलावा, कंपनी बोर्ड और अन्य समिति की बैठकों में भागीदारी के लिए प्रतिपूर्ति यात्रा / आवास व्यय भी करती है।

34. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान के मानदंड का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है

http://grse.in/pdf/investors/Terms%20and%20Conditions%20of%20Appt%20of%20Non-Executive%20Directors.pdf

35. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थिति के लिए भुगतान इस प्रकार है:

(लाख रू में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	कुल पारिश्रमिक
श्री भारत भूषण	0.80	0.90	**1.70**
श्रीमती कंवलजीत देओल	0.80	0.75	**1.55**
डॉ अजय भंडारी	0.20	0.00	**0.20**
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	1.60	2.70	**4.30**
डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी	1.60	1.35	**2.95**

36. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के अंशकालिक निदेशकों के साथ कोई अन्य संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

37. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी में कोई भी शेयर धारण नहीं किए है।

मूल्यांकन मापदंड

38. चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड स्तर की नियुक्तियां की जाती हैं , ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रोक्योरमेंट समिति

39. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मण्डल का पूरा अधिकार दिया गया है :

(क) संस्वीकृत परियोजनाओं हेतु सामग्री,उपकरण,औज़ार,स्टोर्स एवं स्पेयर्स,रूसी स्रोत सहित आयात,कार्य का अनुमोदन,उप संविदाओं तथा किराया सुविधाओं इत्यादि की खरीद करने के लिए आदेश देने हेतु `30 करोड़ से अधिक राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन।

(ख) मण्डल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में दिए गए मदों के संदर्भ में `5 करोड़ रु. से अधिक पूंजीगत व्यय हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ग) प्रोक्योरमेंट समिति सभी खरीद प्रस्तावों का आपकी कंपनी के क्रय मैनुअल, सीवीसी मार्गनिर्देश, सरकारी विनियमों इत्यादि के अनुरूप तथा अनुपालन करते हुए परीक्षण करती है तथा प्रस्तावों को अनुमोदित करती है। प्रक्रिया से किसी प्रकार के विपथन होने पर प्रस्तावों को समिति के सुझावों के साथ निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तथापि यदि समिति यह महसूस करें कि प्रस्ताव विशेष को मण्डल के विचार की अपेक्षा है तो उसे समिति के सुझाव (सुझावों) के साथ मण्डल को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित सभी खरीद प्रस्ताव सूचना हेतु मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

40. 31 मार्च 2021 को प्रोक्योरमेंट समिति की मंडल निदेशक का गठन निम्नानुसार है :

(क)	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	डॉ.बिश्वप्रिय रॉयचौधरी /[1] अंशकालिक गैर-आधिकारिक *(स्वतंत्र)* निदेशक	सदस्य
(ग)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोत निर्माण)	सदस्य
(घ)	श्री रमेश कुमार दाश निदेशक *(वित्त)*	सदस्य

[1] 04 मार्च 2021 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

41. कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

42. प्रोक्योरमेंट कमेटी के अध्यक्ष बोर्ड मीटिंग के दौरान प्रोक्योरमेंट कमेटी की टिप्पणियों से बोर्ड को अवगत कराते हैं।

43. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रोक्योरमेंट कमेटी की छः (06) बैठकों का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान , प्रोक्योरमेंट कमेटी के बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति						उपस्थिति %
	11 जुलाई 20	10 अक्टूबर 20	18 नवंबर 20	02 जनवरी 21	27 जनवरी 21	04 मार्च 21	
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री भारत भूषण/[1]	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	100
श्री आर के दाश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
रियर एडमिरल आईपीएस बाली/[2]	ला.न.	✓	✓	✓	✓	✓	100
डॉ बिश्वप्रिय रायचौधरी/[3]	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	-

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

(1) 15 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(2) 30 सितंबर 2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति और 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

(3) 04 मार्च 2021 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी समिति ("सीएसआर एवं एसडी समिति")

44. कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत प्रतिपादित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी ("सीएसआर एवं एसडी") मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति को आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। उक्त नीति के शर्तों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन आपकी कंपनी के सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए किया गया है।

45. सीएसआर एवं एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल- VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना,जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए व्यय की राशि की सिफारिश।

(ग) आपकी कंपनी के निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति और समय-समय पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी।

46. निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन 31 मार्च 2021 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	डॉ. बिश्वप्रिय रायचौधरी अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)	सदस्य
(ग)	कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] 30 सितंबर 2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति

47. कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

48. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति की तीन (03) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति %
	12 अगस्त 20	30 दिसंबर 20	04 मार्च 21	
श्रीमती कंवलजीत देओल[1]	✓	ला.न.	ला.न.	100
डॉ. बिश्वप्रिय रायचौधरी [2]	ला.न.	✓	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	x	✓	67
कमोडोर हरि पी आर *[2]*	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[2] 30 सितंबर 2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति

समझौता ज्ञापन समिति

49. निदेशक मण्डल की एमओयू समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा यथा अपेक्षित ड्राफ्ट एमओयू शर्तों तथा वार्षिक एमओयू कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट सहित आपकी कंपनी द्वारा तथा आपकी कंपनी और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा करने के लिए बनाई गई।

50. निदेशक मण्डल की एमओयू समिति का गठन 31 मार्च 2021 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	श्री भारत भूषण *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	डॉ. बिश्वप्रिय रायचौधरी *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	सदस्य

[1] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[2] 21 जुलाई 2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति

51. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (सीई एवं सीपी) समिति के सचिव हैं।

52. वित्तीयवर्ष 2020-21 के दौरान,समझौता ज्ञापन समिति की एक (01) बैठकों का आयोजन किया गया। वित्तीयवर्ष 2020-21 के दौरान ,समझौता ज्ञापन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति	उपस्थिति %
	10 सितंबर 20	
श्री भारत भूषण[1]	✓	100
डॉ बिश्वप्रिय रायचौधरी[2]	✓	100
श्री रमेश कुमार दाश	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 14 सितंबर 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[2] 21 जुलाई 2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति

परियोजना समीक्षा उप समिति

53. 31 मार्च 2021 तक, रियर एडमिरल आईपीएस बाली (स्वतंत्र निदेशक) के सेवासमाप्त होने के बाद परियोजना समीक्षा उप-समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। आपके कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग,भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और उनकी ओर से ऐसी नियुक्ति लंबित है। कंपनी समय-समय पर अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

54. निदेशक मण्डल की परियोजना समीक्षा उप समिति का गठन आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा संरचित रीति से करने तथा सिस्टम के सुधार पर ध्यान देने तथा आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए किया गया है। समीक्षा करते समय समिति विलंब के कारणों का विश्लेषण करती है और उसमें सुधार लाने का उपाय खोजती है। समिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मण्डल को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

55. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (पीपी एवं सी) समिति के सचिव हैं।

56. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजना समीक्षा उप समिति की तीन (03) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजना समीक्षा उप समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति %
	06 अगस्त 20	27 नवंबर 20	04 मार्च 21	
रियर एडमिरल आई पी एस बाली	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	100
श्री रमेश कुमार दाश	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	100

- उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति

57. कंपनी को अपने क्रियाकलापों के क्षेत्रों को बढ़ाने, निर्यात की संभावनाओं की तलाश करने, नए उत्पाद की पहचान करने जिसे कंपनी निर्माण करके बेच सके, नए तकनोलोजी ग्रहण करने, संभावित सहयोग हेतु भागीदारों को पहचानने, पोत तथा अन्य उत्पादों इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत तथा विदेश से स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरणों एवं मशीनरियों को पहचानने हेतु कंपनी की भावी व्यवसाय रणनीति बनाने के लिए मण्डल ने मण्डल की व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति का गठन किया है ताकि पूर्वोक्त पहलुओं का निरीक्षण करके कंपनी के व्यवसाय हेतु लाभकारी पहलुओं पर मण्डल को सलाह दे सके।

58. निदेशक मण्डल की व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति का गठन 31 मार्च 2021 तक के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	रियर एडमिरल आई पी एस बाली, भानौ (सेवानिवृत्त)[1] अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
(ग)	श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त)	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)	सदस्य

[1] 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा समाप्त

59. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (सीई एवं सीपी) समिति के सचिव हैं।

60. समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) भावी वृद्धि के लिए व्यवसाय रणनीति तैयार करना।

(ख) नए तकनोलोजी का अनुप्रेरण।

(ग) उत्पादकता सुधार हेतु योजनाओं की पहचान करना।

(घ) मूल आधारिक संरचना बढ़ोतरी/क्षमता वृद्धि को अंतिम रूप देना ताकि भावी व्यवसाय रणनीति को प्राप्त किया जा सके और पोतनिर्माण कौशल को उन्नत किया जा सके।

61. समिति की सिफ़ारिशों को मण्डल के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

62. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति की एक (01) बैठक का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति के बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति 27 नवंबर 20	उपस्थिति %
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना,भानौ (सेवानिवृत्त)	उपस्थित	100
रियर एडमिरल आईपीएस बाली[1]	उपस्थित	100
श्री रमेश कुमार दाश	उपस्थित	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	उपस्थित	100

उपस्थित - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 09 मार्च 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

विधि समिति

63. निदेशक मण्डल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई।

64. 31 मार्च 2021 तक के अनुसार, श्रीमति कंवलजीत देओल, स्वतंत्र निदेशक एवं रियर एडमिरल आईपीएस बाली,स्वतंत्र निदेशक, क्रमश: 14 सितंबर 20 एवं 09 मार्च 21 को सेवासमाप्त होने के बाद विधि समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। आपके कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग,भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और उनकी ओर से ऐसी नियुक्ति लंबित है। कंपनी समय-समय पर अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

65. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, विधि समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति

66. स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुरूप किया गया।

67. सेबी लिस्टिंग नियमों के अनुरूप, हितधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/ प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति, नई/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों, आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

68. 31 मार्च 21 तक के अनुसार निदेशक मंडल की स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन निम्नानुसार है: -

(क) डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख) कमोडोर हरि पीआर सदस्य निदेशक (कार्मिक)	
(ग) श्री रमेश कुमार दाश सदस्य निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	

69. कंपनी सचिव स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है और वह अनुपालन अधिकारी भी है।

70. वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल के स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति की एक (1) बैठक आयोजित हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति 04 मार्च 21	उपस्थिति %
डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक		100
कमोडोर हरि पीआर निदेशक (कार्मिक)		100
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ		100

71. 31 मार्च 2021 तक के अनुसार निवेशकों की शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग के विनियम 13 (3) के तहत रिपोर्ट निम्नानुसार है:

01 अप्रैल 2020 तक शिकायतें	0
वर्ष के दौरान प्राप्त किया	10
वर्ष के दौरान हल किया गया	10
शेयरधारकों की संतुष्टि का हल नहीं	0
31 मार्च 2021 तक लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

72. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 21 के अनुरूप किया गया।

73. जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जोखिम प्रबंधन नीति और कंपनी के संबंधित ढांचे, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए और अनुमोदन हेतु बोर्ड को किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन की सिफारिश करना।

(ii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए, विशेष रूप से कंपनी द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा उपायों और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों दोनों में जोखिम और इनाम के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए कंपनी उचित उपाय कर रही है।

(iv) जोखिम रणनीतियों, नीतियों, ढांचे, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में बोर्ड की सहायता करना।

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति भूमिका जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोखिम की पहचान करने, मान्यताओं के एक व्यापक सेट के विरूद्ध अपने संभावित प्रभाव को मापने और इन जोखिमों का प्रबंधन करने के उपायों को सक्रिय करने और जोखिम के लिए कंपनी की जोखिम भूख या सहिष्णुता तय करने के लिए एक प्रभावी चल रही प्रक्रिया लागू की है।

74. 31 मार्च 2021 तक के अनुसार निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क) कमोडोर एस नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत) अध्यक्ष निदेशक (पोत निर्माण)
(ख) कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत) सदस्य निदेशक (कार्मिक)
(ग) श्री आर के दाश, सदस्य निदेशक (वित्त)
(घ) श्री सुब्रतो घोष सदस्य मुख्य जोखिम अधिकारी
(ङ) श्री एस घोष चौधुरी सदस्य सचिव जोखिम समन्वयक

75. जोखिम समन्वयक सदस्य और समिति के सचिव भी हैं।

76. वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक (1) बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति 29 मार्च 21	उपस्थिति %
कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत) निदेशक (पोत निर्माण)		100
कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत) निदेशक (कार्मिक)		100
श्री आर के दाश, निदेशक (वित्त)		100
श्री सुब्रतो घोष, मुख्य जोखिम अधिकारी		100
श्री एस घोष चौधुरी जोखिम समन्वयक		100

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

77. वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 04 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि

78. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुसार अनुसरण करते हैं।

79. मण्डल की राय में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वार्षिक आम बैठक

80. आपकी कंपनी के गत तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2017-18	04 अक्टूबर 18 10.00 बजे	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700 024	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2018-19	20 सितंबर 19 10.30 बजे	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवरिया रोड, ब्लॉक-ए,अलीपुर, कोलकाता -700025	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2019-20	11 सितंबर 20 10.30 बजे	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

पोस्टल बैलेट

81. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट का संचालन नहीं हुआ।

82. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए के दो प्रस्ताव रखा गया था। पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किए गए प्रस्तावों का विवरण और वोट पैटर्न का विवरण:

    कंपनी ने मण्डल निदेशकों को प्राधिकृत करने के लिए पोस्टल एक्ट, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ तक की उधार देने और विशेष प्रस्तावों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत उधार के संबंध में प्रभार आदि के सृजन के लिए मंडल निदेशक को अधिकृत करने के लिए सहमति देने हेतु डाक मतपत्र 29 मई 19 के नोटिस के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगी। उपरोक्त संकल्पों को विधिवत पारित कर दिया गया और डाक मतपत्रों के परिणाम / ई - वोटिंग की घोषणा 09 जुलाई 19 को की गई। मेसर्स ए के लाभ एंड कं, कंपनी सेक्रेटरी के श्री ए के लाभ को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियुक्त किया गया था।

संकल्प	डाली गई वोटों की संख्या	पक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	विपक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	वोटों के पक्ष में डाली गई वोटों का%	वोटों के विपक्ष में डाली गई वोटों का%
(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ रु तक उधार लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने पर सहमति	65608	64620	988	98.49	1.51
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत 5,000 करोड़ रुपये तक के उधारों के संबंध में निदेशक मंडल को प्रभार सृजन आदि के लिए प्राधिकृत करने पर सहमति।	65223	62281	2942	95.49	4.51

83. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट का संचालन नहीं हुआ।

84. आगामी एजीएम में लेन-देन के लिए प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

पोस्टल बैलट की प्रक्रिया

85. पोस्टल बैलेट धारा 110 में निहित प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित, के अनुसार संचालित किया जाता है। शेयरधारकों को भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। पोस्टल बैलेट सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को ईमेल पते पर भेजा जाता है, जहां ईमेल पते उपलब्ध हो या जहां ईमेल पते उपलब्ध नहीं हैं भौतिक रूप में अनुमत माध्यम से भेजा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में एक सूचना भी प्रकाशित करती है।

86. कट-ऑफ तारीख तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। मतों की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षाकर्ता अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपता है और मतदान अवधि के समापन के 48 घंटे के भीतर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा की जाती है। परिणाम कंपनी के वैबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित होते हैं , और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं। यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए संकल्पों को विधिवत रूप से पूर्ण डाक मतपत्रों की प्राप्ति या ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि पर पारित किया गया है।

निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

87. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम आमतौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सभी नए निदेशकों को बोर्ड के लिए उनके पदभारग्रहण करने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन प्रदान किया जाता है। वे उन्मुखीकरण सत्र के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं

से परिचित हुए हैं। निगमित प्रशासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों बोर्ड / समिति की बैठकों में समय-समय पर निम्नलिखित आधार पर अद्धतन किया जाता है :

* उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
* कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं;
* कंपनी पर प्रभाव रखने वाले विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

88. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण http://grse.in/images/pdf/Familiarisation-Programme-2020-21.pdf पर देखा जा सकता है।

मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड

89. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने बेहतर निगमित शासन तथा स्पष्ट/पारदर्शी प्रथाओं हेतु 'मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड' निर्मित किया है। उसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है तथा कंपनी की वैबसाइट में दर्शाया गया है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर उक्त कोड लागू होता है, ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी अनुपालन करने की प्रतिज्ञा की। आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

90. सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता को मंजूरी दे दी है, अन्य बातों के साथ , नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करता है। कोड में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है जो उन्हें कंपनी के शेयरों से डिल करते समय प्रक्रियाओं और प्रकटिकरण के बारे में सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघन के परिणामों में सावधान करते हुए कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य का उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता संवेदनशील सूचना कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और http://grse.in/pdf/investors /InsiderTradingCode_GRSE.pdf पर देखी जा सकती है।

शेयरहोल्डर जानकारी

91. सेबी लिस्टिंग सूची विनियमों की अनुसूची V के अनुसरण में आवश्यक विभिन्न शेयरधारक जानकारी ' शेयरधारक सूचना ' शीर्षक से इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक I** में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकटीकरण

92. (क) **हितों का टकराव**: वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने उन निदेशकों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है जिसकी वजह से कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद हुआ हो। मण्डल के सदस्य, निदेशक का पारिश्रमिक (जहां प्रयोज्य हो) प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं करते हैं जिससे मण्डल के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतन्त्रता प्रभावित हो।

(ख)**संबन्धित पार्टी लेन देन**: वर्ष के दौरान कंपनी भौतिक रूप से कोई महत्वपूर्ण संबन्धित पार्टी लेन-देन नहीं करती है जिसकी वजह से इसके हितों के साथ भारी विवाद हुआ हो। इसके अलावा, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के तहत आवश्यक है,संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों के पास एक समेकित आधार पर निर्धारित प्रारूप में था और कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गाया था। कंपनी के संबन्धित पार्टी लेन-देन की नीति कंपनी के वेबसाइट http://www.grse.in/images/pdf/Policy-for-Determining-material-subsidiaries-grse.pdf पर देखी जा सकती है।

ग) **सामग्री सहायक**: आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है। हालाँकि, कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियन 16 के अनुसार सहायक कंपनीयां निर्धारित की गई हैं जो कंपनी की वेबसाइट http://www.grse.in/images/pdf-for-Determining-Material-subsidiaries-GRSE.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंध:** कोई नहीं

(ङ) **कंपनी में निदेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या**: कोई नहीं

(च) **सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 और सीपीएसई, 2010 के

लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन की चिंताओं को उठाने, कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध कदाचार को आगे आने और सजा/उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य या अध्यक्ष के पास जाने से नहीं रोका गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण भाग के 'निदेशक'रिपोर्ट" में भी उपलब्ध है।

(छ) **खातों की पुस्तकों में खर्च किए गए व्यय की वह मद, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं**: शून्य

(ज) **किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं**: शून्य

(झ) **वित्तीय खर्चों की तुलना में कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय के खर्चों का विवरण:**

(करोड़ रू में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
(क)	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	618.06	702.56
(ख)	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	5.38	12.90
(ग)	(क) पर (ख) का प्रतिशत	0.87	1.84
(घ)	कुल व्यय के % के रूप में वित्तीय व्यय	0.25	0.09

(ञ) **अनिवार्य अनुपालन:** गत तीन (3) वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण या मामला नहीं आया है और स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड / सख्ती लागू नहीं की गई है। एनएसई के 15 फरवरी 21 और 17 मई 21 के नोटिस द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में 31 दिसंबर 20 और 31 मार्च 21 को समाप्त अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण 9,61,700 / - रू के जुर्माने को छोड़कर जैसा की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत आवश्यक है।

उपरोक्त नोटिसों के जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी द्वारा किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्रवाई कंपनी के हाथ में नहीं है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर भी है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एनएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है और यह भी सूचित किया गया था कि कंपनी नियमित रूप से भारत सरकार के साथ जल्द समाधान के लिए मामले को उठा रही है।

मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक है, सेबी सूचीकरण विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश से संबंधित एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जो इस रिपोर्ट में अनुलग्नक II के रूप में प्रस्तुत है।

इसके अलावा, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग 'सी' में उल्लिखित पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर सूचीकरण विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता, और इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों में आवश्यक जानकारी का खुलासा किया गाय है।

(ट) **सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के तहत गैर-अनिवार्य अनुपालन** : सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **बोर्ड:** सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, बोर्ड का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति देता है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार**: आपकी कंपनी अपनी वेबसाइट www.grse.in पर त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करती है और व्यापक रूप से

परिचालित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करती है। हमने सभी शेयरधारकों को पत्र भेजने के अलावा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा लाभांश के भुगतान का संचार किया है।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**: आपकी कंपनी लगातार भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पारदर्शी, सही और निष्पक्ष तरीके से खाते को बनाए रखने का पर्यास करती है। पिछले सत्रह वर्षों (2003-2004 से 2019-20) के दौरान कोई लेखा परीक्षा अयोग्यता नहीं रही हैं। आपकी कंपनी को इन वर्षों के दौरान कैग से "शून्य" टिप्पणियां भी मिली हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए , सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर एक असंशोधित राय जारी की है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** : आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासनिक रूप से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(ठ) **निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट**: कंपनी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को निर्धारित प्रारूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट www.grse.in . पर भी प्रस्तुत किया गया है।

(ड) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम**: कंपनी एक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को गरिमा, सम्मान और समान उपचार के साथ व्यवहार किया जाए। कृपया अधिक विवरण के लिए निदेशक रिपोर्ट के अनुभाग 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण' देखें।

(ढ) **बोर्ड की योग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र** : मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से डिबार या आयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक III** के रूप में प्रस्तुत है।

(ण) **निदेशक मंडल की समितियों की सिफारिशें:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया हो।

(त) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा मैसर्स मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक,को दी गई कुल फीस कुल 7,82,500 रू. है। वित्तीय विवरण' के नोट 27 के तहत विवरण उपलब्ध है।

(थ) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन**: कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सूची के विनियमन 17(8) के संदर्भ में बोर्ड को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं। विनियम, जिसकी प्रति अनुलग्नक- IV के रूप में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। सीएमडी और सीएफओ सूचीकरण नियमों के विनियमन 33 (2) के संदर्भ में बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम देते समय वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाण पत्र भी देते हैं।

घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ,14 मई, 2010 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियमन 26 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
हस्ता./-
वी के सक्सेना
रियर एडमिरल, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07696782

कोलकाता
26 जुलाई, 2021

अनुलग्नक -I

शेयरधारक जानकारी

वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	**10 सितम्बर, 2021**
स्थान	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम।** **[मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]**
समय	**10 : 30 बजे**

लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 10 सितंबर 2021 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा। आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रू में) ^	कुल लाभांश का भुगतान (रू करोड़ में)
2020-21*	5.00	57.28
2019-20	7.14	81.79
2018-19	6.95	79.61
2017-18 #	4.44	50.80
2016-17	4.37	54.08

^ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर लाभांश मूल्य को कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के उप-विभाजन को रू 100 /- से रू 10 – से दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।

** 10/ - रू प्रति शेयर के लिए रू 3.85 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है।*

 # आपकी कंपनी के प्रमोटर से 92, 88,000 इक्विटी शेयरों के भुगतान वाले इक्विटी शेयर पूंजी के 7.50 % के बायबैक को प्रभावित करने के बाद।

स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की सूची

2. 10 अक्तूबर 2018 से आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए। आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है। स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई 400 051 वेबसाइट: www.nseindia.com	जीआरएसई
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई 400 001 वेबसाइट: www.bseindia.com	542011

संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक नोटिस और डेटा जो शेयरधारक से संबंधित सामाग्री होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बताया जाता है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों, बोर्ड मीटिंग्स के नोटिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में) और वर्तमान (बंगाली में) प्रकाशित किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड, प्रभात खबर (हिंदी में) और वर्तमान (बंगाली में) में प्रकाशित हुए थे। प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार थे:

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2020 के महीने में
30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही	नवंबर 2020 के महीने में
31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	फरवरी 2021 के महीने में
31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष	मई 2021 के महीने में

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर *'इन्वेस्टर्स कॉर्नर* ' टैब के अंतर्गत वित्तीय परिणामों , विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं । वेबसाइट पर ' *न्यूज रूम* ' सेक्शन में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां और संबंधित मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं।

वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से शुरू होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिणामों की घोषणा के लिए हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

समाप्त तिमाही	जारी परिणाम
30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2021 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए	नवंबर 2021 का तीसरा सप्ताह
तिमाही और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए	फरवरी 2022 का तीसरा सप्ताह
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	मई 2022 का चौथा सप्ताह

शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं / डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 382Z01011 है।

8. 31 मार्च 2021 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,51,885 हैं। कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं। भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

फॉर्म	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में	10,97,64,538	95.82
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में	47,87,347	4.18
भौतिक रूप	115	0.00

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं। कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2020 के रू 1,123.18 करोड़ के मुकाबले रू 1,564.78 करोड़ रहा है।

31 मार्च 2021 तक शेयरधारिता का वितरण

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारक		शेयरधारिता	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	26942	92.82	2516293	2.20
501-1000	1068	3.68	856789	0.75
1001-2000	524	1.81	790905	0.69
2001-3000	187	0.64	483641	0.42
3001-4000	72	0.25	260874	0.23
4001-5000	59	0.20	285856	0.25
5001-10000	90	0.31	656583	0.57
> 10000	84	0.29	108701059	94.89
कुल	**29026**	**100.00**	**114552000**	**100.00**

31 मार्च 2021 तक शेयरधारण का पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
प्रमोटर शेयरधारक				
	केन्द्रीय सरकार	1	8,53,41,240	74.50
(1)	**प्रमोटर कि कुल शेयरधारिता**	**1**	**8,53,41,240**	**74.50**
पब्लिक शेयरधारक				
	संस्थागत			
क	म्यूचुअल फंड्स	6	1,59,50,243	13.92
ख	वित्तीय संस्थान / बैंक			

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
ग	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	7	11,07,278	0.97
घ	बीमा कंपनियां	2	19,30,220	1.69
(क)	कुल संस्थागत शेयरधारिता	15	1,89,87,741	16.58
	गैर-संस्थागत			
क	निकाय कॉर्पोरेट	144	16,59,498	1.45
ख	सार्वजनिक और अन्य	28866	85,63,521	7.47
(ख)	कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता	29010	1,02,23,019	8.92
(2)	**कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) + (ख)**	**29025**	**2,92,10,760**	**25.5**
कुल शेयरधारिता (1) + (2)		**29026**	**11,45,52,000**	**100.00**

शेयर व्यापार का मूल्य और मात्रा

वर्ष एवं माह	एनएसई			बीएसई		
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	मात्र (संख्या में)	उच्च (₹)	न्यून (₹)	मात्रा (संख्या में)
2020 अप्रैल	168.30	129.9	2385510	168.3	128.95	141147
मई	155.8	129	4070785	155.85	129	300453
जून	218.85	140.20	13398532	222	140.9	1018265
जुलाई	227.15	192.20	9667611	227	192.1	764111
अगस्त	243	193.50	12048630	243.20	193.4	1146176
सितंबर	219.45	166.05	5926482	219.30	166.05	389763
अक्तूबर	227.50	192	4846714	227.05	190.05	231874
नवंबर	204	187	2452348	204.25	183	203057
दिसंबर	218.80	183	8072568	219.05	180	605104
2021 जनवरी	205.80	175	4968511	205.75	175.80	387678
फरवरी	209	181.50	6027531	208.8	181.80	616951
मार्च	217.40	183.45	6327443	217.15	183.35	1047629

ब्रोड आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

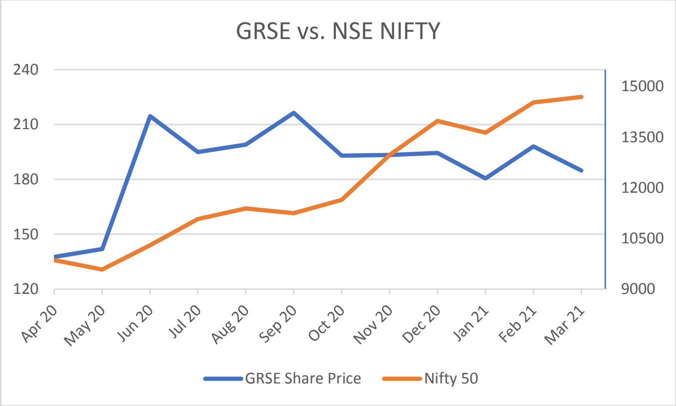

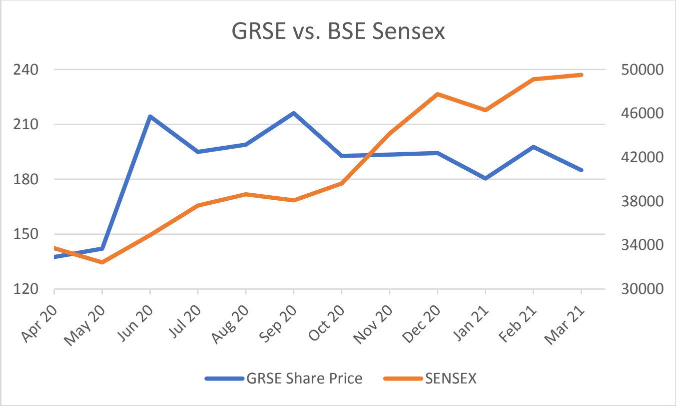

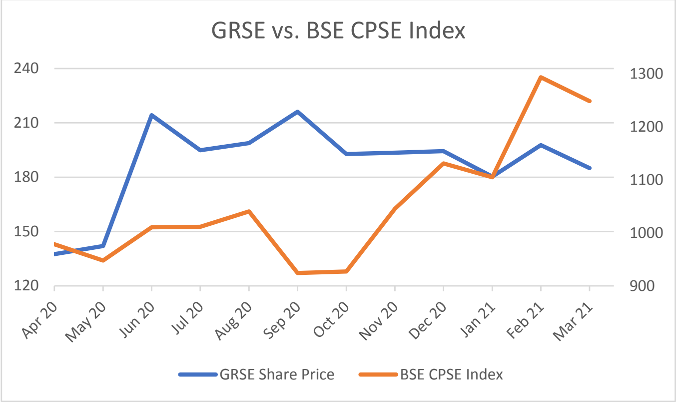

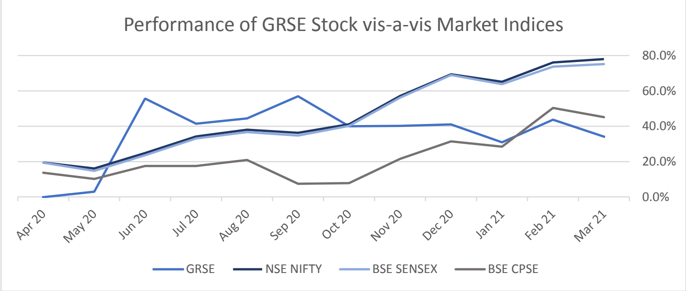

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान

राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कुल जारी / प्रदत्त पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान किया गया था। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

10. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है।

11. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती हैं। इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष के दौरान, मैसर्स ब्रीकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आपकी कंपनी को गैर फंड आधारित सीमाओं सहित अल्पकालिक बैंक सुविधाओं हेतु दीर्घकालिक सुविधाओं और बीडब्ल्यूआर-ए1+ के लिए बीडब्ल्यूआर-एए (आउटलुक स्टेबल) की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है।

शेयर अंतरण प्रणाली

12. कंपनी के डीमैटरियलाइज्ड शेयर डिपोजीटरी सिस्टम के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। हालाँकि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को आपकी कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा आपकी कंपनी के साथ समन्वय में संसाधित किया जाता है।

13. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयर अंतरण को मंजूरी देने के लिए कंपनी की शेयर अंतरण समिति ने एकईस (21) बार बैठक की। वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर हरि पीआर *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य
(ग)	श्री संदीप महापात्र *कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी*	सदस्य सचिव

14. इसके अलावा, 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियमन 40 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरों का अंतरण तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। । 31 मार्च 2021, को कंपनी के 115 इक्विटी शेयरों भौतिक रूप में रखा गया था।

15. इसके अलावा, प्रतिभागी कंपनी सचिवों से प्राप्त शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर अर्ध वार्षिक प्रमाणपत्र सेबी (एलओडीआर) नियमों के विनियमन 40 (10) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को भी जमा किए गए थे।

दावा रहित लाभांश

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़ें जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा।

17. 31 मार्च 2021 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है।

डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

18. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है।

निवेशक सेवाएं

19. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

पत्राचार के लिए पता:

205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,

झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055

ईमेल: info@alankit.com

20. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा दस (10) निवेशक शिकायतें प्राप्त की गई थी जिसे तुरंत हल किया गया।

21. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

नाम:	**श्री संदीप महापात्र**
पदनाम:	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
पता:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
	जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड,
	कोलकाता – 700 024
	दूरभाष: +91 (033) 2469 8105-108
	फैक्स: +91 (033) 2469 8150
	ईमेल: co.sec@grse.co.in
	वेबसाइट: www.grse.in

संयंत्र के स्थान

पोत निर्माण की गतिविधियाँ	**इंजीनियरिंग गतिविधियाँ**	**इंजन गतिविधियाँ**
मेन वर्क्स यूनिट 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता – 700 024	**61 पार्क यूनिट** 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	**डीईपी रांची यूनिट** प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा , रांची - 834 004
राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट 44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 044	**तारातला यूनिट** पी -2 / 2, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088	
फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी, कोलकाता – 700 043		

विवरण का अद्यतन

डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

22. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं।

23. इसके अलावा, जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डीपी को आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) सहित अपना बैंक खाता विवरण प्रदान / अपडेट कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र के रूप में धारित शेयरों के लिए

24. प्रमाणपत्र के रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए अपने पते/ शासनादेश/ बैंक विवरण आदि में किसी भी बदलाव की सूचना कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत दें।

अनुलग्नक II

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ,
जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड
कोलकाता-700024

मैंने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देश और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी और ई तथा विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से (I) में निर्धारण के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों का नही लेखा परीक्षा है और न ही मत व्यक्त करता है।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया, मेरी राय में, कंपनी ने सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

(क) 21 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियमन 17(1) (ए)।

(ख) 15 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियम 17(1)(ए)।

(ग) 09 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियमन 18 (1) एवं 19 (1)।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान का अनुपालन करने से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट के मद्देनजर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (10) का अनुपालन नहीं किया है। जिसके लिए सेबी एलओडीआर विनियम 25 (4) और संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी कहती हूं कि कंपनी रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को समय-समय पर रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126B000485078

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 जुलाई 2021

अनुलग्नक III

निदेशकों की गैर –आयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची *V* पैरा सी खंड (10) (*i*) (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
43/46, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, सीआईएन: L35111WB1934GOI007891 और जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है। कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पढ़ें (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त)	07696782	1 मार्च, 2017
2.	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त)	07973950	16 दिसंबर, 2017
3.	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)	08591411	21 अक्तूबर, 2019
4.	श्री रमेश कुमार दाश	08511344	1 जुलाई, 2020
5.	श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	02267582	14 सितंबर, 2020
6.	डॉ. बिस्वप्रिया रॉयचौधरी	08200896	15 अगस्त, 2018

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके मंडल में सभी निदेशक अर्थात कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशक के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126B000485078

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 जुलाई 2021

अनुलग्नक IV

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता

हम, वी के सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री रमेश कुमार दाश, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं:

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि :

   (i) इन विवरणों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा गया या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि :

   (i) वर्ष के दौरान संदर्भ के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

	हस्ता·।-	हस्ता·।-
	रमेश कुमार दाश,	**रियर एडमिरल वी. के. सक्सेना,**
कोलकाता	निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ	भानौ (सेवानिवृत्त)
26 जुलाई, 2021	डी आई एन: 08511344	डी आई एन: 07696782

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L35111WB1934GOI007891
2	कंपनी का नाम	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	:	जीआरएसई भवन, 61,गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
4	वैबसाइट	:	www.grse.in
5	ईमेल आईडी	:	co.sec@grse.co.in
6	वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट	:	2020-21
7	सेक्टर(ओं) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार) लगी हुई है	:	पोत निर्माण - एनआईसी कोड: 301 डीजल इंजन - एनआईसी कोड: 281 इंजीनियरिंग - एनआईसी कोड: 711
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची , जिन्हें कंपनी विनिर्माण करती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)	:	(i) पोत निर्माण (ii) डीजल इंजन (iii) बेली ब्रिज और डेक मशीनरी आइटम
9	कुल स्थान जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें):	:	शून्य
	(ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	:	ग्यारह
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार - स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	:	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

अनुभाग बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1	भुगतान किया गया पूंजी (आईएनआर)	:	1,14, 55, 20,000 रू.
2	कुल कारोबार (आईएनआर)	:	1,140.83 करोड़ रू.
3	करों के बाद कुल लाभ (आईएनआर)	:	153.47 करोड़ रू.
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	:	तीन वित्तीय वर्षों के तुरंत बाद कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% । सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-ई रिपोर्ट का संदर्भ लें।
5	गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है	:	(सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-ई का संदर्भ लें।)

अनुभाग सी: अन्य विवरण

1	क्या कंपनी के पास कोई सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ हैं?	:	नहीं
2	क्या सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या को इंगित करें	:	लागू नहीं
3	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के साथ व्यापार करती हैं, कंपनी के बीआर पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ, तो [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक] ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें?	:	समय पर डिलीवरी और इष्टतम लागत को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने आउटसोर्सिंग और खरीद गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी के बीआर पहल में भारत सरकार, कर्मचारियों, विक्रेताओं और स्थानीय आबादी सहित अपने सभी हितधारकों का सहयोग है। ध्वनि अखंडता के साथ विक्रेताओं के एक पैनल का ध्यान रखा जाता है। कंपनी ने खरीद के अधिक पारदर्शी तरीके के लिए ई-भुगतान, अखंडता संधि आदि की शुरुआत की है। खरीद आदेश के मानक नियम और शर्तें सुरक्षा, पर्यावरण आदि पर कंपनी की नीति के अनुरूप हैं, और विक्रेता द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए, अधिकांश (60% से अधिक) व्यावसायिक जिम्मेदारी प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप है।

अनुभाग डी: बीआर सूचना

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों का विवरण :**

(क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

1	डीआईएन संख्या	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)
3	पदनाम	:	निदेशक (कार्मिक)

(ख) बीआर प्रमुख का विवरण

सं.	ब्यौरे	:	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)
3	पदनाम	:	निदेशक (कार्मिक)
4	टेलीफोन नंबर	:	033-24691040
5	ईमेल आईडी	:	dp@grse.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां

निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। ये संक्षेप इस प्रकार हैं:

पी1	-	व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और परिचालित करना चाहिए
पी 2	-	व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं
पी 3	-	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	-	व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
पी 5	-	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रमोट करना चाहिए
पी 6	-	व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए
पी 7	-	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए
पी 8	-	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए
पी 9	-	व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में उत्तर)

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपकी कोई नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी उद्योग,सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों/कार्यों के अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुसरण करती है।								
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो (50 शब्दों) में निर्दिष्ट करें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी की विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी की गई विधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/विनियमों आदि के अनुरूप तैयार की गई हैं और समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं । इन नीतियों को आम तौर पर उद्योग प्रथाओं ,राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।								
4	क्या नीति मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ, क्या यह एमडी/मालिक/ सीईओ / उपयुक्त मण्डल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		विभिन्न नीतियां/कंपनी की नियमावली का कार्यान्वयन निदेशक मंडल,सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन द्वारा होता है । यथा-प्रसंग नीतियों पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।								
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मण्डल/ निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करता है जैसा कि निगमित प्रशासन रिपोर्ट में विस्तृत रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।								
6	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीति के लिए लिंक का संकेत दें?	नीतियां कंपनी के वेबसाइट : http://www.grse.in/index.php/investors-corner/in/corts.html पर उपलब्ध हैं ।								
7	क्या नीति को सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां, कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करके हितधारकों के लिए नीतियों का संचार किया गया है ।								

8	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए इन-हाउस संरचना है?	हां, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं के सुरक्षित और स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से इन-हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर पूल, प्रलेखित मानक संचालन प्रक्रियाओं और अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी को स्थापित किया है।
9	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ। बोर्ड ने कंपनी के अधिनियम, 2013 और सेबी के (सूचीबद्ध विनयम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन 2015 के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी में प्रतिभूतियों को रखने वाले हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए हितधारक संबंध समिति नामक एक समिति का गठन किया है। वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर सतर्कता तंत्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, बोलीदाताओं / ठेकेदारों से और साथ ही विभिन्न निविदाओं के विरूद्ध कंपनी द्वारा मांगी गई राय का प्रतिनिधित्व स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) के द्वारा किया जाता है। आईईएम संबंधित अधिकारियों और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जहां भी आईएमई द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है वे अपनी राय देते है।
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	कंपनी विभिन्न लेखापरीक्षाओं जैसे कि सांवधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, सी एंड एजी लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा, आदि विभिन्न लेखा परीक्षा किया हैं। ये लेखापरीक्षा विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। हालांकि, कंपनी के नीतियों का लेखा परीक्षा नहीं किया गया हैं, लेकिन इस तरह के नीतियों विनियामक/व्यवसाय/पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ख) यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो, कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों में टिक करें)

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं।								
2	कंपनी एक ऐसे चरण में नहीं है जहां वह स्वंम को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में पाता है।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव संख्या शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. शासन संबंधित बीआर

(क)	3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के उस आवृत्ति को इंगित करें जिसके साथ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन निदेशक मंडल, समिति के बोर्ड या सीईओ द्वारा किया गया है।	:	बीआर प्रदर्शन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन का अभिन्न हैं और समय-समय पर मण्डल/ मण्डल स्तर समिति (एस)/ कार्यात्मक निदेशकों द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न आइटम के रूप में समीक्षा की जाती है।
(ख)	क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?	:	हाँ। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट सालाना प्रकाशित की है और इसे http://grse.in/index.php/investors-corner/annual-reports.html पर देखा जा सकता है।

अनुभाग ई: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत -1 व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और परिचातित करना चाहिए

1	क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हाँ / नहीं, क्या यह समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक विस्तारित होता है?	:	हां, नीति कंपनी को कवर करती है है। पारदर्शिता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, जीआरएसई सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ सेवा मूल्य के सभी आदेश / संविदा के 200 लाख और उससे अधिक मूल्य के लिए प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। इंटीग्रिटी पैक्ट किसी भी मुद्दे को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के साथ समय-समय पर मंगाई गई उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में बोलीदाताओं को सक्षम करने में सक्षम बनाता है। आईईएम को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उक्त अखंडता संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है। संधि अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और प्रधानाचार्य (जीआरएसई) के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों /अधिकारियों को, अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा नहीं लेने के लिए एक समझौते की परिकल्पना करती है। केवल वे विक्रेता / बोलीदाता, जो सिद्धांत के साथ इस तरह के संधि के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट, किसी विशेष अनुबंध के संबंध में, अनुबंध के अंतिम पूर्ण होने तक बोलियों के आमंत्रण के चरण से संचालित होगा। उसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापार व्यवहार से बहिष्कार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नीतियां "समावेशी" हैं और कंपनी के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और अन्य सभी बाहरी हितधारकों को कवर करती हैं।
2	गत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों के शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	वित्तीय वर्ष 2020-21, के दौरान,10 निवेशक शिकायतें /व्यथा कंपनी द्वारा और सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया।

सिद्धांत -2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

1	अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें, जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।	:	कंपनी शिपबिल्डिंग, इंजीनियरिंग आइटम जैसे डेक मशीनरी उपकरण और बेली ब्रिज और डीजल इंजन के संयोजन और ओवरहालिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के उत्पाद की डिज़ाइन सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ-साथ उपलब्ध अवसरों से लाभ अर्जित करने के लिए गया है।
2	इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)	:	कंपनी स्थायी तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को मानती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी, खरीद में पारदर्शिता और आउटसोर्सिंग और सतत विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के रोजगार के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू किया है, जैसे कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना ,पारंपरिक डिस्चार्ज लैंपों के बजाय एलईडी रोशनी के साथ विद्युतीकरण आदि। अधिकांश शॉपों को पुनर्निर्मित किया गया था और पारभासी छत की चादरों से सुसज्जित किया गया था, जिससे शॉपों को पर्याप्त रोशनी मिलती थी उच्च खपत बाढ़ रोशनी दिन के समय मौजूद नहीं है इसलिए स्विचिंग की आवश्यकता होती थी।।

3	क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? (क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत निरंतर रखा गया था? इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	हां, कंपनी ने स्थायी सोर्सिंग के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया रखी है। कंपनी के पास अच्छी दस्तावेज़ प्रोक्योरमेंट नीति है। इस नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जो स्थिर, निरंतर और टिकाऊ तरीके से संचालन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित सोर्सिंग में मदद करता है। कंपनी के पास लंबी अवधि के अनुबंधों और दर-अनुबंधों की नीतियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन और व्यवसाय का अनुसरण बाहरी लोगों के कारण न हो। इसके अलावा, कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए अनुमोदित मानदंड का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ आईएसओ प्रमाणपत्र वाले विक्रेताओं, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित वितरण अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेता शामिल हैं; कंपनी ऐसे विक्रेताओं को गुणवत्ता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर उनके प्रदर्शन की नियमित निगरानी भी करती है। कंपनी नियमित रूप से विक्रेताओं / साझेदारी का संचालन करती है, ताकि स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं को दूर किया जा सके। कंपनी की छवि, नैतिक और पारदर्शी व्यवसाय प्रथाओं, विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध, आदि सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश आइटम स्थिरता के स्रोत हैं। मूल्यांकन अवधि के दौरान विक्रेता के औसत प्रदर्शन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटा/ निलंबित कर दिया जाता है । विक्रेताओं की सूची की समीक्षा की जाती है और उसे वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाता है। वर्तमान में कंपनी के पास इस विशेष पैरामीटर को मापने के लिए एक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, भविष्य में, प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? (क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?		हां, कंपनी की खरीद नीति और प्रथाओं को सरकार की नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को बढ़ावा देते हैं । हालांकि, सीवीसी सहित उन विभिन्न सरकारी विभागों के फ्रेम-वर्क के दिशा-निर्देश के भीतर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के हित का भी ध्यान रखा जाता है। स्वदेशीकरण सामग्री बढ़ाने और एमएसएमई सहित स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जीआरएसई रक्षा बलों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आउटसोर्स कर रहा है। कंपनी एमएसएमई के वार्षिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी भाग लेती है ताकि खरीद के लिए उत्पादों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए खुद को सुविधाजनक बनाया जा सके। कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और विक्रेता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है। इस दिशा में हमारी निरंतर खोज ने छोटे स्थानीय खिलाड़ियों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में बेहतर भागीदारी देखी है। इसके अलावा, कंपनी पूरे देश में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए एमएसएमई सहित वेंडर डेवलपमेंट डेटाबेस का निर्माण, अद्यतन और रखरखाव करती है। यह छोटे और स्थानीय विक्रेताओं को कंपनी की अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्य होने के लिए उनकी क्षमता और क्षमता में सुधार करके कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । कंपनी जहाँ भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है।

		:	कंपनी ने एमएसएमई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सामग्री और सेवाओं के लिए निविदाओं में आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है। कंपनी ने उन वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) प्रणाली को अपनाया है जो जेम में उपलब्ध हैं। एमएसएमई सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से खरीद/लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कंपनी ने एमएसएमई, भारत सरकार, फिक्की, सीआईआई, केएसआईडीसी और एनएसआईसी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) में भाग लिया। , जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी एमएसएमई विक्रेताओं के लिए तीन कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें जीआरएसई के प्रतिनिधियों ने जीआरएसई की एमएसएमई से उत्पाद और सेवाओं की आवश्यकता पर प्रस्तुतियां दीं।
5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने का एक तंत्र है? यदि हाँ तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%,> 10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	कंपनी युद्धपोतों, वेसल्स, डीजल इंजन और बेली ब्रिज जैसे उत्पादों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिसमें रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग हैं। कंपनी के लिए उत्पादों को पुनर्चक्रण करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये उत्पाद बेचने के बाद वापस कंपनी में नहीं आते हैं। हालांकि, कंपनी में उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली लागू है। इस तरह के निपटान या पुनर्चक्रण में काम करने वाली एजेंसियों और पर्यावरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट का निपटान किया जाता है।

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हित को प्रमोट करना चाहिए

1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	1900 निश्चित अवधि अनुबंध कर्मचारियों सहित
2	कृपया अस्थायी/संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	44
3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें।	:	95 निश्चित अवधि अनुबंध कर्मचारियों सहित
4	कृपया स्थायी दिव्यान्ग कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें	:	51
5	क्या आपके पास एक कर्मचारी एसोसियशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	:	हाँ
6	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसियशन का सदस्य है?	:	ऐसे कोई डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है
7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	:	

सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायत सं.	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.
1	बाल श्रम/बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8	अंतिम वर्ष में आपके कितने प्रतिशत से कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?	:	सं.	वर्ग	संरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का%	कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का%
			1	स्थायी कर्मचारी	4.21	14.63
			2	स्थायी महिला कर्मचारी	3.16	23.16
			3	आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	20.45	9.09
			4	विकलांग कर्मचारी	7.84	21.57

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है?	:	हाँ
2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है।	:	जीआरएसई की सीएसआर परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और रांची के क्षेत्रों में मौजूद वंचित, कमजोर और हाशिए के समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा, जीआरएसई भारत सरकार द्वारा सलाह के अनुसार आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है । जीआरएसई उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी शामिल है जिनके लिए विशेष रूप से परियोजनाएं तैयार की गई हैं। कंपनी ने (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस (ii) दिव्यांग की पहचान अलग-अलग तरह से की है, जिन्हें रोजगार के उद्देश्य से वंचित, कमजोर और हाशिए पर रखा गया है।
3	क्या वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	जीआरएसई ने अपने सीएसआर थ्रस्ट क्षेत्रों में कोलकाता और रांची में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्धताओं को बनाया है , जो बड़े पैमाने पर वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के बच्चों के लिए भोजन प्रबंध, शिक्षा, स्वच्छता और शौचालय, समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी पहल, अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कई पहल, आय बढ़ाने के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अन्य हस्तक्षेप किया है । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और अलग-अलग तरह से लागू किए गए नियमों के बारे में कंपनी भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए

1	क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त V को लुभाने / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को विस्तारित करती है ?	:	कंपनी के पास कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/ समूह आदि नहीं है, कंपनी की मानव संसाधन नीतियां उसके कर्मचारियों के मानवाधिकारों और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए इससे जुड़े अन्य लोगों को कवर करती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मानव अधिकारों पर कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें एक नीति है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है?	:	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली

सिद्धांत 6 - व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए

1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य को प्रदान करती है।	:	यह कंपनी को कवर करता है। एकीकृत दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के लिए हमारे चल रहे प्रयास के माध्यम से माँ प्रकृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया जाता है। हम पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से इसकी गतिविधियों और उत्पादों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को विकसित करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं की पहचान करके इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कंपनी अपने व्यावसायिक साझेदारों / विक्रेताओं / ठेकेदारों को पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने के लिए डिजाइन से निपटान तक राजी और प्रोत्साहित करती है,
2	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि को संबोधित करने की रणनीति / पहल है? हाँ/ ना । यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	हाँ। कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा प्रतिस्थापन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों जैसे कि कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक जोर दिया गया है। कंपनी ने अब तक मेन ,एफओजे और आरबीबी यूनिटों में कुल 1000kWp यानी 1 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 1 मेगावाट सौर छत बिजली संयंत्र से कुल उत्पादन शक्ति 8.56 लाख यूनिट (kWh) थी, जिसमें से 1.3 लाख यूनिट (kWh) सीईएससी ग्रिड में इंजेक्ट की गई थी। इसके अलावा यह सुविधा लगभग 950 टन ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करती है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/ना	:	नहीं
4	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?	:	वर्तमान में, जीआरएसई के पास स्वच्छ विकास तंत्र के तहत कोई परियोजना नहीं है।
5	क्या कंपनी ने कोई अन्य पहल की है - स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि हाँ/ना । यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जैसी कई पहलें की हैं, नई इमारतों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैंप के बजाय एलईडी रोशनी के साथ किया जाता है, एलईडी लाइट्स के साथ उच्च दबाव पारा वाष्प रोशनी का प्रतिस्थापन, कुरसी प्रकार एलईडी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, का उपयोग नियमित छत के पंखे आदि के बजाय ऊर्जा कुशल पंखे।
6	क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं?	:	हाँ
7	सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि के लिए हल नहीं हुई)	:	शून्य

सिद्धांत 7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए			
1	क्या आपकी कंपनी किसी भी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख लोगों का नाम बताइए जिनके साथ आपका व्यवसाय व्यवहार करता है	:	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की); (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (ग) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) (घ) बंगाल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) (ङ) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट (एसओडीईटी) (च) इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (इस्बा)
2	क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त एसोसियशन के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/ना; यदि हाँ व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)	:	नहीं

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए			
1	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण।	:	हाँ। कंपनी "अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का प्रयास" के अपने पोषित मूल्य का अनुसरण कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के प्रावधानों और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति तैयार की है। इसके अलावा, प्रोग्राम / पहल / परियोजनाएं कंपनी अधिनियम -2013 की अनुसूची VII के अनुसार ली जाती हैं, जिन्हें कंपनी की हमारी सीएसआर और स्थिरता नीति में विधिवत शामिल किया गया है और हमारे सभी सीएसआर कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है। जीआरएसई के सीएसआर प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्ट्रेटा समुदाय को लाभान्वित करना है और ऐसे समुदायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं।
2	क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/स्व-स्थापित/ बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?	:	कंपनी के अधिकांश कार्यक्रम इन-हाउस किए जाते हैं और कुछ मामलों में कंपनी जमीनी स्तर पर परियोजना के निष्पादन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, फ़ाउनडेशन, सरकारी एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग करती है।
3	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?	:	हाँ। संचालित गतिविधि के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। कंपनी समय-समय पर परियोजनाओं के बहुमत के लिए परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रभाव मूल्यांकन करती है।

4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण	:	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान 370 लाख रू था। कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का निर्माण करने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में व्याख्या करें।	:	हां, कंपनी अधिकांश परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करती है

सिद्धांत - 9 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए

1	वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।	:	शून्य
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार, उत्पाद लेबल के ऊपर उत्पाद की जानकारी, ऊपर और ऊपर क्या प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / ला· न / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	:	जीआरएसई एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है, उत्पाद जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, उत्पाद जानकारी का कोई प्रदर्शन नहीं है।
3	क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/ या पिछले पांच वर्षों के दौरान विरोधी-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	नहीं
4	क्या आपकी कंपनी ने किसी उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान को अंजाम दिया है?	:	जीआरएसई ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोई संरचित सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, जीआरएसई नियमित आधार पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

यह प्रतिवेदन हमारे दिनांक 17 मई 2021 के पुर्व के प्रतिवेदन का अधिक्रमण करती है। कृप्या इस प्रतिवेदन के अन्य मामलों का संदर्भ लें।

राय

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है [लेखा परीक्षा में कॉर्पोरेट कार्यालय और पूरे भारत में सभी यूनिट शामिल हैं।] जिसमें 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण , और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अनिवार्य जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों में तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नकदी प्रवाह का विवरण द्वारा अपेक्षित सूचना उसी प्रकार प्रदान करती है जैसा कि अपेक्षित है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है।

राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (एसएएस) के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

प्रमुख मामले

1. हम 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार कंपनी के संचालन पर महामारी (कोविड 19) के प्रभाव के संबंध में साथ में वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसने रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी के राजस्व और वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित किया। प्रबंधन ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोविड 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और उम्मीद है कि दीर्घकालिक आधार पर व्यवसाय के संचालन की निरंतरता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, वास्तविक प्रभाव वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

2. वर्ष के दौरान लॉकडाउन के दिनों के दौरान उत्पादन घंटों के नुकसान और संयंत्र और मशीनरी का उपयोग न करने के कारण असाधारण मद (नोट संख्या 50) के रूप में दिखाए गए 2074.94 लाख रुपये के निदान हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में भविष्य निधि अंशदान के वर्गीकरण के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में नोट संख्या 1.2 (क्यू) और 32 (ii) (सी) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखांकन नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया था और यह देखा गया था कि लाभों के लिए उपलब्ध शुद्ध संपत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, चालू वर्ष में कंपनी के खाते की पुस्तकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले (केएएम)वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी प्रतिक्रिया
1	**पोत निर्माण से अनुबंध राजस्व** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **1.2(i)(ए)(i) और संख्या 20** में संदर्भित। कंपनी ने अप्रैल, 2018 से प्रभावी एक नया लेखांकन मानक, इंड एएस 115 के रूप में,"ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व"को अपनाया है। कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है जब वह पूर्ण संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को समय के साथ इनपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है अर्थात संपूर्ण अनुबंध के लिए अनुमानित वास्तविक लागतों की तुलना करके। लेखांकन मानक का अनुप्रयोग जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र है। हमने केएएम के रूप में पोत निर्माण अनुबंधों की राजस्व मान्यता की पहचान निम्न को मानते हुए की है: क) राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी गई है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, पहचान किए गए प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, चर विचार का निर्धारण और चर विचार को मापने के लिए, एक अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता। ख) मानक राजस्व और अवधि के संबंध में मजबूत प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, जिस पर शेष प्रदर्शन दायित्वों को तुलन पत्र तिथि को संतुलित करने के बाद संतुष्ट किया जाएगा। ग) इसमें आईटी प्रणाली की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वर्ष के अंत में, कार्य-प्रगति का एक महत्वपूर्ण राशि(अनुबंध संपत्ति) इन अनुबंधों से संबंधित तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त है।	पोत निर्माण अनुबंधों से मान्यता प्राप्त राजस्व पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं: क) प्रबंधन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड और गणना करने और संबंधित अनुबंध परिसंपत्ति, अनर्जित और आस्थगित राजस्व शेष के प्रबंधन के लिए लागू प्रक्रियाओं,प्रक्रियाओं और नियंत्रण को समझना। ख) प्रमुख आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन, जिसमें शामिल हैं: i) सिस्टम द्वारा उत्पन्न लागत और राजस्व रिपोर्ट की पूर्णता और सटीकता पर आईटी नियंत्रण स्वीकारना। ii) अनुबंधों के चयनित नमूनों पर, हमने परीक्षण किया कि मान्यता प्राप्त राजस्व लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है। ग) नए लेखांकन मानक के तहत प्रदान किए गए खुलासे की उपयुक्तता का मूल्यांकन। तुलन पत्र में कार्य-प्रगति (अनुबंध परिसंपत्तियों) की मान्यता की रिपोर्टिंग तिथि और कंपनी के अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के अनुसार कार्य-प्रगति की संगणना के प्रासंगिक विवरण के साथ जाँच की गई है।
2	**दुर्भर अनुबंध** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **19** में संदर्भित। कंपनी ने एक नए एफपीवी के अनुबंध को "दुर्भर" के रूप में मूल्यांकन किया है जिसमें अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक है। कंपनी ने खाते की किताबों में अनुमानित नुकसान प्रदान किया है।	"दुर्भर अनुबंधों" पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 1) इस कारण का मूल्यांकन करना कि प्रबंधन द्वारा दिए गए अभिलेखों और अनुमानों से अनुबंध दुर्भर क्यों प्रतीत होता है। 2) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से अपरिहार्य लागतों के विवरण का मूल्यांकन करना। 3) ग्राहक के साथ अनुबंध और संचार की शर्तों को समझना। 4) अन्य मौजूदा अनुबंधों के मामले में उसी संभावना का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन या निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जिन विवरणों से अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। । इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इंड-एएस वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही, वास्तविक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें। यह आकलन कंपनी से चिंता का विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चिंता के विषय को आधार बनाएँ जब तक की प्रबंधन या इसके निबटान करने का इरादा रखता हो या संचालन को बंद करने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए हैं तो उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना की क्या एक घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण

संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर इंड एएस के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के संघर्ष का चिंता का विषय बना रह सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ संवाद करते है, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिनकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम एक वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा के उपाय पर टीके होते है और जिन्हें सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन पर आरोप लगाने वाले मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा। इस तरह के संचार में सार्वजनिक हित या लाभ के अतिभार होते है।

अन्य मामला

i) नोट संख्या 30 (आकस्मिक देयताओं) में दर्शाई गई राशि में ब्याज/जुर्माना शामिल नहीं है जो दावों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।

ii) हमने उस तारीख को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों पर 17 मई, 2021 (मूल प्रतिवेदन) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से की गई टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय विवरणों में संशोधन किया गया है और संशोधित वक्तव्यों को निदेशक मंडल द्वारा 26.07.2021 को अनुमोदित किया गया है। स्टॉक-इन-ट्रांजिट और अन्य परिणामी प्रभावों के साथ-साथ इसी व्यापार देय के लिए नए लेखांकन के संबंध में 7,068.90 लाख रुपये संशोधन की राशि का प्रभाव, इन वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 52 में दर्शाया गया है। तदनुसार, हमने यह संशोधित रिपोर्ट जारी की है जो हमारे 17 मई, 2021 की पूर्व की प्रतिवेदन का अधिक्रमण करती है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक का रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार हम संलग्नक- क में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित मदों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने सभी जानकारियां एवं सूचनाएँ मांगी एवं प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिका अब तक यथा अपेक्षित रूप से रखी है जो उन खातों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस (अन्य व्यापक आय सहित), स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट निपटाए गए हैं जो खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

   (घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संशोधित रूप में (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) हमारी राय में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत प्रावधान कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ज) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार में, हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (आकस्मिक देनदारियों के रूप में वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 का संदर्भ लें);

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए 1,177 लाख रुपये के भारी अनुबंध पर नुकसान के प्रावधान को छोड़कर कोई भी भौतिक नुकसान हुआ था, जैसा कि नोट संख्या 19 में कहा गया है;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

3. हम "अनुलग्नक – ग" में उपरोक्त धारा के शर्तों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निहित मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं जो अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार अपेक्षित है।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E

हस्ता.।–
सुर्दशन मुखर्जी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआईयूडीआईएन: 2059AAAAB05181

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26 जुलाई, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का "संलग्नक- क"

(हमारे उसी तिथि के " अन्य विधि और विनायमक आवश्यकताएं के अनुभाग " के तहत पैराग्राफ 1 का संदर्भ ले)

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्ति की मात्रा संबंधी ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूरे विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) कंपनी के पास अपनी अचलसंपत्ति के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी परिसंपत्ति का चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों की अवधि में सत्यापन किया जाता है। तदनुसार, कंपनी के कुछ डिवीजन/यूनिट की अचल परिसंपत्ति को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापित किया गया था। इस तरह के सत्यापन पर पाई गई विसंगतियों को खातों में ठीक से निपटाया गया है। हमारी राय में, ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है।

(ग) हमें दी गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डो के हमारे परीक्षण के आधार पर, अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड कंपनी के नाम में हैं। परिसंपत्ति के "उपयोग के अधिकार" के मामले में कंपनी के नाम पर लीज एग्रीमेंट को विधिवत निष्पादित किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूचियों (तीसरी पार्टी के पास एवं ट्रांज़िट में पड़े को छोड़कर) का प्रत्यक्ष सत्यापन तर्कसंगत अंतराल पर किया गया है प्रत्यक्ष सत्यापन से उत्पन्न प्रत्यक्ष स्टॉक और पुस्तक रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां, लेखा खातों में दर्ज कर ली गई हैं।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई भी ऋण, गारंटी तथा प्रतिभूति अनुदान नहीं की गई हैं जिनके संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं क्यूंकी कंपनी एक सरकारी कंपनी हैं और रक्षा उत्पादन जैसे कार्य में लगी हुई है, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तात्पर्य के अनुसार किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2021 तक कोई अघोषित जमा राशि नहीं है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और डीजल इंजन के निर्माण के संबंध में निर्धारित किया गया है। हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, विहित खातों और रिकार्डो को तैयार किया गया है और रखा गया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें यथा उपलब्ध कराए गए कंपनी के रिकार्डो की हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य कोई सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकायों को जहां तक संभव हो उचित प्राधिकरणों में समान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है और 31 मार्च, 2021 को उपरोक्त देयताओं के संदर्भ में देय होने की तारीख से छ माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को जमा नहीं किए गए विवादित ब्योरे के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	अवधि जिससे संबंधित है	राशि (लाख रू.में)	मंच जहां विवाद लंबित है
1	वेस्ट बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम,2003	वैल्यू ऐडेड टैक्स	2007-08	506.83	वैस्ट बंगाल टैक्सेशन ट्रिव्यूनल
2	सैंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944	सैंट्रल एक्साइज	2016-17	106.54	अपर सचिव, पुनरावृत्ति याचिका, भारत सरकार, नई दिल्ली
3	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2008-09	352.85	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
4	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2013-14	1.92	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
5	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2016-17	8.61	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
	कुल			**976.65**	
	ऊपर उल्लिखित राशि विशेष रूप से ब्याज और जुर्माना का है जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकती है।				

(viii)कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। बैंकों से केवल बैंक गारंटी और साख पत्र की गैर-वित्तपोषित सुविधाओं का लाभ उठाया गया है।

(xi) हमारे परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर अथवा बाद में पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यम सहित) के माध्यम से कोई धन एकत्र नहीं किया है और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई सामग्री जालसाजी न तो नोटिस की गई है और न ही इसकी रिपोर्ट की गई है।

(xi) कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 को दी गई छूट के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में शिड्यूल V के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 पठित धारा 197 का प्रावधान एक सरकारी कंपनी के लिए, लागू नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii)हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर,संबन्धित पार्टियों से लेनदेन, जहां लागू होता है, अधिनियम के खंड 177 और 188 का अनुसरण करते हुए किया गया है और लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबन्धित व्यक्तियों के साथ गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है।, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग है कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E

हस्ता.।–
सुर्दशन मुखर्जी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआईयूडीआईएन: 2059AAAAB05181

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26 जुलाई, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन का “संलग्नक ख”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31, मार्च 2021 के अनुसार इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा सहित **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (‘कंपनी’) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य कंपोनेंट कों ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित है, पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कों स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना कों समय पर तैयार करने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन कों सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शी टिप्पणी”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा संचालित की। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया और क्या सभी सामग्री में यह नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया और प्रचालन प्रभावकारिता निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, विद्यमान मैटीरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन तथा आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं आकलन शामिल किया गया। चयन की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें चाहे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण ही वित्तीय विवरणों की गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण जिसे हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) उन रिकार्डो के रखरखाव, जो कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और निपटान का सही और सटीक विवरण प्रस्तुत करते हो;

(2) सही रूप से सुनिश्चित करते हो कि लेनदेन को यथा आवश्यक रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों कों तैयार करने के लिए अनुमति दी जा सके और यह, कि केवल प्रबंधन प्राधिकारों तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों कों परिचालित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण से बचाव अथवा समय पर पता लगाने, प्रयोग अथवा निपटान, जिसका वित्तीय विवरणों पर मैटीरियल प्रभाव पर सकता है, के बारे में सही रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और 31 मार्च 2021 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हुआ है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण पर अनिवार्य कम्पोनेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E

हस्ता.।–
सुर्दशन मुखर्जी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआईयूडीआईएन: 2059AAAAB05181

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26 जुलाई, 2021

अनुलग्नक- सी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के लिए

क्र.सं.	नीति	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, आईटी प्रणाली साथ-साथ खातों की अखंडता के बाहर लेखांकन लेनदेन का वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो तो उसके बारे में बताया जाए।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है। इसलिए, वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने का कोई निहितार्थ उत्पन्न नहीं होता है।
2	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	मौजूदा ऋण की पुनर्रचना का कोई उदाहरण नहीं है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त धनराशि ली गई थी /प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा केंद्र/सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों का ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और न ही हमें ऐसी किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों की सूचना मिली है।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E

हस्ता.।–
सुर्दशन मुखर्जी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआईयूडीआईएन: 2059AAAAB05181

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26 जुलाई, 2021

भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय- विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है। इसके किए जाने का उल्लेख उनके द्वारा उनकी दिनांक 17 मई 2021 और 26 जुलाई 2021 की संशोधित रिपोर्ट की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,कोलकाता** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उजागर की गई मेरी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप अन्य मामलों के तहत **टिप्पणियों के मद संख्या 52 में दर्शाए गए प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए,** मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक की पेशकश करने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

27/07/2021

(संतोष कुमार, आईए एवं एएस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

बेंगलूर
दिनांक: 27 जुलाई 2021

तुलन पत्र
31 मार्च 2021 के अनुसार

(लाख रू में)

विवरण	नोट स.	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
परिसपंत्ति			
(1) निवर्तमान परिसपंत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	33,497.42	29,923.31
(ख) चल रहे पंजीगत कार्य	4	15,129.72	5,151.52
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	522.86	445.56
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6(a)	0.44	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6(b)	69,455.90	7,660.42
(ङ) निवर्तमान कर परिसंपत्ति	7	11,714.77	12,060.02
(च) अन्य निवर्तमान परिसंपत्ति	8	254.30	2,408.06
कुल निवर्तमान परिसपंत्ति		**1,30,575.41**	**57,649.33**
(2) वर्तमान परिसपंत्ति			
(क) वस्तुसूचियाँ	9	71,718.55	44,102.22
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) वर्तमान निवेश	10(a)	82,581.96	5,400.43
(ii) ट्रेड प्राप्तियाँ	10(b)	17,813.74	53,528.00
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	10(c)	932.05	72,922.75
(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	10(d)	2,27,185.14	1,88,209.38
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	10(e)	14,380.03	20,732.75
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया	11	1,26,021.92	95,818.44
(घ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति	12	43.39	52.82
कुल वर्तमान परिसपंत्ति		**5,40,676.78**	**4,80,766.79**
कुल परिसपंत्ति		**6,71,252.19**	**5,38,416.12**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13(a)	11,455.20	11,455.20
(ख) अन्य इक्विटी	13(b)	1,02,256.56	92,567.90
कुल इक्विटी		**1,13,711.76**	**1,04,023.10**
देयताएं			
(1) निवर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ट्रेड देय	14		
(क) सूक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया शेष		-	-
(ख) उपरोक्त (i) (क) के अतिरिक्त कुल बकाया शेष		923.67	1,075.05
(ख) प्रावधान	15	8,286.66	7,662.46
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	16	550.87	953.78
कुल निवर्तमान देयताएं		**9,761.20**	**9,691.29**
(2) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ट्रेड देय			
(क) सूक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया शेष	17(a)	95.36	293.43
(ख) उपरोक्त (i) (क) के अतिरिक्त कुल बकाया शेष	17(a)	71,107.24	54,384.37
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	17(b)	2,401.22	2,426.41
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	18	-	3,52,338.62
(ग) प्रावधान	19	16,191.89	15,258.90
कुल वर्तमान देयताएं		**554,848.13**	**4,24,701.73**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**678,321.09**	**5,38,416.12**
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सह नोट्स 1 से 54 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 26 जुलाई 2021

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रू में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व	20	1,14,083.53	1,43,329.53
अन्य आय	21	18,759.56	22,549.94
कुल आय		**1,32,843.09**	**1,65,879.47**
व्यय			
खपत किए गए मालों की लागत	22(a)	44,724.89	69,169.71
पुन: बिक्री (बी एवं डी स्पेयर्स) हेतु उत्पादों का क्रय		2,392.27	5,426.26
चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	22(b)	1,132.90	(2,419.95)
उप संविदा प्रभार		12992.60	17,007.21
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	23	26,938.04	29,694.15
वित्त लागत	24	270.10	133.56
मूल्यहांस एवं परिशोधन व्यय	25	2,908.76	3,008.92
परियोजना संबंधित - अन्य व्यय	26	7,531.11	7,311.90
अन्य व्यय	27	11,165.74	13,099.91
कुल व्यय		**1,10,056.41**	**1,42,431.67**
असाधारण वस्तु एवं कर पूर्व लाभ		**22,786.68**	**23,447.80**
असाधारण वस्तु	28	(2,074.94)	(1,060.70)
कर पूर्व लाभ		**20,711.74**	**22,387.10**
कर व्यय	29(a)		
- वर्तमान कर		5887.11	5808.78
- आस्थगित कर		(522.49)	230.15
कुल कर व्यय		**5,364.62**	**6,038.93**
वर्ष के लिए लाभ		**15,347.12**	**16,348.17**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: निर्धारण		475.10	(1,584.81)
- उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर		(119.58)	398.90
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		**355.52**	**(1,185.91)**
अवधि हेतु कुल व्यापक आय		**15,702.64**	**15,162.26**
प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)			
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय		13.40	14.27
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सह नोट्स 1 से 54 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 26 जुलाई 2021

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कराधान से पूर्व लाभ		20,711.74		22,387.10
के लिए समायोजन -				
ब्याज आय		(15,268.23)		(20,396.84)
अवास्तविक उचित मूल्य लाभ (शुद्ध)		(317.96)		(696.94)
परिभाषित लाभ योजना के पुनर्माप पर बीमांकिक लाभ/हानि		355.52		475.10
मूल्यह्रान्स और परिशोधन व्यय		2,908.76		3,008.92
परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ निवल		(153.97)		(110.53)
वित्त लागत		270.10		133.56
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ)		(86.47)		(24.59)
परिसमापन हर्जाना रिटेन बेक		(339.70)		-
देयताओ को अब रिटेन बेक की आवश्यकता नहीं है।		894.93		(639.03)
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**8,974.72**		**4,136.75**
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :				
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	36,032.22		(30,358.33)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	(55,442.76)		33,488.56	
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	2499.01		(1551.91)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(30,203.48)		(39,661.91)	
बिक्री (वर्तमान परिसंपत्ति) के लिए धारित परिसंपत्ति मे (अभिवृद्धि)/ह्रास	9.43		(9.73)	
वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(27,616.33)		(9,145.31)	
व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	16,459.90		17,317.44	
प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास	1,001.96		2,239.54	
अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास	(25.19)		273.95	
अन्य वर्तमान देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(3,52,175.30)		73,765.15	
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों (आस्थगित कर देयता) में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(402.91)	48,120.06	(168.75)	46,188.70
परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी		**57,094.78**		**50,325.45**
प्रदत करों (निवल धन वापसी)		(5,364.62)		12,458.21
परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**51,730.16**		**62,783.66**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पंजीगत चालू कार्य सहित)	(16,384.40)			(6,736.76)
म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल)	(77,181.53)			(5,184.94)
सावधि जमा में निवेश	(38,975.76)			24,976.52
प्राप्त ब्याज	15,268.23			11,440.14
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**(1,17,273.46)**		**24,494.96**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज और अन्य उधार लागत का भुगतान किया गया	(233.71)	(158.49)
पट्टा किराया का प्रमुख घटक	(163.32)	(107.12)
पट्टा किराया का ब्याज घटक	(36.39)	(47.82)
प्रदत लाभांश (कर सहित)	(1603.73)	(7043.02)
अन्तरिम लाभांश (कर सहित)	(4410.25)	(7926.85)
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकद	**(6,447.40)**	**(15,283.30)**
नकद और नकद समकक्षों में निवल (अभिवृद्धि)/ह्रास	**(71,990.70)**	**71,995.32**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष ओपेनिंग	**72,922.75**	**927.43**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष क्लोसिंग	**932.05**	**72,922.75**

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अतंर्गत तैयार किए गए हैं। .

2. नकद एवं नकद समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3. तुलन पत्र तिथि के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में निहित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
बैंकों में शेष राशी		
चालू खाता	932.05	2,057.87
तीन महीने से कम की परिपक्वता का बैंक जमा	-	70,864.73
हस्तगत नकदी	-	0.15
नकद और नकद समकक्ष	**932.05**	**72,922.75**

4. ब्रैकेटों में दिया गया आकंड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सह नोट्स 1 से 54 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 26 जुलाई 2021

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

इक्विटी मे परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (लाख रू में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2019 तक	11,455.20
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (नोट 13 (क) का संदर्भ लें)	-
31 मार्च, 2020 तक	11,455.20
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (नोट 13 (क) का संदर्भ लें)	-
31 मार्च, 2021 तक	11,455.20

ख. अन्य इक्विटी (लाख रु में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2019 तक शेष राशि	928.80	6,064.86	85,381.85	92,375.51
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	16,348.17	16,348.17
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	(1,185.91)	(1,185.91)
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	15,162.26	15,162.26
प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(7043.02)	(7,043.02)
अंतरिम प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(7,926.85)	(7,926.85)
31 मार्च, 2020 तक शेष	**928.80**	**6,064.86**	**85,574.24**	**92,567.90**
1 अप्रैल, 2020 तक	**928.80**	**6,064.86**	**85,574.24**	**92,567.90**
वर्ष (क) हेतु लाभ	-	-	15,347.12	15,347.12
वर्ष (ख) हेत अन्य विस्तृत आय	-	-	355.52	355.52
(क+ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	15,702.64	15,702.64
प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख) का संदर्भ लें)	-	-	(1,603.73)	(1,603.73)
अतरिम प्रदत लाभांश (कर सहित) (संदर्भ नोट 13 (ख))			(4,410.25)	(4,410.25)
31 मार्च, 2021 तक शेष	**928.80**	**6,064.86**	**95,262.90**	**1,02,256.56**

सह नोट्स 1 से 54 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 26 जुलाई 2021

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

नोट 1.1: कंपनी का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था। कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है। कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है। कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है।

नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियाँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां।

(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

बैलेंस शीट में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर पोत के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का साकार या इरादा की उम्मीद है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रोककर रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाय जाने की उम्मीद होती है, या

iv. नकद या नकद समकक्ष जब तक की प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए एक विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देनदारी को वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता:

i. इसका निपटान, सामान्य संचालन चक्र में किए जाने की उम्मीद होती है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रोककर रखा जाता है,

iii. इसका निपटान, प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किए जाने के लिए निर्धारित होता है, या

iv. प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) राशियों को निकटतम मान में बदलना

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं, निकटतम लाख में बदल दिया गया है।

(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को यदि कोई हो तो, लागत, कम संचित मूल्यहांस और हानि में दर्शाया गया है।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष बैलेंस शीट तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है। इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है। इसमें सप्लाई कम इरेक्श्न कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(ii) लागत का मतलब है कि व्यापार मूल्य में छूट के बाद नकद मूल्य के रूप में मानी जाने वाली खरीद मूल्य, छूट और जुडने वाले शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति बनाने के लिए दायित्व, संयंत्र और उपकरण के पार्ट को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लागत।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तब यदि मान्यता मानदंड संतोषजनक हो तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि में खर्च के रूप में पहचान की जाती है।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है।

(v) व्यक्तिगत रूप से 5000/- रुपये या उससे कम की संपत्ति में वृद्धि का उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर वर्ष में 100% पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(VI) मुख्य संपत्ति के साथ खरीदे गए पुर्जों को उस संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक के अनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

II. सेवानिवृत्ति और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है। किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को प्रतिवेदन अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

III. संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

इंड एएएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है। इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से आगे ले जाया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है।

IV. मूल्यहांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य: निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर अनुमानित उपयोगी

जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

परिसंपत्ति की श्रेणी	विवरण	वर्ष
संयंत्र और उपकरण	हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें; कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक और गोफन, उत्तोलक/जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण	**08**
संयंत्र और उपकरण	विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन; वेल्डिंग टॉर्च, गेस टॉर्च, पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण	**05**
फर्नीचर और फिक्सचर	सभी इलेक्ट्रिकल/विद्धुत उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/ मनोरंजन सिस्टम/गीजर/वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट/उपकरण ,कैंटीन गैजेट्स/ यूटिलिटी, संचार उपकरण	**05**

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़ना पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है। यह उस तारीख के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तारीख के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (फ्री होल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है।

vi. आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% माफ कर देने की सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ग) बिक्री के लिए रोककर रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रोककर रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और एक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है। उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए रोककर रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की

देनदारियों को बैलेंस शीट में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है।

घ) उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय) के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है। एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को बैलेंस शीट की तारीख में स्थापित किया जाता है। बैलेंस शीट की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है। वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है। क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता,यदि कोई हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी(भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए,1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

छ) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व खर्च को उस वर्ष में खर्च के रूप में चार्ज किया जाता है जिसमें इसे खर्च किया जाता है।

(ज) वस्तुसूचियाँ

निर्माण अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रगतिशील कार्य के अलावा वस्तुसूचियों का मूल्य, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

i. (क) कच्चा माल, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

   (ख) संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर।

ii. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण: लागत पर।

iii. मार्गस्थ सामान और गैर-स्टॉक वस्तुएँ: लागत पर।

ध्यान दे :

क) लागत में, ऐसी वस्तुओं को उसके स्थान तक लाने में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने वाला खर्च शामिल होता है। लागत में, कर और शुल्क शामिल होते हैं और जहां लागू होने योग्य होता है वहाँ जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट का शुद्ध होता है।

ख) संयंत्र के अंदर स्थित वस्तुओं का मूल्य, क्रियाकलाप के सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए मानक लागत पर निर्धारित किया जाता है और नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाती है।

iv. अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तुओं की पहचान, भौतिक स्त्यापन के समय होती है और जहां ऐसी वस्तुओं के लिए आवश्यक इंतजाम किया जाता है। एक पोत की डिलिवरी की तारीख से 4 वर्ष और उससे अधिक समय से न चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोरों का मूल्य निर्धारण, समीक्षा पर 50% पर किया जाता है। समीक्षा पर 50% ऐसा मूल्य निर्धारण, ऐसी सामग्रियों के संबंध में भी किया जाता है जो किसी विशिष्ट परियोजना के लिए नहीं होती है जो प्राप्त होने की तारीख से 4 वर्ष या उससे अधिक समय से चल नहीं रही हैं।

v. निर्माण अनुबंधों और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगतिशील कार्यों की सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। प्रसंस्करण के लिए ठेकेदारों द्वारा रोककर रखी गई सामग्रियों,यदि कोई हो को प्रगतिशील कार्य का हिस्सा माना जाता है।

vi. रद्दी माल: इनका मूल्य निर्धारण, अनुमानित शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

vii. अंतर-स्थानांतरण वस्तुएँ (लंबित अंतिम स्थानांतरण): लागत पर, स्थानांतरण मूल्य तक सीमित।

झ) राजस्व मान्यता

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं। अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है।

परिचालन से राजस्व प्राप्ति

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

(i) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक संपत्ति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है। इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो -

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का प्रदर्शन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) जिसे ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है तभी इकाई प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को यथोचित रूप से माप सकती है।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचान जाता है यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके। इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है। इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्यूंकि वस्तुओं और/या सेवाओं के आदान-प्रदान में विचार की पात्रता के अंतर्गत प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

(ii) नौसेना स्टोर से वस्तु की प्राप्ति के प्रमाण समय पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर बी एवं डी पुर्जों की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान की जाती है।

(iii) नौकरियों के संशोधन लिए राजस्व मान्यता: नौकरियों के संशोधन मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अनुशंसित है।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीयरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (i) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट होता है, क्यूंकि यह ओवर-टाइम के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। आपूर्ति किए गए ब्रिज का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है। इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का सम्पूर्ण सेट ग्राहक को डिलीवर किया जाता है।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई प्रदर्शन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और उप-मार्ग का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है। हालांकि, अनुबंधों में अन्य प्रदर्शन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (आई) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) वस्तुओं की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन परिसंपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके प्रदर्शन दायित्वों को एक निश्चित समय पर संतुष्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे तब मान्यता दी जाती है। जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने पर आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में अनुबंध प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है।

<u>अनुबंध परिसंपत्ति:</u> जब कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक द्वारा प्रतिफल के भुगतान के संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

<u>अनुबंध दायित्व:</u> जब प्रतिफल भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य आय

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है और इसे रसीद की निश्चितता एवं समय के आधार पर गणना किया जाता है। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो।

(ख) अन्य मदों को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा संबंधी दावे

बीमा संबंधी दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, क्रेडिट की गणना की कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर की जाती है।

(ञ) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:

(i) आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि के समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है। गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है। सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है।

(iii) विनिमय अंतर

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं।

(ट) अनुदान/अनुवृत्ति

i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ

विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है।

ii. राजस्व अनुदान/अनुवृत्तियाँ

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित खर्च के साथ समायोजित किया जाता है। एक विशिष्ट खर्च से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है।

(ठ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों, परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(ड) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है।

(ढ) वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का तथा एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी प्रपत्र की उत्पत्ति होती है।

वित्तीय परिसंपत्ति

वर्गीकरण

कंपनी, वित्तीय लागत को तत्पश्चात परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है।

आरंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गई तो वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति :

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्ति को रोककर रखना होता है और परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति (एफ़वीटीओसीआई)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तिय को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तिय (एफ़वीटीपीएल)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्ति से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीओसीआई ऋण विलेखों का आकलन करती है। इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 35 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

सिर्फ व्यापार प्राप्यों के लिए, इंड एएस 109 वित्तीय लेखपत्रों द्वारा स्वीकृत सरलीकृत दृष्टिकोण को कंपनी लागू करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक मान्यता से प्रत्याक्षित आजीवन हानियों को मान्यता दिये जाने की जरूरत पड़ती है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है। लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है।

वित्तीय परिसंपत्ति की विमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो।

वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियाँ का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं। वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है

उत्तरवर्ती माप

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों की मान्यता को हटा दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारी की विमान्यता

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है। एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्ति या स्वीकार की गई देनदारियाँ भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ण) उचित मूल्य की माप

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय प्रपत्र को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला

लेनदेन:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में।

कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभदायक बाजार सुलभ होना चाहिए।

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है।

सभी परिसम्पत्ति और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

स्तर 1 — एक जैसी परिसंपत्ति या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

स्तर 2 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

स्तर 3 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है।

उन परिसम्पत्ति और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्ति।

(त) पट्टे

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है। पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है। पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-फिक्स्ड़ पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके प्रारंभ तिथि के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधर लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्यक की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है। वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप में प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता

के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है।

अल्पकालिक के पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में खर्च के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है। अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है।

(थ) कर्मचारी लाभ

I. अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिकों वेतनों के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदित अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है।

II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियां जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है। बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

III. रोजगार - पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत- पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएँ जैसे पेंशन योजना।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता है और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तिय का उचित मूल्य होता है। परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य

व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें बैलेंस शीट में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना, एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं। उन्हें बैलेंस शीट में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, योगदान योजनाएँ हैं और बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाले प्रीमियम को वर्ष के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसका प्रशासित सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित की गई दर से कम नहीं भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी होती है। यदि ट्रस्ट ब्याज देयता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी को कमी को पूरा करना होगा। चूंकि, योजना परिभाषित लाभ योजना है, इसलिए कंपनी को वही बीमांकिक रूप से मूल्यांकित किया गया है। मामले में, वर्ष के लिए अतिरिक्त देयता की आवश्यकता है, वही प्रदान किया जाता है।

पेंशन फ़ंड

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित अंशदान अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू अंशदान दर पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।

(द) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है। अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है।

(ध) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है।

i) वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है। इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है।

ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तिय और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त

वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्ति को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है।

(न) प्रति शेयर कमाई

प्रति शेयर बुनियादी कमाई की गणना, इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस मुद्दे; और विपरीत शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) की घटनाओं के कारण समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है।

(य) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास वृहत संविदा है।

ii. तरलीकृत क्षतियों के लिए प्रावधान, कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनुबंधात्मक प्रावधान/समानुपातिक देनदारी आधार के अनुसार अलग से खातों में किया जाता है।

iii. सौपीं गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है। अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान, लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

iv. आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है।

v. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है।

vi. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के खर्च संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज खर्च माना जाता है।

अ. गैर-कर नागरिक मामलों में

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

   i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 25%

   ii. उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता। संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय

विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है।

घ. सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण या इसी तरह के मामालों में उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समक्ष ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं।

नोट 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड-एएस के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कुछ चीजों हेतु अनुमानों और कल्पनाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्राप्त वास्तविक राशियाँ, इन अनुमानों से अलग हो सकती है। लेखांकन अनुमान, समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम, उन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं जब प्रबंधन को उन अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों के होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता चलता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणामों के बारे में पता चलता है/कार्यन्वित किया जाता हैं और महत्वपूर्ण होने पर, वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रभावों का खुलासा किया जाता है।

अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है। पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है। जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है। कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ii. परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है – छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा। छूट दर का निर्धारण, सरकारी बॉन्डों में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है। अंतर्निहित बॉन्डों की परिपक्वता की अवधि के बाद रोजगार लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता से मेल खाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रबंधन कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा।

iv. अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है।

v. दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों पर छूट

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है।

नोट 3 : संपत्ति,संयंत्र और उपकरण

(लाख रू.में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	क	ख	ग	घ= (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज=(ङ+च-घ)	झ=(घ-ज)	
	1 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	1 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	अवधि के लिए चार्ज	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
फ्रीहोल्ड - भूमि	5,125.72	-	-	5,125.72	-	-	-	-	5,125.72	5,125.72
फ्रीहोल्ड - भवन	6,332.81	3,425.20	1.12	9,756.89	693.90	258.48	0.35	952.03	8,804.86	5,638.91
संयंत्र और उपकरण	10,434.28	320.71	104.32	10,650.67	3,551.15	742.21	73.19	4,220.17	6,430.50	6,883.13
विद्धुत स्थापना	706.00	462.88	8.32	1,160.56	235.60	86.94	2.51	320.03	840.53	470.40
डॉक्स और जेटी	5,183.11	641.22	251.62	5,572.71	1,662.42	338.84	82.72	1,918.54	3,654.17	3,520.69
फर्नीचर और फिक्सचर	1,004.82	876.67	7.34	1,874.15	415.69	156.13	4.45	567.37	1,306.78	589.13
कार्यालय उपकरण	408.31	293.09	4.58	696.82	118.23	21.45	2.00	137.68	559.14	290.08
कंप्यूटर	1,964.89	615.79	24.52	2,556.16	1,295.86	356.80	14.46	1,638.20	917.96	669.03
लॉन्च, नौकाओं एवं नाव	117.29	-	-	117.29	7.80	6.16	-	13.96	103.33	109.49
वाहन	36.06	-	-	36.06	15.72	3.97	-	19.69	16.37	20.34
मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि	160.46	3.89	-	164.35	38.58	18.13	-	56.71	107.64	121.88
उप - कुल (1)	**31,473.75**	**6,639.45**	**401.82**	**37,711.38**	**8,034.95**	**1,989.11**	**179.68**	**9,844.38**	**27,867.00**	**23,438.80**
गत वर्ष	**29,194.60**	**2,343.78**	**64.63**	**31,473.75**	**6,093.59**	**1,971.46**	**30.10**	**8,034.95**	**23,438.80**	
जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति										
भवन	4,516.49	-	-	4,516.49	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	3,224.69	-	-	3,224.69	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन	1,291.80	-	-	1,291.80	271.60	54.32	-	325.92	965.88	1,020.20
संयंत्र और उपकरण	3,320.27	-	-	3,320.27	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	861.00	-	-	861.00	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित	2,459.27	-	-	2,459.27	1,130.95	226.18	-	1,357.13	1,102.14	1,328.32
डॉक्स और जेटी	33,894.69	-	-	33,894.69	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	28,240.08	-	-	28,240.08	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ग) द्वारा वित्त पोषित डॉक्स और जेटी	5,654.61	-	-	5,654.61	2,069.41	412.43	-	2,481.84	3,172.77	3,585.20
उप-कुल (क-ख-ग) (2)	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**3,471.96**	**692.93**	**-**	**4,164.89**	**5,240.79**	**5,933.72**
गत वर्ष	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**2,779.02**	**692.94**	**-**	**3,471.96**	**5,933.72**	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टादारी-भूमि	633.21		-	633.21	134.92	134.92	-	269.84	363.37	498.29
पट्टादारी-वाहन	78.74		-	78.74	26.24	26.24	-	52.48	26.26	52.50
उप-कुल (3)	**711.95**	**-**	**-**	**711.95**	**161.16**	**161.16**	**-**	**322.32**	**389.63**	**550.79**
गत वर्ष	**-**	**711.95**	**-**	**711.95**	**-**	**161.16**	**-**	**161.16**	**550.79**	
कुल संपत्ति,संयंत्र और उपकरण (1+2+3)	**41,591.38**	**6,639.45**	**401.82**	**47,829.01**	**11,668.07**	**2,843.20**	**179.68**	**14,331.59**	**33,497.42**	**29,923.31**
गत वर्ष	**38,600.28**	**3,055.73**	**64.63**	**41,591.38**	**8,872.61**	**2,825.56**	**30.10**	**11,668.07**	**29,923.31**	

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में 15.51 लाख रू. (डीम्ड लागत 43.62 लाख रू) मूल्य के परिसंपत्ति का स्क्रैपिंग, 4.13 लाख रू. (डीम्ड लागत 28.81 लाख रू.) मूल्य के रिटायर्ड परिसंपत्ति, अम्फान के कारण 168.89 रु (डीम्ड कॉस्ट 251.62) परिसंपत्ति का नुकसान और सीडीओ में आग लगने से 17.58 रु (डीम्ड कॉस्ट 38.89 रुपये) परिसंपत्ति का नुकसान का समायोजन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें वर्ष के दौरान 16.03 लाख (डीम्ड कॉस्ट 41.02 लाख रुपये) रु मूल्य की रिटायर्ड और बेचे गए परिसंपत्ति भी शामिल है। 2019-20 में परिसंपत्ति और रिटायर्ड परिसंपत्ति की स्क्रैपिंग 16.71 लाख रू (डीम्ड कॉस्ट 22.28 लाख रुपये) और 17.82 लाख रू (डीम्ड कॉस्ट 42.35 लाख रुपये) क्रमशः थी। इसके अलावा इसमें वर्ष के दौरान 4.03 लाख रू (डीम्ड कॉस्ट 13.44 लाख रु.) रिटायर्ड और बेचे गए परिसंपत्ति भी शामिल है।

(ii) 31 मार्च 2021 तक के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित संपत्ति1102.14 लाख रू. (31 मार्च,2020 तक 1328.32 लाख रू.) की संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है जिसका मूल्य 328.05 लाख रू. (31 मार्च, 2020 : 457.08 लाख रू) है।

(iii) 31 मार्च 2021 तक के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक,प्रवृत बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो बुनियादी ढांचे के विकास के आधुनिकीरण के तहत बनाई गई हैं। इन परिसंपत्तियों को भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से 32,325.77 लाख रू.(मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च 2021 तक के अनुसार विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति 801.23 लाख रू. (31 मार्च,2020: 801.23 लाख रू.) की है जो संपत्ति,संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं।

(v) 31 मार्च 2021 तक के अनुसार भवन राशि में 95.96 लाख रू. (मूल लागत) (31 मार्च,2020:95.96 लाख रू.) है जो दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है।

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रू.में)

विवरण	क 1 अप्रैल,2020 तक के अनुसार	ख वृद्धि	ग कटौतियां / समायोजन	घ= (क+ख-ग) 31 मार्च 2021 तक के अनुसार
संयंत्र एवं उपकरण	865.44	14,060.66	-	14,926.10
डॉक्स और जेटी	401.00	-	401.00	-
फर्नीचर,फिक्सचर,कार्यालय उपकरण	1,326.02	-	1,134.78	191.24
कंप्यूटर	24.76	-	24.42	0.34
सिविल निर्माण	2,534.30	-	2,522.26	12.04
कुल चालू पूंजीगत कार्य	**5,151.52**	**14,060.66**	**4,082.46**	**15,129.72**
गत वर्ष	**3,418.60**	**1,816.71**	**83.79**	**5,151.52**

संयंत्र एवं उपकरण में चालू पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से मेन यूनिट के लिए 250 टन के गोलीयथ क्रेन शामिल है।

नोट 5 : अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रू.में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	वृद्धि	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	1 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	अवधि के लिए चार्ज	कटौति/ समायोजन	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	1,489.76	297.58	2.14	1,785.20	1,044.20	220.28	2.14	1,262.34	522.86	445.56
कुल अमूर्त परिसंपत्ति	**1,489.76**	**297.58**	**2.14**	**1,785.20**	**1,044.20**	**220.28**	**2.14**	**1,262.34**	**522.86**	**445.56**
गत वर्ष	**1,358.36**	**131.40**	**-**	**1,489.76**	**860.84**	**183.36**	**-**	**1,044.20**	**445.56**	

नोट 6: वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

नोट 6(क): निवेश-गैर-वर्तमान

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
इक्विटी लेखपत्र		
सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत		
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर (31 मार्च 2019: 6,145) 10 रू.के प्रत्येक इक्विटी शेयर	0.44	0.44
कुल निवेश	**0.44**	**0.44**
कुल गैर-वर्तमान निवेश	0.44	0.44
अनुद्धृत निवेश की कुल रकम	0.44	0.44

निवेश राशि पर विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है,प्रबंधन का मानना है कि प्रतिवेदन तिथि तक के अनुसार उसका लागत भी उसके उचित मूल्य के समान होगा।

नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाल बैंक जमा	61,400.00	13.09
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	6,111.01	6,121.99
बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा	775.58	781.39
नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण	722.78	743.74
ब्याज प्रोद्भूत किंतु जमा हेतु अदेय	446.53	0.21
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)	**69,455.90**	**7,660.42**

नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
अग्रिम आयकर और टीडीएस	5652.25	9,698.15
जोड़ : टीडीएस और टीसीएस प्राप्य	20122.46	20,134.07
	25774.71	29,832.22
अल्प : आयकर का प्रावधान	(14,059.94)	(17,772.20)
कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपति	**11,714.77**	**12,060.02**

नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपति

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
पूंजीगत आग्रिम	251.35	1792.43
पूंजीगत आग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम राशियाँ		
पूर्व प्रदत व्यय	2.95	-
बीजी अग्रिम शुल्क	-	615.63
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**254.30**	**2,408.06**

नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
कच्चे माल	66,645.70	37,606.91
अप्रचलन एवं अचल के लिए प्रावाधान	(1,367.59)	(1,126.88)
	65,278.11	36,480.03
पारगमन में स्टाक	7,068.90	-
चल रहे कार्य	5,826.50	6,846.42
स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ	10.91	59.77
स्क्रैप	603.03	716.00
कुल वस्तुसूचियाँ	**71,718.55**	**44,102.22**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान)

नोट 10(क): वर्तमान निवेश

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
एफ़वीटीपीएल में मापा गया म्यूचुअल फंड में निवेश	82,581.96	5,400.43
कुल वर्तमान निवेश	**82,581.96**	**5,400.43**
अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य	शुन्य	शुन्य
गैर-अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य	82,581.96	5,400.43

नोट 10 (ख): ट्रेड प्राप्य-वर्तमान

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया*	17,813.74	53,528.00
असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया	86.73	444.17
	17,900.47	53,972.17
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान	86.73	444.17
कुल ट्रेड प्राप्य-वर्तमान	**17,813.74**	**53,528.00**

उपरोक्त शामिल डीफरर्ड प्राप्तियां निम्नलिखित हैं:

क. 4526.13 लाख रूपये एलसीयू अनुबंध (यार्ड 2096 और 2098) के अंतिम चरण (चरण XV) के भुगतान के कारण जो 12 महीने की वारंटी अवधि और सभी डी-448 देयताएं और गारंटी मरम्मत पूरी होने के बाद अनुबंधित हैं।

ख. 2712.79 लाख रूपये एफ़पीवी अनुबंध (यार्ड 2113-2115 एवं 2117) के अंतिम चरण (चरण XV) के भुगतान के कारण जो 12 महीने की वारंटी अवधि और सभी डी-448 देयताएं और गारंटी मरम्मत पूरी होने के बाद अनुबंधित हैं।

नोट 10(ग) : नकद और नकद समतुल्य

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशियाँ		
- चालू खातों में	932.05	2,057.87
तीन महीनों के कम अवधि वाले परिपक्वता वाले बैंक जमा	-	70,864.73
हस्तगत नकदी	-	0.15
कुल नकद और नकद समतुल्य	**932.05**	**72,922.75**

नोट 10(घ): अन्य बैंक शेष (लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा	1,96,600.00	1,71,649.87
फ्लेक्सि बैंक जमा	30,583.69	6,558.06
12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा का वर्तमान हिस्सा	-	10,000.00
अवैतनिक लाभांश खाता	1.45	1.45
कुल अन्य बैंक शेष	**2,27,185.14**	**1,88,209.38**

नोट 10(ङ): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति- वर्तमान (लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	3.69	3.69
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	679.11	239.11
ब्याज प्रोद्भूत किंतू जमा हेतु अदेय	5,596.90	7,965.49
अनुबंध परिसंपत्ति	7,994.41	12,418.54
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग	105.92	105.92
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान	**14,380.03**	**20,732.75**

नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ		
- कर्मचारी	118.13	135.30
- उत्पाद शुल्क	132.74	132.74
- बिक्री कर/वैट	67.08	303.49
- वस्तु एवं सेवा कर	12,459.49	4,093.33
- पूर्व प्रदत व्यय	1,800.85	2,030.79
- बीजी अग्रिम शुल्क	-	115.23
- आपूर्तिकर्ता	1,10,262.73	78,902.29
अन्य प्राप्य	1,180.90	10,105.27
कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	**1,26,021.92**	**95,818.44**

नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
संयंत्र और उपकरण	12.72	21.90
डॉक एवं जेटी	-	0.04
फर्नीचर और फिक्सचर	28.23	28.45
मोटर कार	1.59	1.60
कार्यालय उपकरण	0.85	0.83
बिक्री के लिय रखी गई परसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्ति	**43.39**	**52.82**

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी वहनकारी राशि से कम और उचित मूल्य घटाव बेचने की लागत पर मापा गया था।कंपनी ने उचित मूल्य को वसूली के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार		31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 10 रुपए)	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
जारी,सब्सक्राइब्ड और पेड अप				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 10 रुपए)	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
		11,455.20		**11,455.20**

बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार		31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
जोड़: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना*	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**11,45,52,000**	**11,455.20**	**11,45,52,000**	**11,455.20**

*कंपनी ने 30 जून, 2017 को हुई अपनी बोर्ड बैठक और 25 अगस्त, 2017 को हुई वार्षिक आम बैठक में कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी को उप-विभाजित किया। जिसमें 100/- रू प्रत्येक के 1,25,00,000 शेयरों में 10/- रू प्रत्येक के 12,50,00,000 शेयर शामिल हैं।

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10/- रु.(31 मार्च,2020: 10/-रुपये) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक	31 मार्च 2021 तक के अनुसार		31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%
एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	97,27,951	8.49%	88,76,200	7.75%
निपोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड	58,62,524	5.12%	-	-

नोट 13(ख) : अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व	928.80	928.80
सामान्य आरक्षित	6,064.86	6,064.86
प्रतिधारित कमाई	95,262.90	85,574.24
कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	**1,02,256.56**	**92,567.90**

(i) प्रतिधारित कमाई

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	85,574.24	85,381.85
अवधि हेतु शुद्ध लाभ	15,347.12	16,348.17
मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ		
-परिभाषित लाभ योजना का पुन: माप (शुद्ध कर)	355.52	(1,185.91)
प्रदत्त लाभांश	(1,603.73)	(7,043.02)
अंतरिम प्रदत्त लाभांश	(4,410.25)	(7,926.85)
समापन शेष	**95,262.90**	**85,574.24**

अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य:

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 213 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है। पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है।

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान)

ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
सूक्ष्म और लघु उद्यम	-	-
रूसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता	722.78	743.74
पट्टा दायित्व	200.89	331.31
कुल ट्रेड देय (गैर वर्तमान)	**923.67**	**1,075.05**

नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
उपार्जित अवकाश देनदारी	6,825.42	6,121.99
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,461.24	1,540.47
कुल प्रावधान (गैर वर्तमान)	**8,286.66**	**7,662.46**

नोट 16: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से सबंन्धित है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
आस्थगित कर देनदारियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	3,152.04	2,888.51
वित्तीय देनदारी	271.30	266.03
कुल आस्थगित कर देनदारियां	**3,423.34**	**3,154.54**
आस्थगित कर परिसपंत्ति		
परिभाषित लाभ दायित्व	2,283.09	1,713.26
संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए भत्ता	21.83	111.80
वित्तीय परिसंपत्ति	271.30	266.03
दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान	296.25	-
अन्य (कर दर में कमी के कारण आरंभिक आस्थगित कर दायित्वों का समायोजन)	-	109.67
कुल आस्थगित कर परिसपंत्ति	**2,872.47**	**2,200.76**
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	**550.87**	**953.78**

नोट 16(क): आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसपंत्ति) में मूवमेंट

(लाख रू. में)

विवरण	सपंत्ति, सयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसपंत्ति	परिभाषित लाभ दायित्व	अन्य मद	कुल
01 अप्रैल 2019 को	**4,481.99**	**(2,842.87)**	**(516.59)**	**1,122.53**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेतु	(1,593.48)	1,528.51	295.12	**230.15**
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	(398.90)	-	**(398.90)**
31 मार्च, 2020 को	**2,888.51**	**(1,713.26)**	**(221.47)**	**953.78**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेत	263.53	(689.41)	(96.61)	**(522.49)**
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	119.58	-	**119.58**
31 मार्च, 2021 को	**3,152.04**	**(2,283.09)**	**(318.08)**	**550.87**

नोट 17: वित्तीय देनदारियां (वर्तमान)

(लाख रू. में)

नोट 17(क): ट्रेड देय (वर्तमान)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- सुक्ष्म और लुघ उद्योग	95.36	293.43
- रूसी आस्थगित ऋण	105.92	105.92
-अन्य	78,070.22	54,278.45
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**78,271.50**	**54,677.80**

नोट 17(ख): अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
सुरक्षा जमा	397.90	452.56
उपार्जित व्यय		
उपार्जित वेतन और लाभ	562.95	627.17
किराया	211.06	173.83
पट्टा देनदारी	168.43	160.84
अन्य देय राशियाँ	1,060.88	1,012.01
कुल अन्य वित्तीय देनदारियां	**2,401.22**	**2,426.41**

नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियां

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
अनुबंध देनदारियां	456,505.01	3,52,075.96
सांविधिक देनदारियां	165.70	261.21
अन्य देनदारियां	1,311.36	-
अवैतनिक लाभांश	1.45	1.45
कुल अन्य वर्तमान देनदारियां	**457,983.52**	**3,52,338.62**

नोट 19: प्रावधान (वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार
गारंटी मरम्मत	2,712.79	3,508.21
परिसमापन हर्जाने के लिए प्रावधान	120.81	1,891.77
उपार्जित अवकाश दायित्व	679.11	684.79
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	104.91	128.77
दुर्भर अनुबंध	1,177.00	-
अन्य प्रावधान	11,397.27	9,045.36
कुल प्रावधान (वर्तमान)	**16,191.89**	**15,258.90**

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

डिलीवर किए गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर डिलीवर किए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान लगाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ-साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गणुवत्ता पहलों की सफलता शामिल है।

अन्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान के लिए ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के आधार पर प्रावधान का अनुमान है और किसी भी हाल के रुझान है कि भविष्य के दावों का सुझाव दे सकते है ऐतिहासिक मात्र से अलग हो सकता है।

परिसमापन हर्जाना

कंपनी के नियंत्र ण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनबुंधात्मक प्रावधानों/समानुपातिक देनदारी के अनुसार खाता बही में अलग से परिसमापन हर्जाने का प्रावधान किया गया है।

दुर्भर अनुबंध का प्रावधान

कंपनी को भारतीय तटरक्षक के साथ किए गए एफपीवी अनुबंध के एक पोत को डायवर्ट करके सेशेल्स सरकार को चालू वित्त वर्ष में 03 फरवरी 2021 को जीओएस के साथ अनुबंध के अनुसार दिए गए एक पोत के बदले में भारतीय तटरक्षक के साथ संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए एक एफपीवी पोत का निर्माण करना है।

प्रतिस्थापन पोत की कीमत तटरक्षक के साथ मूल अनुबंध की लागत के समान है। जीओएस को पोत की आपूर्ति के लिए नए पोत के निर्माण के लिए आवश्यक वृद्धि को पूरा किया गया है। इसे देखते हुए यह पता चलता है कि वृद्धि के कारण नए पोत के लिए अनुमानित नुकसान 1177 लाख रु. है। यह अनुमानित नुकसान चालू वित्त वर्ष में नोट 27 के तहत दर्ज किया गया है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी में मूवमेंट के बारे में नीचे दिया गया है: (लाख रू. में)

विवरण	परिसमापन हर्जाना	गारंटी मरम्मत	भारी अनुबंध का प्रावधान	अन्य प्रावधान
1 अप्रैल 2019 तक के अनुसार	**3,719.51**	**2,239.81**	**-**	**7,127.69**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)				
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	2,446.46	2325.52	-	2,465.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(4274.20)	(1,057.12)	-	(547.88)
31 मार्च 2020 तक के अनुसार	**1,891.77**	**3508.21**	**-**	**9045.36**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)				
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	196.31	627.96	1,177.00	2415.74
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(1,967.27)	(1423.38)	-	(63.83)
31 मार्च 2021 तक के अनुसार	**120.81**	**2,712.79**	**1,177.00**	**11,397.27**

नोट 20: प्रचालन से राजस्व

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क) अनुबंध राजस्व		
- पोत निर्माण	1,01,032.81	1,27,522.88
- सामान्य इंजीनियरिंग	393.03	24.47
- डीजल इंजन	1,775.94	1,954.32
ख) उत्पादों की बिक्र		
- बी एवं डी स्पेयर्स	2,571.70	5,813.10
- बेली ब्रिज	4,804.79	2,412.99
- सामान्य इंजीनियरिंग	1,257.35	910.86
- डीजल इंजन	4.89	1,718.68

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(ग) सेवाओं की बिक्री		
- पोत मरम्मत	1,198.15	1,195.59
- बेली ब्रिज	212.20	179.03
- सामान्य इंजीनियरिंग	1.60	0.67
- डीजल इंजन	23.94	737.73
(घ) अन्य संचालनीय राजस्व		
- स्क्रैप की बिक्री	807.13	832.39
- प्रशिक्षण शुल्क	-	26.82
संचालन से कुल राजस्व	**1,14,083.53**	**1,43,329.53**

नोट :

कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसचूना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जन, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसचूना एस.ओ. 802 (ई) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट 21: अन्य आय

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	15,268.23	19,891.58
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	716.44	505.26
उचित मूल्यांकन पर लाभ	545.02	221.84
किराया आय	6.28	10.64
शद्ध विदेशी विनिमय लाभ	86.47	24.59
बीमा दावे	9.31	53.06
देनदारियाँ/प्रावधान रिटेन बैंक	894.93	639.03
रिटायर्ड परिसंपत्ति (शद्ध) पर लाभ/(हानि)	169.35	121.69
अन्य आय	1,063.53	1,082.25
कुल अन्य आय	**18,759.56**	**22,549.94**

नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	15,431.48	7,378.84
अवयव	29,293.41	61,790.87
खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत	**44,724.89**	**69,169.71**

नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	5,593.16	3,831.25
- इंजन यूनिट	578.03	306.49
- अन्य	675.23	473.50
कुल आरंभिक शेष	**6,846.42**	**4,611.24**
समापन शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	5,057.88	5,593.16
- इंजन यूनिट	309.05	578.03
- अन्य	459.56	675.23
कुल समापन शेष	**5,826.49**	**6,846.42**
चल रहे कार्य की वस्तुस्तुची में कुल परिवर्तन	1019.93	(2,235.18)
स्क्रैप की वस्तुस्तुची में परिवर्तन	112.97	(184.77)
चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में कुल परिवर्तन	**1132.90**	**(2,419.95)**

नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन और पारिश्रमिक	22,193.45	23,034.52
अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण	(1,920.22)	-
	20,273.23	23,034.52
भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान	3,313.61	3,209.26
कर्मचारी कल्याण व्यय	3,351.20	3,450.37
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**26,938.04**	**29,694.15**

नोट 24: वित्त लागत

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय		
- बैंक	-	33.15
- उचित मूल्यांकन	227.06	-
- अन्य	28.34	94.99
अन्य उधार लागत		
-बैंक शुल्क और कमिशन	14.70	5.42
कुल वित्त लागत	**270.10**	**133.56**

नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मलूयह्रास	2,843.20	2,825.56
अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण	(154.72)	-
	2,688.48	2,825.56
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	220.28	183.36
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**2,908.76**	**3,008.92**

नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना सबंन्धित

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
सुविधा किराया	336.11	202.25
बीमा	207.18	105.13
यात्रा व्यय	138.53	156.05
तकनीशियनों की फीस	5,120.92	6,019.46
जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधित व्यय	64.88	148.86
बैंक प्रभार	926.63	154.10
विविध व्यय	736.86	526.05
कुल अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	**7,531.11**	**7,311.90**

नोट 27: अन्य व्यय

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत	61.51	90.63
बिजली और ईंधन	630.15	845.49
किराया	64.30	84.84
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	640.88	419.37
- संयंत्र एवं उपकरण	329.32	292.63
- अन्य	1,166.00	996.65
बीमा	781.01	1,061.27
दरें और कर	257.75	132.15
मार्केटिंग व्यय	110.74	102.78
स्टोर खाली करने और भेजने का खर्च	35.77	46.19
परिसमापन हर्जाना	191.40	2,494.97
अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुस्तुची हेतुप्रावधान	240.78	427.02
परिवहन किराया शुल्क	398.55	436.36
यात्रा व्यय	79.39	319.92

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
विज्ञापन और प्रचार	240.52	770.18
मुद्रण और लेखन सामग्री	9.43	7.57
डाक एवं कूरियर	5.31	8.30
टेलीफोन और फैक्स	64.45	58.65
कानूनी खर्च	18.88	40.17
निगमित सामाजिक दायित्व	370.00	221.00
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:		
(क) लेखा परीक्षण शुल्क	7.83	7.32
(ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25
(ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क	4.60	5.83
सीआईएसएफ़ व्यय	3,501.15	3,434.03
रिटेन ऑफ की गई परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	15.38	11.16
अनुसंधान और विकास	503.41	585.93
भारी अनुबंध पर नुकसान	1,177.00	-
अन्य विविध व्यय	258.98	198.25
कुल अन्य व्यय	**11,165.74**	**13,099.91**

नोट 28: असाधारण वस्तुएँ

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
बीमा दावा पर हानि	-	1060.70
लॉकडाउन के दौरान पी एवं एम का वेतन और मजदूरी/मूल्यह्रास	2,074.94	-
कुल असाधारण वस्तुएँ	**2,074.94**	**1,060.70**

नोट 29: आयकर व्यय

(लाख रू में)

(क) आयकर व्यय

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	5,887.11	5,808.78
कुल वर्तमान कर व्यय	**5,887.11**	**5,808.78**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर (लाभ) /व्यय	(522.49)	230.15
कुल आस्थगित कर व्यय	(522.49)	230.15
कुल कर व्यय	**5,364.62**	**6,038.93**

(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
भारत में कंपनी पर लागू होने योग्य लागू आयकर दर	25.17%	25.17%
कर पूर्व लाभ	20,711.74	22,387.08
भारत में लागू आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर	**5,212.73**	**5,634.39**
व्ययों का असर जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	1877.78	1777.01
व्ययों का असर जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य हैं	(1,353.08)	(1,658.24)
निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं	93.12	55.62
पिछले वर्ष के अत्यधिक प्रवधान हेतु समायोजन	(522.49)	230.15
अंदर सेक्सन 234बी एवं सी पर व्याज का प्रभाव	56.56	0
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**5,364.62**	**6,038.93**

नोट 30: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

इंड एएस 37 "प्रावधान, के अनुसार आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति " का प्रकटीकरण यहाँ नीचे दिया गया है: (लाख रू में)

		31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार
(अ)	**आकस्मिक देनदारियाँ**		
(i)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	7,298.62	5,950.60
(ii)	गारंटियाँ		
	क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटियाँ	2,41,508.91	2,15,352.44
	ख) प्रदर्शन और वारंटियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड	1,66,593.60	1,83,667.31
	ग) असमाप्त साख पत्र	25,985.73	123.44
(iii)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
	क) बिक्री कर	506.83	2,476.77
	ख) उत्पाद शुल्क	106.54	106.54
	ग) आय कर	363.38	596.54

(क) वर्ष 2007-08 के लिए आकलन बकाया और मांग की दिशा में, बिक्री कर के खाते में आकस्मिक देनदारी का परिमाण रू 506.83.लाख रू (31 मार्च 2020: 2476.77 लाख रू) है। इन सभी राशियों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार इन्हें खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्यूंकी सारी मांगें, अपील के अलग-अलग चरणों में है।

(ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों ने,सीआईडबल्यूटीसी की कुछ विशेष परिसंपत्तियों की खरीद के समझौते के अनुसार प्राप्त बिक्री विचार में शामिल सीआईडबल्यूटीसी की उत्पाद शुल्क देनदारी पर दावा किए गए 106.54 लाख रूपए (31 मार्च 2020-106.54 लाख रूपए) की कथित बकाया ब्याज के लिए की मांग की है। चूंकि कंपनी ने विवादित मांगों के खिलाफ संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है, इसलिए उन मांगों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) आयकर के कारण आकस्मिक देयता 363.38 लाख रूपये (31 मार्च 2020 : 596.54 लाख रूपये) के लिए फॉर्म 26क्यू के आधार पर आकलन वर्ष 2009-10 हेतु कर योग्य आय में आयकर प्राधिकरण द्वारा मनमाना वृद्धि के लिए 352.85 लाख रूपए ,आकलन वर्ष 2014-15 के लिए परिसमापन हर्जाने के प्रावधान की अस्वीकृत -1.92 रू॰ लाख और आकलन वर्ष 2017-18 हेतु अस्वीकृत 80जी छूट 8.61 लाख रूपये है। उपरोक्त विवादों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में उपलब्ध नहीं कराया गया है क्यूंकी सभी मुद्दे, अपील के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं।

(घ) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दिखाई गई राशि उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राप्त सर्वोत्तम संभव अनुमानों को दर्शाती है। नकदी प्रवाह की अनिश्चितता और समय विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर करता है जो कंपनी या दावेदारों द्वारा लागू किया गया है और इसलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

प्रबंधन की राय में, ऊपर उल्लिखित विवादों के लिए किसी प्रावधान को इस आधार पर आवश्यक नहीं माना जाता है कि कंपनी द्वारा की गई अपीलों के सफल परिणाम की उचित संभावना है।

(आ)आकस्मिक परिसंपत्ति

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडबल्यूटीसी) के तत्कालीन राजा बागान डॉकयार्ड की भूमि और विभिन्न अन्य परिसम्पत्ति को वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा खरीदा गया। जलयानों, क्रेन आदि जैसी परिसम्पत्ति कंपनी द्वारा नहीं ली गई और उन्हें सीआईडबल्यूटीसी द्वारा हटाया जाना था जिसे उन्होंने नहीं हटाया। सीआईडबल्यूटीसी वर्तमान में लिक्विडेशन के अंतर्गत है। कंपनी ने लिक्विडेटर पर ग्राउंड रेंट और कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क पर ब्याज के भुगतान की प्रतिपूर्ति का 2,429.74 लाख रू. का दावा किया है। मामला लिक्विडेटर के साथ लंबित है। इसलिए, इसे एक आकस्मिक परिसम्पत्ति के रूप में माना गया है।

नोट 31: प्रतिबद्धताएँ

(लाख रू. में))

विवरण	31 मार्च,2021 तक के अनुसार	31 मार्च,2020 तक के अनुसार
अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	4,945.58	15,323.39
उपरोक्त अग्रिम के विरुद्ध भुगतान किया गया	251.35	1792.43

नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) अवकाश दायित्व

अवकाश दायित्व, बीमारी और अर्जित अवकाश हेतु कंपनी की देनदारी को कवर करते हैं।

पूर्व अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों से उपार्जित अवकाश की सम्पूर्ण राशि ग्रहण करने की आशा नहीं करती है या अगले 12 महीने के भीतर भुगतान आवश्यक नहीं बनाती है। तदनुसार 679.11 लाख रूपये (31 मार्च 2020: 684.79 लाख रू.) को वर्तमान के रूप में और शेष राशि को गैर वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवकाश दायित्व एक अवित्तपोषित योजना है, कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनाई रखी जाने वाली योजना में योगदान करती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व में सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है।

(लाख रू. में))

विवरण	अवकाश दायित्व
31 मार्च 2020 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	684.79
गैर-वर्तमान अंश	6,121.99
कुल	**6,806.78**
31 मार्च 2021 तक	
वर्तमान अंश	679.11
गैर-वर्तमान अंश	6,825.42
कुल	**7,504.53**

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्रदान करती है। लगातार 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी, ग्रेच्युटी के योग्य होते हैं। सेवानिवृत्ति/कार्य समापन पर देय ग्रेच्युटी की राशि, सेवा के वर्षों की संख्या के साथ 15 दिनों (एक महीने में 26 दिन मानते हुए) के वेतन के लिए समानुपातिक रूप से हिसाब करके प्राप्त कर्मचारियों का आखिरी बार उठाया गया मूल (महंगाई भत्ता सहित) वेतन प्रति माह में गुना करके मिलने वाली राशि है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त कोष में योगदान करती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए, धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

कंपनी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का संचालन करती है। यह योजना एक अवित्तपोषित योजना है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त के अलावा, अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को दिया गया 860.52 लाख रूपये (31 मार्च 2020: 802.74 लाख रू.) रूपये का प्रीमियम, वर्ष के लाभ और हानि में शामिल किया गया है। बीमा कंपनी को देय योगदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है।

(ग) भविष्य निधि

कंपनी द्वारा स्थापित छूट भविष्य निधि इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ के तहत एक परिभाषित लाभ योजना है।

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक क़ानून के अनुसार देय होता है।

भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2020-21 के लिए लाख (वर्ष 2019-20 के लिए 1539.37 लाख रुपये) 1661.64 रुपये है।

प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) और अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए जीआरएसई के छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के इंड एएस 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्ति और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

(लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रेल,2020	34,535.82	(34,547.15)	(11.33)
वर्तमान सेवा लागत	3218.35		3,218.35
ब्याज व्यय/(आय)	2918.67	(2,936.51)	(17.84)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**6,137.02**	**(2,936.51)**	**3,200.51**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर		(66.78)	66.78

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि			
त्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि			-
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	256.22		256.22
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**256.22**	**(66.78)**	**323.00**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम		(1,355.21)	(1,355.21)
लाभ भुगतान	(3,615.42)	3,615.42	-
प्रतिभागियों का योगदान		(1,987.40)	(1,987.40)
में स्थानांतरण		(174.51)	(174.51)
31 मार्च,2021	**37,313.64**	**(37,318.58)**	**(4.94)**

वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में वर्गीकृत करने के संबंध में अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। लेखांकन नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया था और देखा गया था कि लाभ के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक है। इसलिए, वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी के खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) परिभाषित योगदान योजना:

सेवानिवृत्ति पेंशन निधि:

पेंशन योजना एक ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 (वर्ष 2019-20 के लिए 397.85 लाख रुपये) के लिए नियोक्ता के योगदान के दिशा में एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों हेतु 432.40 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है।

असंगठित कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत 01 जनवरी 2012 से की गई है। प्रचालकों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के योगदान की दिशा में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 353.19 (वर्ष 2019-20 के लिए 353.98 लाख रूपये) लाख रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

(iv) तुलन पत्र मान्यता

(क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में))

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रेल,2019	1283.57
वर्तमान सेवा लागत	55.91
ब्याज व्यय/(आय)	82.41
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**138.32**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	355.86
अनुभव (लाभ)/हानि	(108.51)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**247.35**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	**-**
लाभ भुगतान	-
31 मार्च,2020	**1,669.24**

(लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
विवरण	**दायित्व का वर्तमान मूल्य**
1 अप्रेल,2020	1,669.24
वर्तमान सेवा लागत	52.48
ब्याज व्यय/(आय)	115.18
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**167.66**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	(112.19)
अनुभव (लाभ)/हानि	(158.55)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(270.74)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	
लाभ भुगतान	
31 मार्च,2021	**1,566.16**

(ख) ग्रेच्युटी

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में))

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रेल, 2019	10,694.55	(10,694.55)	-
वर्तमान सेवा लागत	682.11	-	682.11
ब्याज व्यय/(आय)	642.19	(685.52)	(43.33)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,324.30**	**(685.52)**	**638.78**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-	64.51	64.51
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	934.18	-	934.18
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	338.77	-	338.77
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,272.95**	**64.51**	**1,337.46**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(1,976.24)	(1,976.24)
लाभ भुगतान	(1,351.95)	1,351.95	-
31 मार्च, 2020	**11,939.85**	**(11,939.85)**	**-**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रेल, 2020	11,939.85	(11,939.85)	-
वर्तमान सेवा लागत	686.72		686.72
ब्याज व्यय/(आय)	776.27	(823.85)	(47.58)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुल राशि	**1,462.99**	**(823.85)**	**639.14**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर		(60.07)	(60.07)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि			
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(459.61)		(459.61)
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	315.32		315.32
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(144.29)**	**(60.07)**	**(204.36)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम		(434.78)	(434.78)
लाभ भुगतान	(1,379.22)	1,379.22	-
31 मार्च, 2021	**11,879.33**	**(11,879.33)**	**-**

(v) महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक कल्पनाएं

महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाएं निम्नलिखत है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	6.90%	6.41%
योजन परिसंपत्ति पर प्रत्याशित रिटर्न	6.90%	6.41%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%
संघर्षण दर	1.00%	1.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-2014) अंतिम	आईएएलएम (2006-2008) अंतिम

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भावी मृत्यु दर से संबंधित कल्पनाएं, प्रकाशित आंकड़ों और अनुभव के अनुसार बीमांकिक सलाह पर आधारित हैं। ये कल्पनाएं, 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में औसत जीवन प्रत्याशा में बदल जाती है।

(vi) संवेदनशीलता संबंधी विश्लेषण

भारित प्रधान कल्पनाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के संवेदशीलता निम्नलिखित है : (लाख रू. में))

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर (-/+ **0.5%**)	11,440.68	12,348.65	11,494.35	12,417.03
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.69%	3.95%	-3.730%	4.000%
वेतन वृद्धि दर (-/+ **0.5%**)	12,238.55	11,510.71	12,346.33	11,533.74
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	3.02%	-3.10%	3.400%	-3.400%
संघर्षण दर (-/+ **0.5%**)	11,879.36	11,879.32	11,939.40	11,940.31
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.00%	0.00%	0.000%	0.000%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर (-/+ **10%**)	11,879.66	11,879.02	11,938.98	11,940.74
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.00%	0.00%	-0.010%	0.010%

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव'			
	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर **(-/+ 0.5%)**	1,522.93	1,608.60	1,585.54	1,991.12
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	-2.76%	2.71%	-6.25%	17.73%
आर्कषक मुल्य **(-/+ 0.5%)**	1,603.27	1,528.25	1,690.18	1,692.38
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	2.37%	-2.42%	-0.070%	0.070%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर **(-/+ 10%)**	1,563.81	1,568.50	1,679.44	1,703.97
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	-0.15%	0.15%	-0.70%	0.75%

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, एक कल्पना में एक परिवर्तन पर आधारित है जबकि अन्य सभी कल्पनाओं को स्थिर रखा गया है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ कल्पनाओं में परिवर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाओं में परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण विधि की मदद से गणित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) का इस्तेमाल किया गया है जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देनदारी की गणना करते समय इस्तेमाल किया गया है।

संवेदनशील विश्लेषण की तैयारी में इस्तेमाल की गई कल्पनाओं की विधियों और प्रकारों में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vii) योजना परिसंपत्ति की प्रमुख श्रेणियाँ

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है। इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की रचना का खुलासा नहीं किया गया है।

(viii) जोखिम संकट

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी पर अनगिनत जोखिमों का संकट है जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोखिम संकटों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी को बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है।

परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भारत सरकार के बांडों के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसमपत्ति पर ब्याज दर में कमी आने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा:

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

(ix) परिभाषित लाभ देनदारी और नियोक्ता का योगदान

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में प्रत्याशित योगदान, 700 लाख रूपये है।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि, 12 वर्ष (31, मार्च 2020 - 12 वर्ष) है और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की भारित औसत अवधि 37 वर्ष (31, मार्च 2020 – 37 वर्ष) है। छूट रहित ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है :

(लाख रू. में)

विवरण	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2021 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,402.99	21,527.14
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	108.47	5,512.25
कुल	**1,511.46**	**27,039.39**
31 मार्च, 2020 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,530.37	20,447.57
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	137.02	8,910.55
कुल	**1,667.39**	**29,358.12**

नोट 33: संबंधित पक्ष से लेनदेन

कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, जिन्हें 74.50% स्वामित्व प्राप्त है।

(क) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2021	31 मार्च,2020
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	194.41	190.47
रोजगार पश्चात लाभ	8.57	8.00
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
कुल मुआवजा	**202.98**	**198.47**

संबंधित पक्षों को देय राशि के संबंध में वर्ष के दौरान कोई राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

(ख) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

चूंकि जीआरएसई रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इंड एएस 24 के तहत आवश्यकतानुसार, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित हैं: -

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2021	31 मार्च,2020
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री		
वस्तुओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	46,624.81	2,13,439.57
सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	68.71	833.86
अन्य लेनदेन		
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	1,194.78	4,352.40
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	3,285.64	4,898.58

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ख़रीदारी से उत्पन्न होने वाले बकाया शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2021	31 मार्च,2020
व्यापार प्राप्य (वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री)		
संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	5,104.04	48,139.07

नोट 34: उचित मूल्य मापन

श्रेणी के आधार पर वित्तीय साधन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
इक्विटी साधन	0.44	-	-	0.44	-	-
म्यूचुअल फंड	82,581.96			5,400.43		
ट्रेड प्राप्य	-	-	17,813.74	-	-	53,528.00
सुरक्षा जमा	-	-	779.27	-	-	785.08
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	828.70	-	-	849.66
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-	7,994.41	-	-	12,418.54
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	932.05	-	-	72,922.75
अन्य बैंक बैलेंस			2,27,185.14			1,88,209.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	66,996.90	-	-	17,978.79
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**82,582.40**	**-**	**3,22,530.21**	**5,400.87**	**-**	**3,46,692.20**
वित्तीय देनदारियां						
ट्रेड देय	-	-	72,126.27	-	-	55,752.84
सुरक्षा जमा	-	-	397.90	-	-	452.56
अन्य देय	-	-	2,003.32	-	-	1,973.85
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**74,527.50**	**-**	**-**	**58,179.25**

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मलूय पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है। उचित मूल्यों का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपटु की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अतंर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2021 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसपंत्तिया				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश		82,581.96		82,581.96
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**82,581.96**	**0.44**	**82,582.40**
31 मार्च, 2021 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसपंत्तिया				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	-	-	828.70	828.70
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	17,900.47	17,900.47
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**-**	**18,729.17**	**18,729.17**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	1,126.84	1,126.84
रूसी आस्थगित ऋण	-	-	828.70	828.70
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**1,955.54**	**1,955.54**
31 मार्च, 2020 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसपंत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश		5,400.43		5,400.43
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**5,400.43**	**0.44**	**5,400.87**
31 मार्च, 2020 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसपंत्तिया				
नौसेना से वसुली योग्य आस्थगित ऋण	-	-	849.66	849.66
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	53,972.17	53,972.17
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**-**	**54,821.83**	**54,821.83**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	537.50	537.50
रूसी आस्थगित ऋण	-	-	849.66	849.66
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**1,387.16**	**1,387.16**

(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों मेंशीर्ष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार		31 मार्च 2020 तक के अनुसार	
	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसपंत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	828.70	828.70	849.66	849.66
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**828.70**	**828.70**	**849.66**	**849.66**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	1,126.84	1,135.84	537.50	490.47
रूसी आस्थगित ऋण	828.70	828.70	849.66	849.66
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,955.54**	**1,964.54**	**1,387.16**	**1,340.13**

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतलुय की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया। उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपटु के समावेश के कारण उचित मलूय पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है।

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से जुड़ी हैं: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

इस नोट में जोखिम के उन स्रोतों का वर्णन किया गया है जो संस्था से जुड़ा रहता है और संस्था इस जोखिम को कैसे प्रबंधित करती है उसका भी वर्णन किया गया है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला अनावृत्ति	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।	बैंक जमा और ऋण सीमा का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	वित्तीय देनदारियां जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं।	नकद प्रवाह का अनुमान लगाना और देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्ति के स्तर पर विचार करना।
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियां जिन्हें भारतीय रुपये (आईएनआर) में मूल्यवर्गित नहीं किया जाता हैं।	मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए खरीदारों से प्रतिपूर्ति।

(क) ऋण जोखिम

ऋण जखिम वह जोखिम है जिसे प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी पर अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) से ऋण जोखिम का उजागर किया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूदा जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध संपत्ति

ग्राहक ऋण जोखिम को कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। व्यापार प्राप्य, ब्याज रहित होते हैं और आम तौर पर इन पर कोई ऋण शर्त नहीं होती है। नियमित रूप से बकाया ग्राहक प्राप्यों की निगरानी की जाती है। ट्रैड प्राप्यों को मुख्य रूप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऋण जोखिम को कम माना जाता है। इसके अलावा, कंपनी उन ऑर्डरों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करता है जो ऋण जोखिम को भी कम करता है। बैलेंस शीट की तारीख तक के अनुसार व्यापार प्राप्यों का समय विवरण नीचे दिया गया है। नियत तिथि से समयावधि विश्लेषण पर तय किया गया है:

(लाख रू. में)

विवरण	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2021 को प्राप्य व्यापार	6,413.15	11,400.59	17,813.74
31 मार्च, 2021 को संविदा परिसंपत्ति	4,102.78	3,891.62	7,994.40
31 मार्च, 2020 तक प्राप्य व्यापार	49,290.93	4,237.07	53,528.00
31 मार्च, 2020 तक संविदा परिसंपत्ति	6,903.90	5,514.64	12,418.54

(ii) वित्तीय साधन और जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद शेष राशियों से ऋण जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है। अधिशेष धनराशियों का निवेश, कंपनी की अधिशेष धनराशियों के निवेश पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। जोखिमों की सघनता को कम करने के लिए और इसलिए प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान करने की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय हानि को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

31, मार्च 2021 और 31, मार्च 2020 के तुलन पत्र के घटकों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम अनावरण, वहनकारी राशियाँ हैं जिन्हें नोट 6 (ख), नोट 10 (ग) और नोट 10 (घ) में दिखाया गया है।

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो एक एंटीटी को, नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके निपटान की जाने वाली वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है। अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त नकदी और तरल निवेशों का रखरखाव करती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना और आंतरिक एवं बाहरी नियामक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपातों की निगरानी करना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रदर्शित राशियाँ, अनुबंधात्मक छूट-रहित नकदी प्रवाह और उनके वहनकारी शेष के बराबर 12 महीनों के भीतर बकाया शेष राशियाँ हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है।

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2021	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	78,271.50	1,588.83	79,860.33
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,401.22	-	2,401.22
कुल वित्तीय देनदारियां	**80,672.72**	**1,588.83**	**82,261.55**

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2020	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	54,677.80	1,694.75	56,372.55
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,426.41	-	2,426.41
कुल वित्तीय देनदारियां	**57,104.21**	**1,694.75**	**58,798.96**

(ग) बाजार ज़ोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

एक वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से संबंधित जोखिम में, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी पर विदेशी मुद्रा जोखिम का संकट मंडराता रहता है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों को आयात करती है। इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ पोतों को विदेशी ख़रीदारों को निर्यात करती है और उस पर, विदेशी मुद्रा लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम का संकट मंडराता रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम, एक मुद्रा में नामांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों और भावी वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (रूपये) नहीं होती है। विदेशी मुद्रा में भुगतान और आयात के खाते में बहिर्वाह काफी हद तक ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है। निर्यात के मामले में जोखिम को, अत्यंत संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्स्पोसर

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा राशि को क्लोजिंग रेट से गुणा करके) इस प्रकार है:

(लाख रू. मे)

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी
वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियों	893.17	94.89	381.09	226.49	342.95	62.20
विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए शुद्ध जोखिम	**(893.17)**	**(94.89)**	**(381.09)**	**(226.49)**	**(342.95)**	**(62.20)**

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन में लाभ या हानि की संवेदनशीलता, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा नामांकित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होता है।

(लाख रू. मे)

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
यूरो संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूरो में 8.90% की वृद्धि (31 मार्च 2020 - 11.90%)*	(80)	(27)
भारतीय रूपये/यूरो में 5.52% की कमी (31 मार्च 2020 - 5.52%)*	49	13
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 8.23 % की वृद्धि (31 मार्च 2020 - 6.91%)*	(8)	(24)
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 8.16 % की कमी (31 मार्च 2020 - 8.16%)*	8	28
यूएस डॉलर संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 8.45 % की वृद्धि (31 मार्च 2020 - 7.62%)*	(32)	(5)
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 1.93 % की कमी (31 March 2020 - 1.10%)*	7	1
*अन्य सभी परिवर्तनीय राशियों को स्थिर मानते हुए		

नोट 36: पूंजी प्रबंधन

(क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी को प्रबंधित करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित है :

- एक निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक अनुकूल पूंजी संरचना को बनाए रखना।

पूंजी संरचन को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधरकों को दिए जाने वाले लाभांश की रकम को समायोजित कर सकती है, शेयरधरकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना गया है।

(ख) प्रस्तावित और प्रदत्त लाभांश

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश - रु. 1.40 (31 मार्च, 2019 - रु. 5.10) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	1,603.73	5,842.15
लाभांश वितरण कर	-	1,200.87
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश - रु. 3.85 (31 मार्च, 2020 - रु.5.74) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	4,410.25	6,575.28
लाभांश वितरण कर	-	1,351.57
(ii) लाभांश जिन्हें प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत के बाद से मंडल ने प्रत्येक सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 1.15 रूपये (31 मार्च, 2020: 1.40 रूपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफ़ारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।	1,317.35	1,603.73

नोट 37: प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कारण होने वाला लाभ (लाख रूपये में))	15,347.12	16,348.17
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	11,45,52,000	11,45,52,000
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रूपये)	**13.40**	**14.27**

नोट 38:निगमित सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) क्रियाकलापों पर व्यय

वर्ष के दौरान इन विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है : (लाख रू. में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का संबंधित खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	खर्च की गई राशि
i) खंड (i)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	241.64
ii) खंड (ii)	शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल भी शामिल है	111.36
iii)खंड (iv)	गंगा को साफ करने में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना।	2.00
iv)खंड (ix)	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना।	15.00
	कुल	**370.00**

(लाख रू. में)

विवरण	2020-21	2019-20
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	353.72	218.4

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: (लाख रू. में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान करना शेष	कुल
i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य	370.00	-	370.00

नोट 39: निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र के तारीख को, कंपनी या तो एक परिसंपत्ति के रूप में या एक देनदारी के रूप में प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति की रिपोर्ट देती है। एक अनुबंध, एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां खर्च की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान), प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध, एक देनदारी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मामला ठीक उल्टा है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	1,03,201.78	1,29,501.67
(ii) उस तिथि तक सभी अनुबंधों की प्रतिवेदन तिथि तक की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान) का कुल परिणाम	3,04,897.68	2,42,363.86
(iii) प्रगति अनुबंधों के लिए ग्राहक अग्रिमों की बकाया (सकल) राशि	6,88,590.90	5,24,584.47

नोट 40: रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राष्ट्र ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राष्ट्र ऋण को पुन: संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रुपए-रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रुपए में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रुपए भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया। इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है। तदनुसार 31 मार्च 2021 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल 828.70 लाख रुपए (छूट रहित राशि 1694.75 लाख रु.) (31 मार्च 2020 849.66 लाख रुपए) (छूट रहित राशि 1800.67 लाख) है।

नोट 41:

(क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है। चालूवर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण केंद्रीय डिजाइन कार्यालय (सी.डी.ओ), तारातला यूनिट (टीयू) और फिटिंग आउट जेटी यूनिट (एफओजे) में किया जा चुका है। पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में दर्शाया गया है।

(ख) 1 जलाई 2006 को सीआईडबल्यूटीसी लिमिटेड से अधिगहित तीन डॉकों एवं दो स्लिपवे में से ड्राई डॉक संख्या 2 को पंजीकृत किया गया है। स्लिपवे और ड्राई डॉक 1 को अंतिम वर्ष 2020-21 में चालू कर दिया गया है और तदनुसार पूंजीकृत किया गया है।

(ग) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में नि:शलुक प्राप्त हुई थी। तब से भमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर (टाइटल डीड एचईसी रांची के पास है) का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2021 के अनुसार इनकी बुक लागत 1359.87 लाख रु. है (मुल लागत 3154.90 लाख रु.)। उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कन्वेएस डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में 1488 लाख रुपए और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर 148.8 लाख रु. प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनुसार पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके , एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनपुस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार,मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया। एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भमिू कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश निःशुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है। इस मामले की सनुवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01 दिनांक 28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अतंर्गत एक आवेदन दायर किया है।

जीआरएसई ने माननीय झारखड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कार्रवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे। इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओ का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित 5208.00 लाख रु. (पिछले वर्ष 5059.20 लाख रू.) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

नोट 42 :

विक्रेताओ को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर, 2020 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है, लेखा में समायोजन किया गया है।

नोट 43 :

(क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं। हालांकि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में, शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है।

(ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यत: पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है। अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यत: सरकारी विभागों से प्राप्त है।

नोट 44:

01.04.2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 116) की शुरुआत के साथ, कंपनी ने पूर्वव्यापी ट्रांजीक्श्न विधि का उपयोग करते हुए इसे अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का उपयोग का अधिकार (आरओयू) 711.95 लाख रु. की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत 599.28 लाख रु. लीज देयता के साथ मान्यता प्राप्त है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 161.16 लाख रुपये का अतिरिक्त अवमूल्यन किया गया है।

भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया जिन्हें अब तक व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी,अब पट्टा देयता में कमी के रूप में दर्ज किए गए है।

वर्ष के दौरान, 133.20 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2019-20: 127.92 लाख रुपये) और 29.47 लाख रुपये के वाहन (वित्त वर्ष 2019-20: 27.02 लाख रुपये) के पट्टा होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए हेतु अन्य खर्चो के तहत किराया और परिवहन शुल्क इसी पट्टा देयता के साथ समायोजित किया गया है। अन्य आय के तहत उचित मूल्यांकन पर लाभ में 39.85 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2019-20: 47.82 लाख रुपये) के पट्टा किराया पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 161.16 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2019-20: 161.16 लाख रुपये) के आरओयू एसेट का परिशोधन शामिल।

पट्टा देनदारियों का विवरण नीचे संलग्न है: (लाख रू.में)

विवरण	31.03.20 तक के अनुसार	ब्याज की समाप्ति	कुल नकद बहिर्वाह	31.03.21 तक के अनुसार
भूमि	435.11	36.39	133.20	338.71
वाहन	57.03	3.46	29.47	31.02
कुल	**492.15**	**39.85**	**162.26**	**369.74**

बिना छूट के आधार पर परिसंपत्ति की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: (लाख रू.में)

विवरण	31.03.21 तक के अनुसार	31.03.20 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	-	
1 वर्ष से अधिक	389.63	550.79
कुल	**389.63**	**550.79**

बिना छूट के आधार पर देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: (लाख रू.में)

विवरण	31.03.21 तक के अनुसार	31.03.20 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	113.88	162.68
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	99.47	189.10
5 वर्ष से अधिक	1121.74	1165.17

नोट 45:

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख रू.में)

क्रं.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
क)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि	99.46	293.43
ख)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किए जाने पर देय ब्याज	2.58	6.95
ग)	धारा 16 के प्रावधान के अतंर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को अदा की गई राशि	-	-
घ)	भुगतान में की गई देरी की अवधि हेतु लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान हो चुका है किन्तु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद)	25.76	88.03
ङ)	वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि	28.34	94.98
च)	आगे की ब्याज की राशि देय शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में भुगतान न कर दिया जाए	-	-

नोट 46 :

17 अप्रैल, 2018 को 'नियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम' के कारण 250 टन का गोलियाथ क्रेन पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे आसपास के स्थानों में मौजूदा सुविधाओं स्टॉक्स और मॉड्यल हॉल सहित को भी नुकसान पहुंचा। यह सभी संपत्ति पर्याप्त बीमा पॉलिसीयों के तहत बीमाकृत है।

बीमा कंपनी ने बाजार मूल्य के आधार पर दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में 11,269 लाख रु. का वितरण किया है जिसमें क्षतिग्रस्त मॉड्यूल हॉल के लिए 1,591.32 लाख रु. शामिल हैं। क्षतिग्रस्त मॉड्यूल हॉल भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित निधियों से बनाया गया था और यह परिसंपत्ति कंपनी की बुक्स में नहीं दिख रही थी। कंपनी ने इस परिसंपत्ति की संरक्षक होने के नाते इसके लिए बीमा कवरेज लिया था। क्षतिग्रस्त मॉड्यूल हॉल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है।

नोट 47 :

बैंकरों के संघ द्वारा स्वीकृत कुल निधि आधारित सीमा 10,500 लाख रु. (मार्च 31,2020: 4,500 लाख रु.) और गैर-निधि आधारित सीमा 3,45,500 लाख रु. (मार्च 31,2020: 3,20,500 लाख रु.) निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाएं के मध्य विनिमेय योग्य है। उक्त सीमाएं माल और प्राप्य के मालबंधन द्वारा सुरक्षित हैं। कंपनी के पास वर्तमान में कोई फंड आधारित उपयोग नहीं है।

नोट 48: वसूली या परिसपंत्ति और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
परिसंपत्ति				
(1) गैर - चालू परिसपंत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	33,497.42	-	29,923.31
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	15,129.72	-	5,151.52	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	-	522.86	-	445.56
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	-	0.44	-	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	69,455.90	-	7,660.42
(ङ) गैर-चालू कर परिसंपत्ति	-	11,714.77	-	12,060.02
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	254.30	-	1,792.43	615.63
(2) चालू परिसपंत्ति				
(क) वस्तु सूचियाँ	78,787.45	-	44,102.22	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) चालू निवेश	82,581.96	-	5,400.43	-
(ii) व्यापार प्राप्य	17,813.74	-	53,528.00	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	932.05	-	72,922.75	-
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बेलेंस	227,185.14	-	188,209.38	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	14,380.03	-	20,732.75	-
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	126,021.92	-	95,818.44	-
(घ) बिक्री के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकृत है	43.39	-	52.82	-
देनदारियाँ				
(1) गैर - चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
व्यापार देयताएँ	-	923.67	-	1,075.05
(ख) प्रावधान	-	8,286.66	-	7,662.46
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	-	550.87	-	953.78
(2) चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) व्यापार देयताएँ				
(क) सुक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया	95.36	-	293.43	-
(ख) उपरोक्त (i) (क) के अलावा अन्य कुल बकाय	78,176.14	-	54,384.37	-
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2,401.22	-	2,426.41	-
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	457,983.52	-	352,338.62	-
(ग) प्रावधान	16,191.89	-	15,258.90	-

नोट 49 :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों की तैयारी में, कंपनी ने इन परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक प्रबंधन को ज्ञात कोविड-19 के संभावित प्रभाव और संबंधित आंतरिक और बाहरी कारकों को ध्यान में रखा है। तदनुसार, प्रबंधन लगातार और बारीकी से विकास और संभावित प्रभावों की निगरानी कर रहा है जो वर्तमान महामारी से उसकी वित्तीय स्थिति, तरलता और संचालन पर हो सकता है और इस अभूतपूर्व स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

नोट 50 :

असाधारण मद

कोविड-19 के प्रसार के कारण, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कर दी थी, जिसके कारण कंपनी की विनिर्माण सुविधाएं और रसद संचालन बंद हो गए थे। कंपनी ने जून 2020 के पहले सप्ताह से अपनी विनिर्माण सुविधाओं को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर दिया था, जिसमें ट्रंकैटएड शिफ्ट में कर्मचारियों की रोजगार के प्रतिबंधों के साथ चरणबद्ध तरीके से उत्पादन गतिविधियां शुरू हुई। तदनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान उत्पादन विभाग के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रचालकों, कार्यालय सहायकों और उत्पादन विभाग के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास की मैनपावर लागत को असाधारण मद के तहत व्यय माना गया है।

(लाख रू.में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.21	**31.03.20**
कर्मचारी लागत	1920.22	
मूल्यहांस	154.72	
बीमा दावे पर हानि	-	1060.70
कुल	**2074.94**	**1060.70**

नोट 51 :

यार्ड 3020, परियोजना 28 का चौथा और अंतिम अप्रैल 2015 की संविदात्मक डिलीवरी के मुकाबले 18 फरवरी, 2020 को भारतीय नौसेना को डिलीवर किया गया था। पिछले पोतों की देरी के व्यापक प्रभाव और कंपनी के नियंत्रण से परे होने के कारण पोत की संविदात्मक डिलीवरी की तारीख का पालन नहीं किया जा सका।

पोत की डिलीवरी के बाद,कंपनी ने कोलकाता को अनुबंध की डिलीवरी की तारीख बढ़ाने के लिए ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि यानी भारतीय नौसेना को वॉरशिप ओवरसीइंग टीम को अपना मामला प्रस्तुत किया।

कुल 57 महीने और 18 दिनों की देरी में से, युद्धपोत निगरानी दल ने अपनी सिफारिश की है जिसके तहत कंपनी को पोत की लागत के 1.467% के बराबर 1 महीने और 14 दिनों की देरी के लिए जवाबदेह बनाया गया है।

इस परियोजना के लिए लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुस्तकों में 2,183.51 लाख रुपये की राशि परिसमापन हर्जाना देने का समकक्ष प्रावधान किया है। एलडी मामले में पहले से ही डीएनडी द्वारा डिलीवरी डेट एक्सटेंशन के लिए अनुबंध में संशोधन के लिए अंतिम सिफारिश के साथ रक्षा मंत्रालय को सिफारिश की गई है।

नोट 52 :

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (6)(बी) के तहत सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा के अनुसार, 17-05-2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों में संशोधन किया गया था। सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा सलाह दिए गए कुछ सुधारों को इन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया था। इन वित्तीय विवरणों में शामिल संशोधन के प्रभावों को निचे सारणीबद्ध किया गया है :-

(लाख रू. में)

क्रम संख्या	संशोधित मद	जैसा की मूल रूप से कहा गया है	जोड़/घटाव (-)	संशोधित राशि
1	वस्तु सूची (परिसंपत्ति)	71,718.55	7,068.90	78,787.45
2	व्यापार देयता (देयताएं)	71,001.32	7,068.90	78,070.22

उपरोक्त परिवर्तन से कंपनी के लाभ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उपर्युक्त परिवर्तनों के अनुवर्ती प्रभावों को भी नकद प्रवाह विवरण में शामिल किया गया है।

नोट 53:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के लिए राशियों और अन्य खुलासे को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरणों के संबंध में पढ़ा जाना है।

नोट 54:

26 जुलाई 2021 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनमुति दी गई थी।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 26 जुलाई 2021

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता -700024

फोन : (033)-24698105-108, फैक्स : (033)-24698150

वेबसाइट : www.grse.in ई-मेल : co.sec@grse.co.in

सीआईएन : L35111WB1934GOI007891

105वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों के संव्यवहार हेतु **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** की 105 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 10 सितंबर, 2021 को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय:

(1) 31 मार्च,2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने और उनको अंगीकार करने तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 (अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु.5 का कुल लाभांश) के लिए प्रति इक्विटी शेयर के भुगतान के लिए रु.3.85 का अन्तरिम लाभांश अनुमोदित करना और प्रति इक्विटी शेयर रु. 1.15 का अंतिम लाभांश घोषित करना।

(3) कमोडोर हरि पी आर,भा.नौ.(सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव कर रहे।

(4) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी की आम बैठक में लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा या इसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जैसा कि कंपनी अपनी आम बैठक में उचित समझे. इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

(5) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए और उचित पाए जाने पर, साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित किए जाएँ:

"यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (किसी भी सांविधिक संशोधन (तत्संबंधी) अथवा पुनाधिनियमन को शामिल करते हुए) के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी, पूर्वोक्त लेखा-परीक्षक को इस संबंध में किए गए खर्चों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्स और लागू कर सहित रु. 58,000/- का भुगतान किए जाने की पुष्टि की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने और इस तरह के अन्य कार्यों को करने और इस संबंध में आवश्यक, उचित और समीचीन कदम उठाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया और एतदद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"

(6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (डीआईएन:02267582) को कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करने एवं यदि उचित प्रतीत हो तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 और अन्य सभी लागू प्रावधानों ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों, कंपनी के आर्टिक्ल ऑफ एसोसिएशन के साथ पठित के अनुसरण में, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव (डीआईएन: 02267582) जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या

8(32)/2019-डी (समन्वय/ डीडीपी) दिनांक 27 जुलाई 2020 के माध्यम से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और तदनुसार निदेशक मंडल द्वारा 14 सितंबर 2020 की प्रभावी तिथि से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया गया था को एतदद्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों, शर्तों और कार्यकाल पर अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ताक्षर/-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 26 जुलाई 2021
स्थान : कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार, नोटिस के साथ मद संख्या 5 के अंतर्गत कारोबार के संबंध में विभिन्न भौतिक तथ्यों के समाधान के लिए व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। 26 जुलाई , 2021 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने यह माना कि मद संख्या 5 के तहत विशेष व्यवसाय को अपरिहार्य माना जा रहा है, जिसे कंपनी के 105 वें वार्षिक आम बैठक में संव्यवहार किया जाना चाहिए।

2. कोविड-19 महामारी के दौर के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र (ओं) संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र (ओं) संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उक्त परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 105 वीं एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 105वीं एजीएम के लिए स्थान जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 में स्थित कंपनी का पंजीकृत और निगमित कार्यालय होगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है कंपनी। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, संस्थागत / कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित कंपनी को **Investor.grievance@grse.co.in** पर भेजकर अपने प्रतिनिधियों को एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करें।

4. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सहभागिता और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता करने की प्रक्रिया को इस नोटिस में विस्तार से समझाया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.co.in पर भी उपलब्ध है।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई)") द्वारा जारी सामान्य बैठकें (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्र और सेबी परिपत्र सं। सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020, के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के नियम 44 के अनुसार, एजीएम में होने वाले संव्यवहार तथा तथा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट देने के लिए कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

6. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए के लेभ एंड कं, कंपनी के सेक्रेटरी श्री ए के लेभ को स्क्रूटिनीज़र के रूप में कार्य करने और पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ़सीएस: 4848 / सीपी सं .: 3238) के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, **03 सितंबर, 2021 ("रिकॉर्ड तिथि")** की स्थिति के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।केवल वे सदस्य जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी (एनएसडीएल / सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होगा वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। कट-ऑफ तारीख के अनुसार जो व्यक्ति एजीएम के सदस्य नहीं है, वे तदनुसार कृपया इस नोटिस को सूचना प्रयोजनों के रूप में देखें।

8. सदस्य किसी भी स्थान (दूरस्थ ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट डाल सकते हैं. दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, **07 सितंबर, 2021** को **सुबह 9** बजे से शुरू होगी और **गुरुवार, 09 सितंबर, 2021** को **शाम 5.00** बजे समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा. किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी. एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से **https://www.evoting.nsdl.com/** पर दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करें।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को **"दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश"** पर क्लिक करके पढ़ें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के पास अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी भी पैसे का दावा करें क्योंकि कंपनी खाते में पड़े ऐसे पैसे जिनका दावा अथवा भुगतान हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक नहीं किया गया है, ऐसे पैसे को कंपनी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष खाते में जमा करने के लिए बाध्य है। अदत्त/ दावारहित लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है।

11. वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम का यह नोटिस सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनका नाम 13 अगस्त, 2021 को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/ सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभ अर्जित करने वाले मालिकों के रजिस्टर में है।

12. इस एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किया जा रहा है। नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को क्रमशः दोनो स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।

13. अपेक्षित संख्या में वोटों की प्राप्ति के अधीन, एजीएम के समापन से दो दिन के भीतर ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को एजीएम की तारीख को पारित किया जाएगा। संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर 'इनवेस्टर्स कॉर्नर' के अंतर्गत रखा जाएगा। मतदान के परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध और जमा किए गई हैं, और इसकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

14. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति (कोरम) की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

15. सेबी सूचीकरण विनियमन, यथासंशोधित के नियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/सीआईआर/पी/2020/236 दिनांक 02 दिसंबर, 2020 के माध्यम से 31 मार्च, 2021 को ट्रांसफर डीड्स के पुन: दर्ज करने की कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया था और जो शेयर ट्रांसफर के लिए फिर से दर्ज किए गए हैं केवल डीमैट मोड में जारी किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें।

16. उपर्युक्त नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, इस संबंध में कृपया अपना अनुरोध investor.grievance@grse.co.in पर भेजें।

17. एजीएम के दौरान, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पोर्टल पर जाकर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करके अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय

कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता देख सकते हैं, इसके साथ ही वे अधिनियम की धारा 189 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के अनुसार निदेशकों की रुचि के अनुरूप उनके करार रजिस्टरों और इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं को भी देख सकते हैं।

18. एजीएम में नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और सेबी सूचीकरण विनियमों के नियम 36(3) में अपेक्षित विवरण इस नोटिस के साथ अनुबंध के रूप में दिए गए हैं। नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं।

19. लाभांश सहित किसी भी प्रकार के प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी तरह के पत्राचार कंपनी / आरटीए को investor.grievance@grse.co.in /rta@alankit.com पर भेजें।

लाभांश संबंधी सूचना

1. यदि एजीएम में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर केवल उन्हीं सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड की गई तिथि के अनुसार लाभकारी मालिकों/ सदस्यों की सूची में शामिल हैं।

2. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। डिवेडेंट वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएँगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

3. डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि सदस्यों के डीमैट खाते रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसीपेंट्स के साथ पंजीकृत उनके बैंक विवरण में कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। कंपनी अथवा उसके रजिस्ट्रार डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किए जाने हैं, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को तुरंत अपने पते और/ या बैंक अध्यादेश में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दें।

4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में परिवर्तन और/ अथवा बैंक अध्यादेश में हुए परिवर्तन की सूचना मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@alankit.com पर ईमेल से दें अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को investor.grievance@grse.co.in पर संपर्क करें।

5. आयकर अधिनियम, 1961 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी।यदि किसी व्यक्तिगत शेयरधारकों को किया गया कुल लाभांश रु. 5,000 से अधिक न हो तो लाभांश के भुगतान पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। कंपनी के साथ पंजीकृत दस्तावेजों और शेयरधारक की आवासीय स्थिति के आधार पर कर की दर अलग-अलग होगी।

(क) रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स

(क) निवासी शेयरधारकों के लिए स्रोत पर कर की कटौती

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट किया गया	10%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)
2	कोई पैन/ वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट नहीं किया गया	20%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि शेयरधारक का पैन अपडेट/कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा।
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अनुसार निम्न/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में दर विनिर्दिष्ट	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कर कटौती प्रमाणपत्र

(ख) यदि शेयरधारक कॉलम सं 4 में उल्लिखित दस्तावेजों को पंजीकृत करवाते हैं और कंपनी/ आरटीए को प्रस्तुत करते हैं, तो शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान पर स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	फॉर्म 15जी/ 15एच प्रस्तुत करना	शून्य	कुछ शर्तों को पूरा करते हुए फॉर्म नंबर 15 जी में घोषणा (किसी कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15 एच (60 वर्ष और उससे अधिक के किसी व्यक्ति के लिए लागू)
2	वैसे शेयरधारक, जिनपर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि.	शून्य	उक्त प्रावधान लागू न होने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के तहत शामिल शेयरधारक जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
4	वैकल्पिक निवेश निधि – श्रेणी-I और II	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए (1 एफ) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5	● मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ● अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि ● अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि	शून्य	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
6	राष्ट्रीय पेंशन योजना	शून्य	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1ई) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
7.	किसी भी निवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट मिली है	शून्य	टीडीएस की कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

(ख) नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स :

नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि नॉन रेसिडेंट शेयरधारक कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका के कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	विधारित कर दर	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो)
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई)	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर)	एफपीआई पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र।
2	अन्य नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) या कर संधि दर जो भी लाभदायक हो	कर दस्तावेजों के बाद कर संधि के लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगा: i) लाभांश प्राप्त करने वाले वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कर निवास प्रमाण पत्र ii) एक निर्दिष्ट प्रारूप में आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीसी के अनुसार पैन घोषणा। iii) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 10एफ़ iv) भारत में स्थायी स्थापना/स्थिर आधार के न होने की स्व-घोषणा (नोट: लाभकारी कर संधि दर का आवेदन नॉन रेसिडेंट शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करेगा और कंपनी की संतुष्टि की समीक्षा करेगा)
3	एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	आयकर प्राधिकरण से न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र धारा 195 (3) के अंतर्गत स्व-घोषणा की पुष्टि करता है कि आय अपने खाते पर प्राप्त की जाती है, विदेशी बैंक की ओर से नहीं और इसे भारत में शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
4	आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के अंतर्गत जारी किए गए न्यून/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र
5.	किसी भी अनिवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947, आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है।	शून्य	टीडीएस कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

6. लागू उचित टीडीएस/ कर योग्य दर निर्धारित करने हेतु हमें सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज 10 सितंबर 2021 तक या उससे पहले उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते है। 10 सितंबर 2021 के बाद प्राप्त पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टीडीएस दर कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज में उपलब्ध शेयरहोल्डर विवरण के आवश्यक सत्यापन के अधीन है।

7. यदि ऊपर उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों, के अभाव में आपसे, उच्च दर पर टीडीएस काट लिया जाता है तो शेयरधारक के लिए एक विकल्प यह भी उपलब्ध है की आय का रिटर्न फाइल करें और यदि पात्र है तो रिटर्न का उचित दावा करें।

8. कंपनी उक्त लाभांश के टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था अपने शेयरधारकों को कंपनी/ आरटीए पोस्ट भुगतान के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से करेगी। शेयरधारक आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in (फॉर्म 26एएस देखें) से टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

9. सदस्य के द्वारा दी गई किसी भी गलत विवरण, जानकारी की अयोग्यता, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर माँग (ब्याज, जुर्माने आदि) की स्थिति में, ऐसे सदस्य / सदस्यों कंपनी की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी सूचनाओं / दस्तावेजों और किसी भी अपीलीय कार्यवाही में कंपनी का सहयोग करेंगे।

10. यह संचार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में संपूर्ण विश्लेषण या सभी संभावित कर परिणामों की सूची के लिए नहीं है। शेयरधारकों को अपने कर सलाहकारों से अपेक्षित कार्रवाई के लिए सलाह लेनी चाहिए।

वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच हेतु और वार्षिक रिपोर्ट के प्रति की प्राप्ति के लिए ईमेल आईडी की पंजीकरण की प्रक्रिया एवं यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोक्यूरिंग

1. एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अनुसार और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी /2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 सेबी द्वारा जारी, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की सूचना जारी की जा रही है केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाता है जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।

2. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को कंपनी में **investor.grievance@grse.co.in** पर लिखकर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम और पता का उल्लेख करते हुए शेयर सर्टिफिकेट (सामने और पीछे) की स्कैन प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में अन्य किसी दस्तावेज़ (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति अद्यतित करें। डीमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (उदाहरण के लिए: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) **investor.grievance@grse.co.in** को प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। ई-मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी तरह की प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य **investor.grievance@grse.co.in** पर लिख सकते हैं।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच'** के लिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित चरणों तक पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन जनरल मीटिंग" मेनू के तहत "वीसी/ओवीएएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन जनरल मीटिंग के तहत दिए गए वीसी/ओवीएएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय

कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, संवीक्षक, आदि शामिल नहीं होंगे । इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है ।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इंटरनेट की अच्छी गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

5. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, अतः एजीएम की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए, वैसे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं, अपने नाम डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर 06 सितंबर, 2021, सोमवार को 9 बजे और 08 सितंबर 2021, बुधवार को 5.00 बजे के दौरान अनुरोध भेज सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है वे अग्रिम में अपने विचार/प्रश्न अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर भेज सकते हैं । कंपनी द्वारा 08 सितम्बर 2021, बुधवार 5.00 बजे तक प्राप्त प्रश्नों/सवाल का एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी।

6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।जब एक पूर्व-पंजीकृत स्पीकर को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले स्पीकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे एक वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ कनेक्ट हो जाएं। आगे, कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त प्रश्नों और बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखती है। समय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वह अपने आवंटित समय के 2-3 मिनट में अपने/अपनी विचार व्यक्त करें।

रिमोट ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग लिस्टिंग विनियम और धारा 108 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के विनियमन 44 के अनुपालन में , संबंधित नियमों के साथ पठित, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रसन्न है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाया जा सके । कंपनी ने अपने सभी शेयरहोल्डर्स को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं ।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच:

"सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा" पर सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ मेंटेन किए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

I. डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। 4. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।
	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi / Easiest में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें। 2. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जिन्हें डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

II. **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।**

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विस विचारों के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा विचारो को https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूज़र आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को धारण करने का तरीका डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपकी डीपी आईडी 300 **** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी 300 ****12 ***** में है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए: अगर आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12************** है
ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद ईवन नंबर उदाहरण के लिए: अगर फोलियो नंबर 001*** है और ईवन नंबर 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ई-मेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके भेजे गए ई-मेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सीएसडीएल खाते या फ़ोलियो नंबर के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में ऊपर वर्णित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) " उपयोगकर्ता का विवरण / पासवर्ड भूलगए " (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) पर क्लिक करें,विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ख) "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमति दें।

8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।

9. “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें

I. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर एजीएम में शामिल हों

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीएन" देख पाएंगे। जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी का “ईवीएन” चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको “ जॉइन जनरल मीटिंग” के तहत दिए गए “वीसी/ओएवीएम” लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल चुका है।

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7 एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (कर्ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर हैं जो evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@grse.co.in पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटाइजर को वोट करने के लिए अधिकृत हैं।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वोट देने का हकदार होगा।

3. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक ऐसे व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 13 अगस्त 2021 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए को उनके ईमेल आईडी rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “ भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड ” या “ भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड ” विकल्प का उपयोग करके अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 13 अगस्त 2021 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे ऊपर “चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच” के अंतर्गत बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। इस तरह की घटना में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता जानकारी भूलगए/पासवर्ड?” या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड करें?” से विकल्प का उपयोग करना होगा।

5. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 / 1800-22-4430 पर कॉल करें या श्री अमित विशाल,वरिष्ठ प्रबंधक या सुश्री पल्लवी म्हात्रे प्रबंधक, evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें। सदस्य कंपनी के सचिव को कंपनी के ईमेल पते evoting@grse.co.in पर भी लिख सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले हैं और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. जिन सदस्यों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एजीएम से पहले या दौरान सहायता की आवश्यकता होती है , वे " नीचे ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश और/या शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश" अनुभाग के तहत उपरोक्त व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) का खंडन

आइटम नंबर (5)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में 58,000/- रु जमा कर और ऑफ पॉकेट खर्चों के लेखापरीक्षा शुल्क पर कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, लागत लेखाकार की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है।

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए मंद सं. (5) पर एक साधारण संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई हैं।

सूचना की मंद सं. (5) में निर्धारित संकल्प में आर्थिक या अन्य रूप से, कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक नहीं है।

शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना की मंद सं.(5) में बोर्ड द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की गई है।

मद संख्या (6)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 8(32)/2019-डी(समन्वय/डीडीपी) दिनांक 27 जुलाई 2020 के माध्यम से श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव (डीआईएन: 02267582) को कंपनी के बोर्ड में 14 सितंबर, 2020 से प्रभावी अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों और , कंपनी के आर्टिक्ल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 195, 196 और 197 के अनुसार, कंपनी ने उन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव का संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।

बोर्ड तदनुसार एक साधारण संकल्प के रूप में नोटिस के मद संख्या 6 में प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्पों में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता / -
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं.- ए सी एस 10992

दिनांक : 26 जुलाई, 2021
स्थान: कोलकाता

अनुलंग्नक

105वें एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त/ नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण

निदेशकों का नाम	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
जन्म तिथि	31 मई 1967	10 दिसंबर 1968
नियुक्ति की तिथि	21 अक्टूबर 2019	14 सितंबर 2020
योग्यता	• जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री • मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेजिक अध्ययन और रक्षा में विज्ञान में मास्टर	• आईएफओएस - 1996 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर • एम.टेक • बी.टेक
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उनके पास 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है और भारतीय नौसेना में कमीशन सेवा का 28 वर्षों का अनुभव है, जिसमें पोत पर युद्धपोतों, नौसेना मरम्मत संगठनों और विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति के विभिन्न अनुभव हैं।	उन्होंने वन विभाग,पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न क्षमता जैसे प्रभागीय वन अधिकारी एवं वन के मुख्य संरक्षक के रूप में काम किया हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में 7 वर्ष से अधिक कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किए हैं। वर्तमान मे, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में कार्यरत हैं।
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध	किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं	किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	शून्य	शून्य
31 मार्च 2021 तक अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य
31 मार्च 2021 तक कंपनी में हिस्सेदारी	शून्य	शून्य

अन्य विवरणों के लिए जैसे कि वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया, उपरोक्त निदेशकों के संबंध में पारिश्रमिक , कृपया निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

जीआरएसई की गौरव गाथा

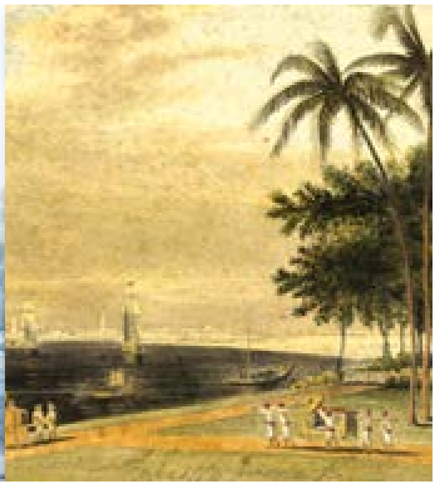

हुगली नदी के पूर्वी तट पर एक छोटे कारखाने के साथ यह यात्रा 1884 में प्रारम्भ हुई। 19 अप्रैल 1960 को भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। इंजीनियरिंग उत्पादों में विविधीकरण के कारण 01 जनवरी 1977 को इसके नाम को परिवर्तित कर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) किया गया और तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीआरएसई ने 107 युद्धपोतों सहित 780 से अधिक जलयानों की सुपुर्दगी की है।

जीआरएसई ने अपनी सीमाओं और क्षमताओं का विस्तार करते हुए तथा बदलते समय के साथ तालमेल रखते हुए निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है। इसने देश की बढ़ती समुद्री मांगों विशेष रूप से नौसेना और तटरक्षक के आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज, यह भारत की अग्रणी शिपयार्ड में से एक है और पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख शिपयार्ड के रूप में उभरा है, जो विश्व स्तरीय फ्रिगेट से लेकर फास्ट इंटरसेप्टर बोट तक पोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर रही है।

जीआरएसई पोत जनित एप्लिकेशनों के लिए डेक मशीनरी अर्थात डेविट, विंच, कैपस्टन, हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग प्रणालियों का निर्माण भी करती है। जीआरएसई हाई वैल्यू इंजीनियरिंग मदें जैसे की डीजल इंजन को असेंबल करती है और डबल लेन पोर्टेबल स्टील ब्रिज और पंप का निर्माण करती है।

जीआरएसई लगातार अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगी हुई है और युद्धपोत डिजाइन, हेलो-ट्रैवर्सिंग प्रणाली, डबल लेन पोर्टेबल स्टील ब्रिज और समुद्री पंपों में नए खोजों के लिए रक्षा मंत्री के पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। जीआरएसई को लगातार 2010-11,2011-12,2012-13,2013-14 में देश के सर्वश्रेष्ठ शिपयार्ड होने का गौरव हासिल है।

जीआरएसई एक मिनीरत्न, श्रेणी-I कंपनी है।

जीआरएसई 25 अगस्त, 2017 को एक सार्वजनिक कंपनी बनी और 10 अक्टूबर, 2018 को एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध हुई।

कंपनी गत 27 वर्षों से लाभांश का भुगतान कर रही है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED
सीआईएन : L35111WB1934GOI007891
पंजीकृत कार्यालय : “जीआरएसई भवन” 61,गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700 024
दूरभाष : 033-2469 8105-08
फैक्स : 033-2469 8150
ई-मेल : co.sec@grse.co.in
वेबसाइट : www.grse.in